पंचम माला, खंड 27, अंक 44, बुधवार, 25 अप्रैल, 1973/5 वैशाख, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXVII No. 44, Wednesday, April 25, 1973/Vaisakha 5, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 27 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है] ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

29 LSS/73—1

विषय सूचि CONTENTS

अंक 44, बुधवार, 25 अप्रैल, 1973/5 वैशाख, 1895 (शक)

No. 44, Wednesday, April 25, 1973/Vaisakha 5, 1895 (Saka)

प्रश्नो के मौखिक उत्तर		ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECTS	पृ PAGES
841	उर्दू समाचार पत्रों की समस्याएं	Problems of Urdu Press	1
842	राजकोट से अहमदाबाद तक सीधी टेलीफोन लाइन	Direct Line from Rajkot to Ahmedabad	4
843	मनीपुर के वीर तिकेन्द्रजीत की स्मृति में डाक टिकट	Commemoration Stamp in the Memory of Vir Tikendra Jeet of Manipur .	5
844	नवम्बर-दिसम्बर, 1972 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	Index of Industrial Production during November-December, 1972 . .	6
847	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा टेलीविजन प्रोद्योगिकी में हिस्सा बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal for Sharing Television Technology by H.A.L. Hyderabad . .	9
848	वर्धा में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना	Setting up of Public Sector Industries in Wardha	10
849	बिहार के लिए चौथी योजना का विस्तार	Enlargement of Fourth Plan for Bihar	11
850	नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Netaji Inquiry Commission .	12
851	पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States to Modernise Police Force	13
852	योजना के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for Implementation of Plan	15
प्रश्नों के लिखित उत्तर		WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
845	पश्चिम बंगाल में बड़े औद्योगिक गृहों का विस्तार	Expansion of larger Houses in West Bengal	16
846	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रोद्योगिकी समिति के स्थान पर सुपर कमेटी की स्थापना	'Super Committee' formed in place of National Committee on Science and Technology	16
853	राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा नए कारखाने लगाए जाने सम्बन्धी नीति	Policy Reg : Setting up of New Units by State Industrial Development Corporations	17

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
854	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंस	Import Licence for Raw Materials used by Industrial units in Backward areas	18
855	तकनीकीविज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच पद तथा वेतन में समानता लाने के लिए विवाद	Tussle for Parity between Technocrats and Bureaucrats	18
856	औद्योगिक लाइसेंसों के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगमों से प्राप्त आवेदन	Applications for Industrial Licences from West Bengal Industrial Development Corporation	18
857	केन्द्रीय रेशम निगम	Central Silk Corporation . . .	19
858	भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त अवसर	Additional Chance for Government Employees for Appearing in IAS Examinations.	19
859	आकाशवाणी पर वार्ताओं (हिन्दी) का राष्ट्रीय कार्यक्रम	National Programme of Talks (Hindi) at A.I.R	19
860	सरकारी निगमों के निदेशकों के रूप में संसद सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of M.Ps. as Directors of Public Corporations . . .	20

अ० ता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

8022	सरकारी कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मद्य-पान किया जाना	Drinking of Liquor in Public by Govt. Servants	21
8023	रिजनेल सेटलमेंट कमिश्नर, जालन्धर में फालतू घोषित किए गए निम्न श्रेणी लिपिक	Surplus L.D.Cs. in the office of Regional settlement Commissioner, Jullunder.	22
8024	शिमला में लगी आग से हुए विनाश के पीछे तत्व	Elements behind Destruction in a Fire at Simla . . .	22
8025	इटारसी और दामोह (मध्य प्रदेश) में सीमेंट का कारखाना लगाने की अनुमति देने से इन्कार	Refusal to Establish Cement factory at Itarasi and Damoh (MP) . .	23
8026	मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों आस-पास सहायक उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for Setting up of Ancillary Industries around public Sector Industries in M.P.	23
8027	स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देना	Honouring Freedom Fighters	23
8028	अनिवार्य रूप से निर्यात करने के लिए औद्योगिक गृहों द्वारा बंध-पत्रों को भरना	Execution of Bonds for Export Obligation by Industrial Houses .	24

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		विषय SUBJECT	पृष्ट PAGES
8029	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलोर द्वारा मध्य प्रदेश में एक नया कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of a New Factory in Madhya Pradesh by Indian Telephone Industries Limited, Banglore .	25
8030	ग्राम्य शिल्पी विकास परियोजना स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश से प्राप्त योजना	Scheme for M.P. for Setting up Rural Craft Development Project . .	26
8031	मध्य प्रदेश की बुरहानपुर तहसील में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Telephones in Burhanpul Tehsil M.P.	26
8032	भारतीय प्रशासन के सेवा के भूतपूर्व अधिकारियों के विरुद्ध अपने घोषित स्त्रोतों की सीमा से अधिक धन सम्पत्ति जमा करने के आरोप में न्यायालयों में मामले	Cases against Ex-I.A.S. Officers in Courts for Amassing wealth beyond their disclosed sources . . .	26
8033	केरल राज्य में भूमिगत हुए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या	Number of Pakistani Nationals gone underground in Kerala State . .	27
8034	अन्तरिक्ष विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन	Official Language implementation committee in the Department of space .	27
8035	अन्तरिक्ष विभाग में सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग	Use of Hindi in official work in the Department of space	27
8036	रांची आकाशवाणी केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाना	Conversion of Ranchi A.I.R. into a high Power Station	28
8037	'पब्लिक फोन बूथों' का कार्यकरण	Functioning of "Public Phone Booths"	28
8038	नारियल जटा बोर्ड में सम्बर्धनात्मक कार्य	Promotional activities in Coir Board .	28
8039	वर्ष 1973-74 में केरल में स्थापित किए जाने वाले ग्राम उद्योगों को ऋण	Loans to Rural Industries to be set up in Kerala during 1973-74 . .	29
8040	आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों और कैजुअल आर्टिस्टों के वेतनमानों में वृद्धि की मांग	Demand for increase in Pay Scales of Staff Artists and Casual Artists of of A.I.R., Calcutta . . .	29
8043	दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन के लिए व्यक्तियों का चुनाव	Selection of Personnel for Publication of Hindi Edition of Delhi Telephone Directory	30
8044	'ब्ल्यू फिल्मों' में चोर बाजारी	Black marketing in Blue Films .	30

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBECT	पृष्ठ PAGES
8045	आई०टी०आई०, बंगलौर से प्राप्त विदेशी आर्डर	Foreign orders placed with I.T.I., Bangalore . . .	31
8046	सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में स्नातक गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की नियुक्ति	Appointment of Graduate and Non-Graduate Junior Engineers to the Grade of Assistant Engineers . .	31
8047	साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उड़ीसा में गोली चलना	Firings in Orissa during Communal Disturbance	32
8048	आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द अध्यापक और प्रदर्शक (डिमान्सट्रेटर)	Teachers and Demonstrators detained under M.I.S.A.	33
8049	राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र	Areas benefited by the Rajasthan Atomic Power Project	33
8050	महाराष्ट्र में कृषि श्रमिकों के लिए स्वनियोजन योजना	Self-Employment of Farm Labour in Maharashtra	34
8051	पृथकतावादी नागाओं को चीनी सहायता	Chinese Aid for Separatist Nagas	34
8052	जम्मू तथा कश्मीर सरकार के सूचना विभाग में 'आजाद कश्मीर रेडियो' के भूतपूर्व 'एनाउन्सर' का नियुक्त किया जाना	Erstwhile announcer of 'Azad Kashmir Radio' employed in the Information Department of Jammu and Kashmir Government.	35
8053	दलबदल पर रोक संबंधी विधेयक	Bill on Defection	35
8054	कोटा परमाणु बिजली परियोजना को चालू करना ।	Commissioning of Kota Atomic Power Project	35
8055	कंटाई क्षेत्र में नकम का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता	Assistance for increasing production of Salt in Contai Belt . . .	36
8056	उच्च अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के विचार	Central Vigilance Commissioner's Views on corruption in high officers . . .	36
8057	पांडिचेरी में सेलेक्शन ग्रेड के पद	Selection grade posts in Pondicherry .	37
8058	मेघालय के गारो हिल्स जिले में बंगला देश की सेना द्वारा भारतीयों का अपहरण किया जाने का समाचार	Alleged Kidnap of Indians by Bengladesh from Garo Hills District of Meghalaya	37
8059	मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने के लिए भारत बंगला देश द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने का विचार	Reported Indo-Bangladesh Joint Action Counteracting Activities of Mizo Hostiles	37

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8060	महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लिमिटेड, ब्यावर के श्रमिकों द्वारा आन्दोलन	Agitation by workers of Mahalaxmi Mills Company Limited, Beawar . . .	38
8061	राजस्थान में नमक के लाने ले जाने पर प्रतिबंध को हटाना	Lifting of Ban on movement of Salt in Rajasthan	38
8062	अफ्रीकी-एशियाई एकता सम्मेलन और शान्ति परिषद की कथित अवैध गतिविधियां	Reported Illegal Activities by Afro-Asian solidarity Conference and Peace Council	39
8063	ज्योति वीविंग फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता	Jyoti Weaving Factory Private Limited, Calcutta	39
8064	कूच बिहार शरणार्थी सेवा (पश्चिम बंगाल) में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों के बीसा की अवधि का बढ़ाया जाना	Extension of visas of Foreign Nationals working in Cooch-Bihar Refugee Service (West Bengal)	39
8065	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा सीमेंट के उत्पादन में फलाई ऐश का प्रयोग करने के बारे में अनुसंधान	Research by Central Building Research Institute, Roorke to use Fly Ash in Cement output	40
8066	अश्लील साहित्य का मनोवैज्ञानिक अनुसंधान	Psychological Research on Pornographic Literature	41
8067	फोर्ड फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान को सहायता	Aid to National Institute of Design by Ford Foundation	41
8068	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to National Institute of Design	42
8069	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजायन में कपड़ों के डिजायन के लिए संकाय	Faculty for Textile Design in National Institute of Design . . .	42
8070	केन्द्रीय सरकार द्वारा नेशनल डिजाइन इन्स्टीट्यूट की डिग्री/डिप्लोमा को मान्यता दिया जाना	Recognition of Degree/Diploma of National Design Institute by Central Government	44
8071	एक बेरोजगार आदिवासी दम्पत्ति द्वारा अपने बच्चों का बेचा जाना	Sale of Childern by an unemployed Adivasi Couple	45
8072	वैज्ञानिक अनुवाद संस्थान	Institute of Scientific Translation . .	45
8073	18 और 21 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति	Persons between the Age Group of 18 and 21 years	46
8074	प्रवर्तन निदेशक के आदेशों के विरुद्ध की गई अपील	Appeals made against the orders of Director of Enforcement . . .	46

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8075	उड़ीसा के अराजपत्रित अधिकारियों का बड़ी संख्या में छुटी पर जाना	Non-Gazetted Officers of Orissa on Mass Leave	47
8076	औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र का योगदान	Role of Private Sector in Industrial Growth	48
8077	पांचवी योजना के दौरान अन्तरिक्ष सम्बन्धी तकनीकी जानकारी का विकास	Development of Space Technology during the Fifth Plan . . .	48
8078	राज्यों द्वारा नौकरियों के लिए अतिरिक्त धनराशि एकत्र करना	States to raise Extra Funds for Jobs .	49
8079	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को सैन्य क्षेत्र भत्ते की अदायगी	Payment of Military Area Allowance to Central Govt. State Government & Semi-Government Organisations Employees	49
8080	संगीत तथा नाटक विभाग के कर्मचारियों और कलाकारों की सेवा की शर्तें	Service Conditions of Employees and Artistes of Song and Drama Division	50
8081	मनीपुर में रेशम उत्पादन उद्योग का विकास	Development of Sericulture in Manipur	50
8082	मनीपुर, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा के व्यापक विकास के लिए विशेष आवंटन	Special Allocations for Comprehensive Development of Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura	51
8083	लाइसेंस प्रक्रिया में विलम्ब को दूर करने के उपाय	Steps to eliminate delays in Licensing procedure	52
8084	औद्योगिक एककों में परमाणु बिजली घर के उपकरणों का निमाण	Manufacture of Components of Nuclear Power Station in Industrial Units . .	52
8085	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पुर्नगठन	Re-organisation of the Department of Science and Technology. . .	53
8086	आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी का सरकारीकरण	Take over of Arthur Butlar and Company	53
8087	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates . .	54
8088	बिहार राज्य में बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशनों को सहायता देने के लिए धनराशि का आवंटन	Amount allotted to Bihar State for Providing Assistance to unemployed Engineers and Technicians . . .	55
8089	कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station at Cooch Behar, West-Bengal	56

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ AGES
8090	सामरिक महत्व के क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station in Strategic Areas	57
8091	कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना में प्रगति	Progress made in setting up of T.V. Centres in Calcutta	57
8092	कच्चे रेशम के मूल्यों का विनियमन	Regulation of Prices of Raw Silk .	58
8093	आकाशवाणी, नई दिल्ली में परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रसारण	Broadcast of Family Planning Programmes over AIR, Delhi . . .	58
8094	सैंटर फार स्टडी आफ डैवलपिंग सोसायटीज़	Centre for study of Developing Societies	59
8095	जूनागढ़ में टेलीफोनों की संख्या	Number of telephones in Junagarh	60
8096	गुजरात राज्य के पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in backward districts of Gujrat	61
8097	देश में सबसे अधिक और सबसे कम आय का अनुपात	Ratio of Income between the highest and lowest in the Country . .	61
8098	एकाधिकार वाले उद्योग गृहों का विस्तार	Growth of Monopoly Houses .	61
8099	उत्तर प्रदेश में सी०आई० ए० की गतिविधियां	Activities of C.I.A in Uttar Pradesh .	64
8100	राज्यों में औद्योगिक विकास	Industrial growth in states . .	64
8101	ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में एक सैनिक अधिकारी के घर में चोरी	Burglary in the house of an Army Officer in Greater Kailash, New Delhi . .	64
8102	दिल्ली प्रशासन द्वारा सीमेंट का वितरण	Distribution of Cement by Delhi Administration	65
8103	दिल्ली में सीमेंट की सप्लाई	Supply of Cement in Delhi. . .	65
8104	दयाल बाग काटन मिल्स, अमृतसर को बंद करना	Closure of Dayal Bagh Cotton Mill, Amritsar	65
8105	कच्चा लोहा तथा हार्ड कोक उपलब्ध न होने के कारण पंजाब में छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों का बंद होना	Closure of Small and Medium Industries in Punjab due to non-availability of pig-iron and hard coke . . .	6 6
8106	चौथी योजना में जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक विकास में अनुपात	Proportion of Growth of Population and Economic Development during Fourth Plan	66
8107	पिछड़े क्षेत्र में निवेश	Investment in Backward areas .	67
8108	टायरों की चोर बाजारी	Sale of Tyres in Black Market .	68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8109	परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा विदेशी जानकारी मंगाने का विरोध	Import of Know-how opposed by Chairman of Atomic Energy Commission .	68
8110	आदिवासी माता पिता से नहीं जन्में व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का हक ।	Title to Membership of [Scheduled Tribes to a Person not Born of Trible Parentage	68
8111	किसी व्यक्ति द्वारा अपने आप को अनुसूचित जनजाति का सदस्य सिद्ध करने हेतु संविधान में उपबंध	Provisions in the Constitution for a Person to Establish his Identity as a member of Scheduled Tribe . . .	69
8112	राजस्थान के वे जिले जहां देवनागरी में टेलीप्रिंटर लगे हैं	Rajasthan Districts with Teleprinters in "Devnagri"	69
8113	सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Government Offices .	69
8114	हिन्दी तारों पर अंग्रेजी में लिखे पते	Hindi Telegrams with Addresses in English	70
8115	केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहीत पंजाब की संकटग्रस्त कपड़ा मिलों में उत्पादन	Production in Sick Textile Mills in [Punjab taken over by Central Government	70
8116	उत्तर प्रदेश में आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchanges in U.P.	70
8117	ईंटों का मूल्य तथा ईंट उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Price of Bricks and Nationalisation of Bricks Industry	71
8118	स्वतन्त्रता सेनानियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव	Proposal to provide more facilities to Freedom Fighters	71
8119	डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में टेलीफोन के खम्भों की व्यवस्था	Provision of Telephone Poles in D.I.Z. Area, New Delhi	71
8120	भारत होते हुए नेपाल जाने वाले पाकिस्तानी	Pakistanis going to Nepal *via* India .	72
8121	भारत में षडयन्त्रकारियों को सहायता देने के लिए विदेशी तत्त्वों की भूमिका	Role of Foreign Elements in helping conspirators in India . .	72
8122	अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां देना	Scholarships to Candidates belonging to Scheduled Castes for Studies Abroad	72
8123	सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आदिवासियों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण	Education and Training of Adivasis for purposes of recruitment to Government Posts	73

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. No.		SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8124	मध्य प्रदेश में उद्योगों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Industries in M.P.	73
8125	टायर और ट्यूब निर्माता विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने नाम से विभिन्न वस्तुओं का अधिक दरों पर बेचा जाना	Sale of various goods by Foreign Tyre and Tube Manufacturing Companies in their names at high rates	74
8126	भारतीय पूंजी से सिगरेट कम्पनियों की स्थापना	Setting up of Cigarette Companies with Indian Capital	74
8127	अखिल भारतीय उर्दू सम्पादक सम्मेलन द्वारा उर्दू भाषा के साथ उचित व्यवहार के लिए दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by All India Urdu Editors' Conference for proper treatment to Urdu Language	75
8128	टिहरी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय	Lowest Per Capita Income in Tehri-Garhwal (Uttar Pradesh)	75
8129	पश्चिमी घाटों का विकास	Development of Western Ghats	76
8130	आंध्र पृथकतावादियों द्वारा सम्पत्ति नष्ट किए जाने का उद्देश्य तथा वित्तीय समर्थन के लिए उनके साधन	Destruction of Property by Andhra Separatists and Sources of their material support	77
8131	महाराष्ट्र के स्कूलों में वंदे मातरम् का गाया जाना	Singing of Vande Mataram in Maharashtra Schools	77
8132	समाचार पत्रों के विज्ञापनों के लिए स्थान की सीमा निर्धारित करने के बारे में प्रेस आयोग के सुझाव	Suggestions of Press Commission in Limiting Advertisement Space in Newspapers	78
8133	दिल्ली के एक मन्दिर में चढ़ावे के बटवारे को लेकर दो पुजारियों में झगड़ा	Quarrel between two Pujaris of a Temple in Delhi over the Division of Offerings	78
8134	कलकत्ता स्थित ऊषा सिलाई मशीन कारखाने में तालाबंदी	Lockout in Usha Sewing Machine Factory, Calcutta	79
8135	मैसूर सरकार द्वारा रेशम उत्पादन को दुगना करने का प्रस्ताव	Proposal for Doubling Silk Production by Mysore Government	79
8136	परमाणु ऊर्जा संस्थानों के कर्मचारियों के लिए "प्रोत्साहन बोनस योजना"	"Incentive Bonus Scheme" for Employees of Atomic Energy Establishments	79
8138	परमाणु ऊर्जा संस्थानों के तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay scales of Class III and IV Employees of Atomic Energy Establishments	80

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8139	सरकारी तथा गैर-सरकारी फर्मों द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग को उपकरणों की सप्लाई	Supply of components by Public and Private Concerns to the Department of Atomic Energy	80
8140	रेडियों-आइसोटोप्स का निर्यात	Export of Radio-Isotopes . .	80
8141	आदिवासि कार्यक्रमों के लिए सलाहकार पैनल	Consultative Panels for Tribal Programmes	81
8142	औद्योगिक कारखानों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा का सर्वेक्षण	Survey of U.P. and Haryana for setting up Industrial Projects . . .	81
8143	"प्लान बाडी रिजैक्ट्स मनीपुर्स डिमांड फार सीमेंट फैक्ट्री" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News report entitled "Plan body rejects Manipur' demand for Cement Factory"	81
8145	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यौन शिक्षा दिए जाने के लिए उठाए गए कदम	Imparting of Sex Education by Ministry of Information and Broadcasting .	82
8146	8 दिसम्बर, 1972 को हुआ राज्य के मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Ministers held on 8-12-72	82
8147	राजस्थान के जोधपुर जिले का विकास	Development of Jodhpur District of Rajasthan	83
8148	प्रधान मंत्री के निवास स्थान में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले जगोटा बन्धुओं के पास गोपनीय नौसेना सम्बन्धी आदेशों की प्रति का पाया जाना	Copy of confidential Naval Orders in possession of Jagota Brothers who tresspassed into Prime Minister's Residence	84
8149	देश में वैज्ञानिकों को कम सुविधाएं मिलने के कारण प्रतिभा पलायन	Brain Drain due to the meagre facilities to scientists in the Country . .	84
8150	अतिरिक्त व्यय किए बिना उद्योगों तथा विद्युत संयंत्रों से विद्युत जनन	Production of Energy from Industries and Power Plants without Extra Expenditure	85
8151	दिल्ली टेलीविजन केन्द्र का 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम	"Krishi Darshan" Programme of Delhi T.V. Centre	86
8152	बिहार में पम्पिग सेट बनाने का कारखाना	Pumping Set Manufacturing Factory in Bihar	86
8153	जामनगर में रह रहे कर्मचारियों को सैन्य क्षेत्र भत्ते	Military Area Allowances to the Employees residing in Jamnagar . .	87
8154	यौन तथा हिंसा का प्रचार करने वाली फिल्मों पर प्रतिबंध	Banning of Films depicting Sex and violence	87

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAEGS
8155	तीव्रगति से आर्थिक प्रगति	Accelerated Economic Growth .	87
8156	उड़ीसा में एकाधिकार गृहों का पूंजी निवेश तथा परिसम्पत्तियां	Investment and Assets of Monopoly Houses in Orissa	88
8157	महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए स्थान का चयन	Location of Public Sector Projects in Maharashtra . . .	88
8158	मध्य प्रदेश के भोपाल सर्किल में टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट का बनाया जाना	Formation of a Telephone District in Bhopal Circle of M.P.	88
8159	मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता द्वारा नए एककों का खोला जाना	Opening New Units by M/s. J. Stone and Co. (India) Private Limited, Calcutta	89
8160	थाना क्षेत्र (महाराष्ट्र) में जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के कार्य की जांच	Enquiry into functioning of J. Stone and Co. (India) Ltd. Calcutta in Thana area (Maharashtra) . .	89
8161	विदेशी मुद्रा की बचत के लिए जे० स्टोन एण्ड कम्पनी का शीघ्रता से विस्तार	Expeditious expansion of J. Stone and Co. for Saving Foreign Exchange .	90
8162	जे० स्टोन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता का पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बदला जाना	Conversion of J. Stone and Co., Calcutta into Public Ltd. Co. . . .	90
8163	पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रचार	Field Publicity in Hilly Areas . .	91
8164	संविधान में शामिल न की गई क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण	Film Production in Regional Languages not included in Constitution . .	93
8165	भारत के डाक मंडलों में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था	Provision of Staff Quarters to P. and T employees in Postal Divisions of India	93
8166	संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल में संचार व्यवस्था विकास	Development of Communications in Union Territory of Arunachal .	95
8167	हिमाचल प्रदेश में 1972-73 में डाक क्लर्कों की भर्ती	Recruitment of postal clerks in Himachal Pradesh during 1972-73 . .	96
8168	नए पूंजी लगाने वाले लोगों का मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए एजन्सियां	Agencies for providing guidance to new investors	96

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8169	केन्द्रीय सरकारी अधिकारी संघ के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा मितव्ययता की नीति बनाने हेतु एक बैठक बुलाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से अनुरोध	Request by the All India Confederation of Central Government Officer's Association to P.M. to convene a meeting to evolve a policy for general austerity	97
8170	बम्बई में सीमेंट की भारी कमी	Cement femine in Bombay . .	97
8171	राजस्थान में कुछ समाचार पत्रों को अखबारी कागज का कोटा	Some newspapers in Rajasthan without newsprint quota	98
8172.	अन्य मंत्रालयों से कार्मिक आयोजना स्कन्ध में प्रतिनियुक्त पर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी	Class I and Class II officers in the personnel Planning wing on Deputation from other Ministries . . .	98
8173.	मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्मिक विभाग के कृत्य के समान वाले कार्मिक नीति और नियोजन विभाग	Personnel Policy and Planning Wing in the Cabinet Secretariat having the same functions as the Department of Personnel	99
8174	राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा सीमेंट कारखानों की स्थापना	Setting up of Cement factories by state Industrial Development Corporations	99
8175	अयोध्या टैक्सटाइल मिल, दिल्ली को नियंत्रण में लेना	Take over of Ayodhya Textile Mills, Delhi	100
8176	विज्ञान और प्रौद्योगिक सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति का दर्जा घटाया जाना	Downgrading National Committee on Science and Technology from its original status	100
8177	अन्टार्कटिका के रूसी वैज्ञानिक अभियान में भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientist in the Soviet Scientific expedition to Antarctica . .	101
8179	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त परियोजनाओं की मंजूरी	Sanction of additional projects in backward areas during Fifth Five Year Plan	101
8180	तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर चोरी हुए समान की रिपोर्ट दर्ज करना	Registration of reports of Stolen goods by Tilak Marg Police Station . .	101
8181	सराय रोहिल्ला, दिल्ली में हत्या डैकती, गैर-कानूनी शराब बनाने के मामलों में वृद्धि	Increase in the cases of murder, robberies, illegal distillation in Sarai Rohilla, Delhi	102
8182	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	Minimum needs Programme .	102
8183	नया 'सैल्फ़ इन्किग रोलर फ्रेंकर'	New self-in king Roller Franker	104
8184	त्रिपुरा में आदिवासी लोग	Tribal People in Tripura . . .	104
8185	भारतीय सिनेमा तथा विश्व के सिनेमा के बीच अन्तर्सांस्कृतिक समालोचन	Inter-cultural Appreciation between Indian cinema and world cinema .	105

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8186	भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पदोन्नति सम्बन्धी कोटे में वृद्धि करने के लिए राजस्थान सरकार का अनुरोध	Request by Rajasthan Government to increase Promotion Quota of Rajasthan Administrative Services in I.A.S.	105
8187	"फाल्टी प्लानिंग डिलेज प्राफिट्स (त्रुटिपूर्ण आयोजना से लाभ मिलने में विलम्ब)" शीर्षक से समाचार	News—report entitled "Faulty Planning Delays Profits" . . .	106
8189	नेपाली भाषा का संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना	Inclusion of Nepali Language in Eighth Schedule of the Constitution . .	106
8190	बड़े नगरों में सीमेंट का वितरण	Distribution of Cement in Big Cities .	106
8191	आई० टी० आई० और पूर्व अफ्रीकी डाक-तार निगम के बीच समझौता	Agreement between I.T.I. and East African P and T Corporation . .	107
8192	हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi	107
8193	दोषी ड्राइवरों को कड़ा दण्ड देने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क का संशोधन	Amendment of section 304-A of Indian Penal Code in order to give Deterrent punishment to offending Drivers .	108
8194	सरकारी सेवाओं में इंजीनियरों की भर्ती के लिए सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा	General English Test for recruitment of Engineers to Government Services .	108
8195	अल्मोड़ा में सिल्लिमैनाईट संयंत्र	Sillimanite Plant in Almora . .	109
8196	कर्मचारियों द्वारा हिन्दी परीक्षाओं को पास करना	Passing of Hindi Examinations by Employees	109
8197	स्थायी अग्नि सलाहकार समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक	Meeting of Standing Fire Advisory Committee held in New Delhi. .	110
8198	बिना डाकघर वाले मास्टर प्लान के अन्तर्गत आये गांव	Villages covered by Master Plan without Post offices	110
8199	विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना	Grant of Indian Citizenship to persons coming from other countries . .	110
8200	हिन्दी सलाहकार समितियां	Hindi Advisory Committees .	111
8201	भारत निर्मित उपग्रह रूस से छोड़ना	Launching of Indian made satellite from U.S.S.R.	112

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8202	'अन्तर स्पूतनिक' उपग्रह संचार-प्रणाली में शामिल होने के लिये रूस से बातचीत	Discussions with USSR for joining "Inter Sputnik" Satellite Communication System	113
8203	कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग के प्रशिक्षण डिवीजन में एक अनुसंधान अधिकारी की पदोन्नति	Promotion of a Research Officer in the Training Division of the Department of Personnel and Administrative Reforms	113
8204	कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 'ट्रेनिंग एण्ड कैरिअर मैनेजमेंट डिवीजन' में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के पदों के लिए भर्ती सम्बन्धी नियम	Recruitment Rules for the posts of Senior Research Officers in Training and Career Management Division of the Department of Personnel and Administrative Reforms	113
8205	मैसर्स गोल्डन टोबैको कम्पनी लिमिटेड द्वारा डाक नियमों का कथित उल्लंघन	Alleged violation of Postal Rules by M/s Golden Tobacco Company Ltd..	114
8206	डाक-तार विभाग की उपलब्धियों में कमी	Shortfalls in Achievements of P and T Department	114
8207	मध्यम दर्जे के उद्यमों की प्रगति का मूल्यांकन करने सम्बन्धी समिति	Committee to Review the Growth of Medium Enterprises . . .	115
8208	पांचवीं योजना के लिए राज्यों को धन का नियतन	Allocations to States for Fifth Plan	116
8209	मिश्र के साथ तकनीकी सहयोग करार	Technical Co-operation Pact with Egypt	116
8210	वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक प्रभाग के कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of office of Scientific and Technical Personnel Division . .	116
8211	पश्चिम बंगाल द्वारा जिला योजनाओं का निरुपण	Formulation of District Plans by West Bengal	117
8212	वीरभूम जिला (पश्चिम बंगाल) का विकास	Development of Birbhum District (W. Bengal)	117
8213	राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, दिल्ली में कार्यरत वैज्ञानिक	Scientists working in National Physical Laboratory, Delhi	118
8214	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया तीन विभीतिय वाली फोटोग्राफी	Three Dimensional Photography produced by Scientists of National Laboratory, Delhi	119

अ० ता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8215 राजौरी गार्डन में एक सिले-सिलाए कपड़ों की दुकान को गुण्डों द्वारा आग लगाया जाना	Setting on Fire a Garment shop in Rajouri Garden by Goondas . .	119
8216 पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	Reservation for SC/ST in the Posts filled by promotion . . .	120
8217 मद्रास में टेलीविजन केन्द्र	T.V. Station in Madras	120
8218 औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का तकनीकी आर्थिक परीक्षण	Techno-Economic Survey of Industrially Backward Districts . .	121
8219 लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीकृत एजेन्सी	Centralised agency to supply information to Enterprenuers for setting up small industries . .	121
8220 छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों की गणना	Census of small scale Industrial units .	122
8221 दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की कल्याण एसोसियेशनों को दिए गए अनुदान	Grants given to Welfare Associations of Government Employees in Delhi .	123
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	123
राजस्थान में बिजली का भारी संकट और उसके परिणामस्वरूप कोटा स्थित परमाणु बिजली संयंत्र और अन्य दो संयंत्रों के बन्द हो जाने का समाचार	Reported acute power crisis in Rajasthan causing closure of Atomic Power Plant at Kota and two other Plants	123
श्री नरेंद्र कुमार सांघी	Sh. N. K. Sanghi	123
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	123
दिल्ली में विद्युत सप्लाई के बंद होने के बारे में	Re Break-down of Power Supply in Delhi	127
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table . . .	128
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 26 वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolutions Twenty-sixth Report	129
लोक-लेखा समिति	Public Accounts Committee	
84वां, 87 वां तथा 91 वां प्रतिवेदन	Eighty-fourth, Eighty-seventh and Ninetyfirst Report . . .	129
रेलवे अभिसमय समिति चौथा प्रतिवेदन	Railway Convention Committee Fourth Report	129
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	
37वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Thirty-seventh Report and Minutes	130

29 LSS/73—2

अ० ता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति 32वां और 34 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Committee on Public Undertakings Thirty-second and Thirty-fourth Reports and Minutes . . .	130
दिल्ली विद्युत सप्लाई के बंद होने के के बारे में वक्तव्य	Statement re Break-down of Power Supply in Delhi . . .	130
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	130
राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक	Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Bill	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee . .	131
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377	132
(i) मध्यावधि चुनाव से पूर्व उड़ीसा में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में	(i) Re Delimitation of Constituencies in Orissa before mid-term elections .	132
(ii) उत्तर बिहार में मिट्टी के तेल की कमी	(ii) Shortage of Kerosene oil in North Bihar	132
(iii) विशेषाधिकार समिति के 12वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चौथी लोक सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बारे में	(iii) Re Motion passed by fourth Lok Sabha on the Twelfth Report of the Committee of Privileges	132
अनुदानों की मांगें, 1973-74 रक्षा मंत्रालय	Demands for Grants, 1973-74 Ministry of Defence . . .	137
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh	137
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	138
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	140
श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C.T. Dhandapani . .	140
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev . .	142
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty .	143
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar .	144
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen .	144
श्री पी० एन० सोलंकी	Shri P. N. Solanki .	146
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	147
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik . .	150

विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
दिल्ली में बिजल सप्लाई बंद होने के बारे में चर्चा	Discussiou re Break-down of Power Supply in Delhi	151
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	151
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . . .	152
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder . . .	153
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	153
श्री हुक्म चंद कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	153
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi .	154
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . . .	154
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	154
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	155
श्री एम० सत्यानारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao . .	156
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee.	156
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim . .	156
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee . .	156
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	156

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 25 अप्रैल, 1973/5 वैशाख, 1895 (शक)

Wednesday, April 25, 1973/Vaisakha 5, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at three minutes past Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्दू समाचार पत्रों की समस्यायें

*841. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1973 के "नेशनल हेरल्ड" में "प्राबलैम्र्ज आॅफ उर्दू प्रैस (उर्दू समाचार पत्रों की समस्यायें)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा दिया गया है।

"नेशनल हेरल्ड" में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय उर्दू संपादक सम्मेलन में व्यक्त विभिन्न विचारों को प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट में कार्यवाही के लिए निम्न-लिखित सुझाव हैं :—

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में टैलीग्राफी में प्रशिक्षण आरम्भ करना तथा मुद्रण प्रविधियों में सुधार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना,

(2) उर्दू के समाचार पत्रों को अधिक अखबारी कागज दिया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान कोटा उनकी आवश्यकताओं की तुलना में नगण्य है,

(3) उर्दू पत्रकारिता का भविष्य उर्दू भाषा के भविष्य से बन्धा हुआ है तथा उर्दू पत्रकारिता में सुधार के लिए उर्दू को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली तथा अन्य उर्दू भाषी क्षेत्रों में एक सरकारी भाषा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

सम्मेलन में व्यक्त विचारों तथा सुझावों को सरकार ने नोट कर लिया है।

सरकार देश में उर्दू के विकास के लिए सभी उपायों को करने के लिए उत्सुक है तथा एक उच्च-स्तरीय समिति उर्दू पत्रकारिता के विकास के लिए अपेक्षित उपायों समेत, इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार कर रही है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कुछ ऐसी बातें कहीं है जो पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान उसके उस भाग की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के अन्तर्गत समाचार पत्रों पर लगाए गये 85 प्रतिशत आरोप उर्दू पत्रों के विरुद्ध थे जिनमें से 90 प्रतिशत निर्दोष पाए गये और बरी कर दिये गये। क्या यह उर्दू समाचार पत्रों पर ही मुकद्दमा चलाना नहीं है। उर्दू समाचार पत्रों के विरुद्ध इस प्रकार मुकद्दमें चलाना रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाई की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : सम्मेलन परिषद् के समय परिषद् का एक प्रतिनिधि-मण्डल प्रधान मंत्री और मुझसे मिला था उन्होंने कुछ बातें उठाई थीं। पहली बात तो यह कि मुकद्दमें राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं। इस सम्बन्ध में हम जांच कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि शिकायत बेबुनियाद नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : वक्तव्य में कहा गया है कि एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति मामले की जांच कर रही है। भोपाल के मंत्री ने बताया कि प्रतिवेदन जून के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा। क्या यह तब तक प्राप्त हो जायेगा? दूसरे प्रतिवेदन के आने से पहले सरकार अखबारी कागज तथा अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्ण निर्णय क्यों नहीं ले सकती?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : सहानुभूतिपूर्ण कार्यवाई का आश्वासन मैं प्रतिनिधि मंडल को दे चुका हूं, और सरकार उर्दू समाचार पत्रों के प्रति ऐसा ही रुख अपनाने की इच्छुक है। इसी कारण हम अखबारी कागज और विज्ञापन देने के सम्बन्ध में अपनी नीति में आमूल परिवर्तन कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में अनुकूल रुख अपना रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उर्दू समाचार पत्र भारत सरकार द्वारा उनके प्रति अपनाए जा रहे रुख को अनुभव कर रहे हैं।

Shri Nar Singh Narain Pandey : May I know whether Government is aware of the fact that the state Governments prosecutes the Press on the basis of the reports of District Magistrates or on the basis of the information collected by their own Information Department? Will the hon. Minister give any guide lines by calling a conference of Information Ministers ?

Shri I. K. Gujral : Some cases have come to our knowledge where the prosecution was started at the instance of District Magistrates and in certain cases Information Department had gone into the matter. We are issuing instructions that if they should take our advice before launching prosecution, that will be good.

Shri Shamim Ahmed Sham m : Is the hon. Minister aware of the facts that some Urdu news papers were prosecuted under section 153(A) on grounds of religion who published only the translation of the matters of English papers, while no action had been taken against the papers who originally published the matter. Does the hon. Minister know that a case was registered against Mr. Khushtai Garami, Editor, "The Biswin Sadi", under section 153(a), but when it was found that his actual name was Ram Rabha Mal, and he was not a Muslim, the case was withdrawn ?

Shri I. K. Gujral : There have been certain cases in which prosecution had been aunched on the basis of translation. Attention of State Governments have been drawn-towards that so far as the case of Biswin Sadi is concerned, when it was found that the case should not be proceeded, the State Government immediately took the case withdrew.

Shri Shashi Bhushan : What steps are being taken so that the Urdu Papers may merge in the National stream. What percentage of advertisements are given to them and what guidance is given regarding the false cases instituted against Urdu papers ? Has any action been taken against other communal Hindi papers ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Does Urdu means Musalman ?

Shri I. K. Gujral : Urdu papers are not limited to Muslims only. The Urdu papers do not get adequate advertisement support. That is why we are changing our policy in this regard. Action is taken against Communal papers irrespective of the language.

Shri S. M. Banerjee : Some time back a suggestion was given that the speaches delivered in Urdu in this House should be printed in Urdu. You also supported the idea. It was the practice in the time of Maulana Azad. So I request the ministers through you that proceedings of the House should be printed in Urdu also. (*interruption*) Urdu papers cannot reproduce the proceedings because they are printed in English or Hindi.

Mr. Speaker : That is for me to answer.

Shri S. M. Banerjee : News papers dealers do not purchase them because they do not contain the proceedings in Urdu. I am saying about something which had been the practice in this House. Arrangement should be made so that the Urdu papers may also publish the proceedings.

Mr. Speaker : If it is only limited upto Urdu then it is alright but it will go further even.

Shri Madhu Limaye : Will the hon. Minister let the House know the percentage of advertisements given to Urdu and other language papers and English papers ? With this he may also inform the house as to how many cases are pending against the Editors and journalists of Urdu Papers ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : विभिन्न भाषाओं को दिए जाने वाले विज्ञापनों का प्रतिशत बताने के लिए मुझे समय चाहिए। परन्तु इतना मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि उर्दू पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों में पर्याप्त सुधार करने की आवश्यकता है।

So far as the numbers of cases againts these papers is concerned that information is not available. Complete data about this is kept by the Home Ministry.

Shri M. Ramgopal Reddy : Will the Central Government ask the State Governments to withdraw all the pending cases ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इस सम्बन्ध में हमारे आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Under Section 153-A was included in the law it was doutbted that it will be misused. Now I want to know whether government is considering to delete this section ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे मित्र मामले को बढ़ा-चढ़ा कर कह रहे हैं। ऐसे बहुत कम मामलें हैं जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों का इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि इनमें अन्याय हुआ। ऐसे एक या दो मामले हैं पर ऐसा कह देना सीमा का अतिक्रमण होगा कि धारा 153-ए का उचित उपयोग नहीं किया गया।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली में उर्दू को राज्य की भाषाओं में शामिल करने के तीसरे सुझाव को देखते हुए सरकार का निकट भविष्य में कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे मित्र देखेंगे कि सुझाव संख्या 3 की घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। यह परिषद् का एक सुझाव था कि इन राज्यों में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाया जाये। उर्दू समिति इस विषय पर भी विचार कर रही है।

राजकोट से अहमदाबाद तक सीधी टेलीफोन लाइन

*842. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट से अहमदाबाद तक सीधी टेलीफोन लाइन है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त लाइन का गांधीनगर तक बिस्तार करने का है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) जी हां।

Shri Arvind Patel : When willl the direct line between Rajkot and Gandhi Nagar be opened ?

Shri Jagannath Pahadia : It will be opened in this very financial year.

Shri Arvind Patel : Ahmedabad Gandhi Nagar direct line is working in the residances of Ministers, in Secretariats and offices. Will this be extented upto the residances of M.L.A.'s. ?

Shri Jagannath Pahadia : Yes, it is under consideration.

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या यह सही है कि इस समय अहमदाबाद और गांधी नगर के बीच कोई सीधी लाइन नहीं है ? दूसरे यह कि दिल्ली और गांधी नगर के बीच मंत्रियों के लिए 'हाट लाइन' किस प्रकार उपलब्ध है जबकि आम जनता के लिए नहीं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : यह कहना गलत है कि यहां और दक्षिण अथवा अहमदाबाद में किसी भी मंत्री के बीच "हाट लाइन" है। पर यह सही है कि अहमदाबाद और गांधी नगर को सीधे डायल करने की प्रणाली से जोड़ा जा रहा है क्योंकि सूक्ष्म तंरग (माइक्रो वेव) संचार सेवा लगाई जा रही है और यह इसी वित्तीय वर्ष में चालू हो जायेगी।

मनीपुर के वीर तिकेन्द्र जीत की स्मृति में डाक टिकट

*843. **श्री न० टोम्बी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनीपुर के वीर तिकेन्द्र जीत की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह डाक टिकट आगामी 13 अगस्त को, जिस दिन वीर तिकेन्द्र जीत को वर्ष 1891 में फांसी पर लटकाया गया था, जारी किया जायेगा ; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :(क) से (ग) सरकार की यह हार्दिक इच्छा थी कि वह हर शहीद के सम्मान में एक-एक विशेष डाक-टिकट निकाले लेकिन उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो सका। अतः यह फैसला किया गया कि उन सभी शहीदों की पुण्य स्मृति में एक विशेष डाक टिकट निकाल कर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाय जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जिन्दगी कुर्बान कर दी थी। यह विशेष डाक-टिकट जलियांवाला बाग दिवस पर 13 अप्रैल, 1973 को जारी किया जा चुका है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : सरकार ने किन-किन शहीदों के सम्मान में अब तक डाक-टिकट जारी किये हैं ? जब शहीदों के सम्मान में डाक-टिकट जारी करना बन्द करने का निर्णय किया गया था तब क्या सरकार ने शेष बचे शहीदों की पृष्ठ भूमि की जांच कर लेने का खास ख्याल रखा था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : शहीदों के सम्मान में डाक-टिकट जारी करना बन्द कर देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वस्तुतः तो हमने अपने शहीदों के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट हाल ही में जारी किया है। सौभाग्य से हमारे देश में असंख्य शहीद हुए हैं। प्रत्येक शहीद की स्मृति में व्यक्तिगत रूप से पृथक पृथक डाक टिकट जारी करना सम्भव नहीं है। जहां तक व्यक्तियों की बात है हमने विशिष्ट रूप में सरदार भगत सिंह जैसे शहीदों की स्मृति में डाक टिकट जारी किए हैं।

श्री एन० टोम्बी सिंह : मैं नहीं समझता कि प्रत्येक शहीद की स्मृति में डाक टिकट जारी करने में सरकार को क्या कठिनाई हो सकती है। परन्तु हम सभी की दृष्टि से कि कुछ ऐसे विशिष्ट शहीद भी हुए हैं जिन्होंने कतिपय राज्यों के कतिपय लोगों के स्वाधीनता-प्रेम का प्रतिनिधित्व किया था, और कि ऐसे शहीदों को सम्मान देकर सरकार केवल उन विशिष्ट व्यक्तियों को नहीं बल्कि उन क्षेत्रों के लोगों को भी सम्मान देगी जिनका उन शहीदों ने प्रतिनिधित्व किया क्या सरकार उस वीर तिकेन्द्रजीत के मामले में जिसके नेतृत्व में वर्ष 1891 में मनीपुर के लोगों ने लड़ाई लड़ी तथा हजारों की संख्या में शहीद हुए, उनको तथा वहां के लोगों को सम्मान देने के लिये एक स्मारक डाक-टिकट जारी करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट उस शहीद के लिये तथा मनीपुर के लोगों की भावनाओं के प्रति हमारे हृदय में बड़ा ही सम्मान है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, हमने न तो उसे स्वीकार ही किया है और न ही अस्वीकार किया है। ऐसे सभी प्रस्ताव या सुझाव टिकट-संकलन सलाहकार समिति को भेज दिये जाते हैं और उसी की सलाह का सरकार प्रायः अनुसरण करती है।

Shri Phool Chand Verma : May I know whether any policy or criterion has been prescribed in regard to issuance of a memorial postage stamp? Secondly, fortunately the hon. Prime Minister is also present in the House, when she visited Indore in 1972, she spoke very high of revered Devi Ahilya also. She was presented a memorandum to the effect that a Commemoration stamp should be issued after the name of Devi Ahilya. Quite a number of questions have been revised in this connection in this House also. I want to know whether there is any proposal under consideration for issuing a postage stamp in the memory of Devi Ahilya?

Mr. Speaker : How did you link this question with the main question?

Shri Phool Chand Verma : I had heard the Prime Minister's speech very attentively.

Mr. Speaker : The question is of relevance and not that of Prime Minister's speech.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार को वीर तिकेन्द्र जीत के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करने संबंधी कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? जहां तक मुझे याद है एक भूतपूर्व संसद सदस्य श्री ललित शर्मा ने प्रस्ताव रखा था कि वीर तिकेन्द्र जीत का एक चित्र संसद-भवन में लगाया जाये? क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा : यह प्रश्न तो मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

Mr. Speaker : Regarding Parliament House please contact me.

नवम्बर-दिसम्बर, 1972 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

*844. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर और दिसम्बर, 1972 के महीनों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सम्बन्धी आंकड़े इस बीच प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन महीनों में हुए औद्योगिक विकास का व्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) औद्योगिक उत्पादन का सरकारी सूचकांक केवल नवम्बर, 1972 तक ही उपलब्ध है।

(ख) नवम्बर में औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक 198.0 था। नवम्बर, 1971 में हुए उत्पादन की तुलना में वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत हुई। 1972 के पहले ग्यारह महीनों में (जनवरी से नवम्बर) वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत थी जबकि 1971 में उसी अवधि में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : विशेष रूप से नवम्बर तथा दिसम्बर महीनों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पूछने का कारण यह है कि औद्योगिक उत्पादन की सामान्य प्रणाली यह रही है कि वर्ष के पूर्वीवर्ती भाग में उत्पादन की दर कम रहते हुए भी यह बढ़ जाती है और नवम्बर तथा दिसम्बर के आंकड़े सब से ऊंचे हैं। दिसम्बर, 1970 में यह सूचकांक दूसरे नम्बर पर था जबकि दिसम्बर, 1971 में सर्वोच्च था। क्या सरकार औद्योगिक उत्पादन में इस सर्वथा विपरीत स्थिति का कारण बतायेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक गत ग्यारह महीने के औद्योगिक उत्पादन का संबंध है, गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में, यह निरन्तर बढ़ता रहा है; अर्थात वर्ष 1971 के 2.8 प्रतिशत की तुलना में 7.0 प्रतिशत हुआ है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): माननीय सदस्य का कहना है कि प्राय: नवम्बर तथा दिसम्बर के महीनों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दुर्भाग्य से इसका कारण यह है कि इन महीनों में हमारे पास बिजली की कमी रही और यही कारण है कि उत्पादन दर में गिरावट आयी। शायद दिसम्बर, जनवरी, फरवरी तथा मार्च में और भी अधिक कमी अनुभव हो।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : बिजली की तो निस्सन्देह कमी है और साथ में लाइसेंस नीति भी रुकावट बनी है क्योंकि आज स्थिति यह है कि किसी भी उद्योग को तब तक उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि उसे इस विशिष्ट मद का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस प्राप्त न हो, भले ही उसके पास अतिरिक्त क्षमता विद्यमान हो जिसका कि उपयोग किया जाना है और इन में ऐसी मदें भी हैं जिनका सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अन्तर्गत मैं वह क्षमता शामिल नहीं कर रहा हूं जोकि एम आर टी पी अधिनियम के अन्तर्गत आती है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि जहां क्षमता उपलब्ध है और ऐसी मदें हैं जिनकी सप्लाई कम है, फिर भी आप उस लाल फीताशाही को समाप्त क्यों नहीं करते तथा इन कृत्रिम तथा शीघ्र ही हल किये जाने वाले मामले का हल क्यों नहीं निकालते ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम . हमने ऐसे कुछ उद्योगों की क्षमता के बारे में प्रतिबन्धों को शतप्रतिशत सीमा तक छूट दे दी है जोकि हमारे आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण है और वह छूट लागू भी हो गई है। हमने बढ़ी हुई क्षमता को मान्यता दी है। परन्तु मुख्य समस्या बिजली की है और बिजली के बिना अधिक क्षमता को केवल मान्यता दे देने से ही अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही . मार्च, 1972 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 208.0 पहुंच गया था। परन्तु नवम्बर, 1972 में वह घट कर 198.0 तक आ गया। हम देखते हैं कि नवम्बर, 1972 में औद्योगिक वृद्धि-दर सामान्य रूप से उतनी नहीं रही जितनी कि नवम्बर, 1970 तथा 1971 में थी। यह सामान्य स्थिति नहीं है। यह सूचकांक 208.0 से घटकर 198.0 आ गया है। दिसम्बर में यह और भी घट गया। फिर जनवरी, फ़रवरी तथा मार्च, 1973 में यह और भी नीचे आ गया अर्थात औद्योगिक वृद्धि एक प्रतिशत और घट गई। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि औद्योगिक उत्पादन के संबंध में इस अनियमतता को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यह इतनी तेज़ी से क्यों घटता है। उद्योग में 50 से 60 प्रतिशत की अप्रयुक्त क्षमता को तुरंत ही उपयोग में लाने के लिये क्या क़दम उठाये जा रहे हैं ? इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह सच है कि उत्पादन सूचकांक मार्च में न्यूनाधिक असामान्य रूप से 196 से बढ़कर 208 पहुंच गया था। अप्रैल में यह घटकर 190 रह गया। इसलिये किसी विशिष्ट महीने के आंकड़े लेने की बजाये जोकि किन्हीं असामान्य कारणों से इस अवधि में विशिष्ट हो सकते हैं, हमें वर्ष-भर का औसत लेना चाहिये।

परन्तु जहां तक औद्योगिक उत्पादन का संबंध है हम विद्युत की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठा रहे हैं और बहुत थोड़ी-सी अवधि में हम कोई आश्चर्यजनक कार्य तो नहीं कर सकते, फिर भी इस स्थिति में सुधार कर सकना संभव है और हमें आशा है कि कम से कम इस वर्ष के अन्त तक तो यदि बिजली की सारी कमी को नहीं तो एक सन्तोषजनक स्तर तक तो बिजली की कमी पूरी कर सकेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अप्रयुक्त क्षमता का क्या होगा ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : अप्रयुक्त क्षमता का यथावश्यक प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग करना कच्चे माल की सप्लाई और विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकारी उपक्रमों से संबंद्ध औद्योगिक एकको में कर्मचारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा? यदि हां, तो क्या उन्हें अथवा उनके प्रतिनिधियों को विभिन्न बोर्डों तथा समितियों में शामिल करने के लिये कोई नीति-निर्णय किया गया है ताकि उत्पादन में वृद्धि तथा औद्योगिक शांति बनाई रखी जा सके ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : कर्मचारियों के शामिल किये जाने के बारे में मैं ब्यौरा नहीं दे सकता ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो यह अच्छा है कि आप उन्हें इसकी सूचना दें। मैं उन्हें उत्तर देने को मना तो नहीं करता। वह इसके लिये पूर्व सूचना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ राव : औद्योगिक उत्पादन दरों के पूंजी निवेश पर भी निर्भर करता है। क्या मैं जान सकता हूं कि छोटे, बीच के दर्जे तथा बड़े इन विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1972 के पहले 10 महीनों में कितना पूंजी निवेश किया गया ताकि उससे हमें औद्योगिक वृद्धि का सूचकांक उपलब्ध हो सके ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं सारा ब्यौरा दे चुका हूं।

श्री जगन्नाथ राव : आपने नहीं दिया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या औद्योगिक उत्पादन से इन संस्थाओं में रोज़गार क्षमता के अन्तर्गत वृद्धि के बारे में कोई अनुमान मिल सकेगा ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह तो एक सर्वथा अलग प्रश्न है। यह प्रश्न औद्योगिक सूचकांक के बारे में है। यदि मेरे माननीय मित्र अलग से प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर दे सकूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just now admitted that the industrial production has decreased. The basic reason for a downfall in production

s that the labour problems are not solved in time and properly. I want to know whether the Government are thinking to solve the labour problems forth with and provide for workers, share in the profits, so as to augment production ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि आंकड़े उपलब्ध हैं अथवा नहीं। आप तो सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just now admitted that the industrial production has gone down. Because the various problems of the workers are not solved, it results in fall in production. I want to know whether the Government are considering to solve their problems ?

अध्यक्ष महोदय : तारांकित प्रश्न संख्या 845 —

श्री प्रियरंजन दास मुंशी
श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ } अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या 846—
श्री एस० एन० मिश्र
श्री वीरेन्द्रसिंह राव } अनुपस्थित

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, हैदराबाद द्वारा टेलीविजन प्रौद्योगिकी में हिस्सा बढ़ाने का प्रस्ताव

*847. **श्री राम प्रकाश** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का विचार टेलीविजन प्रौद्योगिकी सम्बन्धी जानकारी लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिए चुने गये निर्माताओं के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) हैदराबाद स्थित, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० ने टी० वी० रिसीवरों के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग जानकारी का विकास कर लिया है। यह जानकारी स्वीकृत पक्षों को दी जा रही है, विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र में तथा राज्य लघु उद्योग विकास निगम द्वारा ज्ञापित पक्षों को प्रदान की जा रही है। हैदराबाद में एक कम्पनी, मैसर्स भारत टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, जो आंध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम का संयुक्त उद्योग है, ने 1972 में, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से जानकारी को स्थानान्तरण करने का समझौता किया है। उड़ीसा लघु उद्योग निगम से ऐसी ही वार्तालाप प्रगति पर है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : आंध्र प्रदेश लघु उद्योग औद्योगिक विकास निगम ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का निर्णय किया था और वर्ष 1972 में इस संबंध में एक करार हो गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस निगम ने इस करार में किसी निश्चित तिथि का उल्लेख किया है जबकि टेलीविजन सेटों का निर्माण आरंभ कर दिया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। हम कभी कोई तारीख निश्चित नहीं किया करते हैं। तारीख का निर्धारण वही करते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : यदि कोई तारीख़ निश्चित नहीं की गई है तो संभव है मामला लम्बा हो जाये और इस प्रकार वे अन्य कंपनियों को उक्त तकनीकी जानकारी में भागीदार होने से वंचित रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उनके पास जानकारी नहीं है।

वर्धा में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

*848 **श्री जे० जी० कदम :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा जिले में कोई बड़ा औद्योगिक उपक्रम नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्धा जिले के औद्योगिक विकास के लिए यहां सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने हेतु कोई कार्यवाही करने की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्धा जिले में केन्द्रीय क्षेत्र में इस समय कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है। किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित पांच औद्योगिक उपक्रम वर्धा जिले में स्थापित हैं :—

उपक्रम का नाम	निर्माण की वस्तु
1. पुलगांव काटन मिल्स लि०, पुलगांव	सूती धागे और सूती कपड़ा।
2. राय साहिब रेखाचन्द्र मोहता स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, हिंगनघाट।	कपड़ा और धागे।
3. आर० बी० बंसीलाल, अबीरचन्द्र स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, हिंगनघाट।	सूती धागे।
4. प्रकाश वेजीटेबल आयल प्रोडक्ट, वर्धा।	बिनौले का तेल
5. प्रकाश वनस्पति उद्योग, वर्धा	वनस्पति।

(ख) वर्धा जिले में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई भी नया उद्योग स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ी नहीं उठता।

श्री जे० जी० कदम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने वर्धा में हैवी प्लेट एण्ड फौर्ज फाऊंडरी इंडस्ट्री की स्थापना के लिये सर्वेक्षण किया है और कुछ वर्ष पूर्व भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत गजट अधिसूचना जारी की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : विवरण में बताया गया है कि वर्धा में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योग पहले से चल रहे हैं। वर्धा को पिछड़ा जिला नहीं स्वीकार किया गया है। इस समय वहां पर कोई सरकारी उपक्रम स्थापित करने का विचार नहीं है।

श्री जे० जी० कदम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे मंत्रालय द्वारा वर्धा में रेलवे स्लीपर निर्माण उद्योग की स्थापना के लिए हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक भारत सरकार का संबंध है, आरम्भ में एक फाऊंडरी परियोजना और दूसरे हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड से सम्बन्धित एक अन्य उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव था। परन्तु बाद में यह पता चला कि ये दो उद्योग वहां पर स्थापित नहीं किये जा सकते।

श्री बसन्त साठे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये दो उद्योग वर्धा में स्थापित करना इसलिए संभव नहीं था कि यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे? क्या सरकार वर्धा में अथवा उसके आस-पास कोई बड़ा सरकारी उद्योग खोलने पर विचार करेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : आरम्भिक स्तर पर इन दो उद्योगों की स्थापना करने का विचार था। परन्तु बाद में यह पता चला कि जहां तक फाऊंडरी परियोजना का प्रश्न है हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की क्षमता ज्यादा है और उनकी कोई मांग नहीं है। जहां तक हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड का सम्बन्ध है उसके बारे में पता चला कि उनका स्थान पत्तन क्षेत्र में होना चाहिए। इसलिए वर्धा उन उद्देश्यों के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है।

बिहार के लिए चौथी योजना का विस्तार

*849. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विशेष क्षेत्रों में नियतन बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Bihar is a backward State and its per capita income is the lowest. The Government has taken a decision that backward States would be given more money and their plans would be enlarged. Has Bihar Government sent any proposal with that point of view to expand their Fourth Five Year plan ? If so, what does it contain ? Do the government recognise Bihar as a backward State and if so, will it be prepared to expand the plant under the Fourth Five Year plan ?

श्री मोहन धारिया : यह सच है कि बिहार पिछड़े राज्यों में से एक है और वहां की प्रति व्यक्ति आय संभवतया सबसे कम है। राज्य सरकार ने चौथी योजना की रूपरेखा में विस्तार की कोई मांग नहीं की है। रूपरेखा पहले ही तैयार की गई है और केन्द्रीय सहायता भी वही है। राज्य सरकार से अधिक साधन जुटाने को कहा गया था। दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं हो सका। इसलिए योजनाओं की रूपरेखाओं में वृद्धि की संभावना नहीं है।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Hon. Speaker, these things have arisen because the Planning Department of Central Government has decided that attempts would be made to uplift backward States and they are preparing their plans with that object in mind. It is stated therein that in these plans more money would be alocated to backward areas. As far as I know, Bihar Government sent certain proposals for improvements in Fourth Five Year Plan so that the plans which are not completed during the Fourth Plan may incorporated in Fifth Plan and they have not acceded to it...

Mr. Speaker : Are you making a speech or putting a question ?

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I want to know that in view of the decision of the government to give more money to backward States, do the government propose to enlarge the plants of Bihar ?

श्री मोहन धारिया : जैसा कि पांचवी योजना के दृष्टिकोण-पत्र में कहा गया है, केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों का ध्यान रखने का निश्चय किया है। बिहार उन राज्यों में से एक है जिन्हें पिछड़े राज्य होने के कारण लाभ पहुंचेगा।

[**श्री डी० एन० तिवारी** : इस बात के देखते हुए कि सरकार पिछड़े राज्यों को सहायता देने के लिये वचन बद्ध है और बिहार की आय सबसे कम है और इसलिए वह राज्य साधन जुटाने में विफल रहा है तो क्या केन्द्रीय सरकार बिहार की चौथी योजना में उसकी मदद करेगी?

Minister of Planning (Sh. D. P. Dhar) : Your suggestion will be kept in view while formulating the Fifth Five Year Plan.

Shri D. N. Tiwary : My question relates to Fourth Five Year Plan of which one year is still there. May I know whether Government is doing something in that or not ? The Bihar Government cannot mobilize resources due to poverty ? Do they want to do something or not ?

नेताजी जांच आयोग का प्रतिवदन

*850. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जांच आयोग पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है; और

(ख) उक्त आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन कब तक पेश होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 15 अप्रैल, 1973 तक 4,30,944 रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(ख) आयोग की अवधि 31 अक्तूबर, 1973 तक बढ़ा दी गई है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं प्रश्न के (ख) भाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं :

"(ख) उक्त आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन कब तक पेश होने की संभावना है ?"

मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि आयोग की अवधि 31 अक्तूबर, 1973 तक बढ़ा दी गई है। यह सही उत्तर नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या 31 अक्तूबर, 1973 तक प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा सकेगा अथवा नहीं और यदि उसे अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तो क्या किसी अंतरिम प्रतिवेदन के पेश किये जाने की संभावना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आयोग को पहले अपना कार्य बहुत पहले पूरा कर लेने की आशा थी। साक्षियों और वकीलों के तर्कों के पूरा न हो पाने के कारण हमें अवधि बढ़ानी पड़ी। आयोग ने कुछ रिकार्ड मांगे हैं। इन्हीं कारणों से हमें अवधि को पहले भी बढ़ाना पड़ा था। आयोग ने अब और समय की मांग की और इसलिए हमने अवधि को 31 अक्तूबर, 1973 तक बढ़ाया है। हमें आशा है कि आयोग उस तारीख तक अपनी रिपोर्ट दे सकेगा। मैंने स्पष्ट उत्तर इसलिये नहीं दिया कि पहले भी अवधि बढ़ाई जाती रही है और बढ़ाई गई अवधि में कार्य पूरा नहीं हो सका।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं जानना चाहता हूं कि आयोग ताईवान जायेगा जहां कि नेताजी के विमान के ध्वस्त होने का समाचार था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ सदस्य सुझाव देते रहे हैं और हमने इस सदन में बताया था कि सरकारी तौर पर कोई निवेदन किया जाना संभव नहीं है। परन्तु आयोग ताईवान जाने में स्वतंत्र है। इस बारे में एक सुझाव श्री समर गुह ने दिया था जिसे हमने आयोग के पास भेज दिया है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं जानना चाहता हूं कि समय मांगने के अलावा क्या आयोग ने किये गये कार्य के ढंग के बारे में कुछ संकेत दिया है और किन स्थानों की यात्रा की गई है अथवा अब किस प्रकार की जांच की जानी है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मुझे पता है कि उन्होंने कई देशों की यात्रा की है। जैसे उन्होंने जापान, बेंगकाक, सैगान, रंगून और मलयेशिया की यात्रा की और उन्होंने इन स्थानों पर विभिन्न साक्षियों का परीक्षण किया। कुल मिलाकर उन्होंने विदेशों में 87 साक्षियों का और 106 साक्षियों का भारत में परीक्षण किया। इससे आपको मुख्य रूप से उनके कार्य के ढंग का आभास मिल जायेगा।

श्री समर गुह : नेताजी को लापता हुए 28 वर्ष हो गये हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि आयोग द्वारा अपेक्षित महत्वपूर्ण अभिलेख जापान सरकार के पास होंगे और विमान के कथित विध्वंस की जांच जो अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों द्वारा की गई थी तथा जिसमें कर्नल हबीबुर्रहमान का साक्ष्य भी सम्मिलित था, वे भी होंगे। क्या यह सच है कि जापान सरकार अथवा अमरीकी सरकार और ब्रिटेन सरकार ने आयोग को कोई भी अभिलेख नहीं दिये और यदि हां, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन सरकारों से उन अभिलेखों को प्राप्त करने के लिये फिर से प्रयत्न किये जायेंगे और क्या सरकार पाकिस्तान सरकार पर जोर डालेगी कि कर्नल हबीबुर्रहमान को जांच आयोग के समक्ष साक्ष्य देने हेतु पेश होने दें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं इस मामले पर ध्यान दूंगा। इसका सम्बन्ध विदेश सरकारों से है। यदि वे कागजात नहीं देते तो उन्हें इस बारे में तैयार करना हमारे लिये कठिन है। परन्तु मैं इस समय इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे मित्र ने यह सुझाव दिया है और मैं इसकी जांच करूंगा।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

***851 श्री शिव कुमार शास्त्री :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पुनः वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार सहायता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) राज्यों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये ऋण व सहायता-अनुदान के रूप में सहाताा देने की एक योजना 1969-70 से ही लागू है।

(ख) गत चार वर्षों में दी गई सहायता का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-4870/73]।

Shri Shiv Kumar Shastri : Mr. Speaker, Sir, the assistance for the modernisation of police forces has not been given to certain states and for certain other states the assistance has been determined without giving due consideration to their population, as Haryana has been given Rs. one lakh where as U.P. has been given Rs. 2 lakh 7 thousand in 1970. So, I would like to know on what basis they have been determined ?

Shri K. C. Pant : There is difference in the amounts, and the main reason for it is that some states made better use of the funds previously allotted while some others could not make use of the same. So the States which have utilized the previous amounts have been given more and those which have not spent the previous amounts, have been taken into consideration while making allocations.

Shri Shiv Kumar Shastri: Secondly, the purpose of modernisation of the police forces is to bring about efficiency in the functioning of police and to reduce the number of crimes. So, do they think that the number of crimes in these four years has declined ? If the crimes have not declined but have risen, then this is a wastage of funds and it should be stopped and the amounts should be taken back.

Shri K. C. Pant : Generally, the task of the police commences after the crime has been committed. The other organs of the society have also to work in order to abolish crimes. But when crime has taken place and the culprit is to be caught then the police starts functioning.

श्री वीरभद्र सिंह : क्या सरकार को पता है कि कई राज्य सरकारों ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये निर्धारित राशियों को पुलिस बल की वृद्धि में लगाया है? यदि ऐसा है तो क्या सरकार राज्य सरकारों से कहेगी कि वे इन राशियों को अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग में न लायें और पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर इन्हें खर्च करें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसा कि मैंने कहा यह धन पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये नियत है। इसे पुलिस बल की वृद्धि के लिये व्यय नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो यह राशियों का दुरुपयोग है। हमें उम्मीद थी कि राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये इसका लाभ उठायेंगे। यदि किसी राज्य में ऐसा होता है तो इस पर हम ध्यान देंगे।

श्री पी० एम० सयद : उन्होंने राज्यों की एक लम्बी सूची दी है परन्तु इसमें दिल्ली का उल्लेख नहीं है। देश में इस समय अपराधों का सबसे बड़ा केन्द्र दिल्ली है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विवरण में केवल राज्य सम्मिलित हैं केन्द्र शासित राज्य सम्मिलित नहीं हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : दिल्ली तथा अन्य केन्द्र शासित राज्यों में विधि और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व केन्द्र पर ही है। अतएव सहायता देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। केन्द्र शासित राज्यों में पुलिस बल का प्रबन्ध आदि करने का पूरा व्यय हम ही उठाते हैं। यह केवल राज्यों से सम्बन्धित है।

Shri B. S. Bhaura : The hon. Minister has just stated that the crimes are committed first and the police comes into the picture thereafter but in Punjab the police comes first. May I know from the hon. Minister as to whether some conditions have been laid down with a view to see that these funds are utilized for the modernizations in a particular way or whether amounts are just disbursed so that the work may go on increasing and the expenditure may also go on increasing ? Are there certain conditions for the modernisation of police force in a particular way ?

Shri K. C. Pant : Mr. Spaker, Sir, this amount is allocated for certain spcified works. It helps in the purchase of vans [and wireless equipment and secondly scientific tests are conducted in connection with investigations and for that Forensic Science Laboratories exist and the work of modernisation of crime records is undertaken. The money is allocatted for all these works. So far as Punjab is concerned everything pertaining to it does not apply to the whole country.

योजना के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

*852. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण दस्तावेज के कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्याय 12 में कार्यान्वयन के लिए नीतियां तथा कार्यविधियां दर्शायी गयी हैं। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धात बनाये जा रहे हैं।

Shri Jagannath Mishra : If the work of the Planning Commission is to be assessed on the basis of bulky reports then I have nothing to say, but if the criterion is the attainment of the targets fixed in due time, how for the people's interests have arisen in the developmental tasks and the determination of priorities and implementation thereof have to be considered, then I can say without doubt and dispute that in our four plan, we could not achieve our targets. Now while our Fifth Plan is being formulated and its guidelines are being laid down, will all these factors be taken into consideration so that we may attain our targets ?

Shri Mohan Dharia: These factors have been taken care of and the points which have been included in the approach document have been enumerated.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल में बड़े औद्योगिक गृहों का विस्तार

*845. **श्री प्रिय रंजमन दास मुन्शी :**

श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल में बड़े औद्योगिक गृहों अथवा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के अधीन औद्योगिक गृहों की किन्हीं विस्तार योजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं और इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) 1-1-1972 से 31-3-1973 की अवधि में पश्चिम बंगाल में पर्याप्त विस्तार करने के लिए निम्नलिखित व्यापार गृहों को औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र प्रदान किए गए थे :—

गृह	लाइसेंस	आशयपत्र
1. बिड़ला	1	2
2. बांगुर	1	1
3. बर्ड हेलार	1	—
4. आई०सी०आई०	—	1

ये लाइसेंस/आशयपत्र औद्योगिक मशीनों, लुगदी और कागज, रसायन (उर्वरकों के अलावा) और धातुकर्मी उद्योगों के लिए जारी किए गए हैं, संबंधित आवेदन फार्मों में दिए गए ब्यौरों के अनुसार इन योजनाओं में 1290 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के स्थान पर सुपर कमेटी की स्थापना

*846. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के स्थान पर हाल में एक नई "सुपर कमेटी" की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कमेटी का संविधान क्या है तथा इसके कृत्य क्या हैं ?

औद्योगिकी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं। एसी कोई "सुपर कमेटी" न तो स्थापित की गयी है और न ही विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा नए कारखाने लगाये जाने संबंधी नीति

853. **श्री राम कंवर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा नए कारखाने लगाये जाने सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित नीति की रूपरेखा क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में औद्योगिक विकास की गति में कितनी वृद्धि होगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित की गई परियोजनाओं में राज्य निगम किस प्रकार सम्मिलित हो सकते हैं इस आशय के निर्देश उन्हें मार्च, 1969 में जारी कर दिये गये थे। फरवरी 1971 में इन निदेशों को संशोधित किया गया था। निर्देशों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य निगम सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा लिये गये औद्योगिक उपक्रमों में अंशपूंजी निवेश के लिये आमंत्रित करेंगे तथा राज्य निगमों और वित्तीय संस्थाओं दोनों के सम्मिलित शेयर 50 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में शेष शेयर गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा खरीदे जाने पर कोई प्रतिबन्ध न होगा। यदि ऐसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा हिस्सा न लेने की स्थिति में गैर-सरकारी विनियोजन इस शर्त पर होगा कि उसमें निगम की चुकता ईक्विटी पूंजी कम से कम 26 प्रतिशत रहे। यह भी विदित किया गया है कि किसी गैर-सरकारी उद्यमी अथवा व्यापारिक दल को ईक्विटी पूंजी में 25 प्रतिशत से अधिक का शेयर प्राप्त नहीं होगा। किसी भी उद्यमी को 25 प्रतिशत से अधिक का ईक्विटी शेयर देने के प्रस्ताव पर अथवा किन्हीं बड़े औद्योगिक गृहों या विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों को उपक्रम में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। हाल ही में औद्योगिक नीति में परिवर्तनों की घोषणा के उपरान्त राज्य निगमों को निम्नलिखित अग्रेतर निर्देश दिये गये हैं :—

(क) राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा स्थापित निगमों द्वारा ऐसे उपक्रम में जिनकी स्वयं की अथवा उनके अन्तर सम्बन्धित उपक्रमों को मिलाकर कुल आस्तियां 20 करोड़ रुपये से अधिक होगी, हिस्सा लेना ऊपर बताये गये बड़े औद्योगिक गृहों पर लागू होने वाली नीतियों और प्रणालियों के ही अनुसार होगा।

(ख) उन उपक्रमों को जिनकी स्वयं की अथवा उनके अन्तर सम्बन्धित उपक्रमों की सम्मिलित आस्तियां 20 करोड़ से अधिक होगी राज्य सरकार के उपक्रम अथवा निगमों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी ।

(ग) संयुक्त क्षेत्र के सभी एककों में सरकार को मार्गदर्शी नीति के निर्धारण प्रबन्ध और संचालन के वास्तविक ढंग और प्रकार में, प्रत्येक प्रकरण के औचित्य के अनुसार अपनी प्रभावी भूमिका का सुनिश्चय करना होगा।

राज्य औद्योगिक विकास निगमों को जारी किए गये निर्देशों का उद्देश्य इन निगमों से प्रबन्धित क्षेत्रों में विकासमान उद्योगों को अधिकाधिक सुविधायें सुलभ करना है।

पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों द्वारा उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस

854. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार यह सिफारिश करने का है कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों के लिये कच्चे माल तथा पुर्जों को अपनी पसंद के किसी देश में निर्बाध विदेशी मुद्रा द्वारा आयात करने के लिये लाइसेंस जारी किये जाने चाहिये; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों के लघु एककों के लिए कच्चे माल, पुर्जों और फालतू पुर्जों के आयात करने सम्बन्धी नीति में प्रत्येक एकक के लिए 2/3 का निर्बाध विदेशी मुद्रा तथा शेष यू०के० ऋण द्वारा आयात किए जाने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अन्य क्षेत्रों के इसी प्रकार के एककों के मुकाबिले पर्याप्त उदार है।

तकनीकीविज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच पद तथा वेतन में समानता लाने के लिए विवाद

855. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तकनीकीविज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों अर्थात् जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं, के बीच पद तथा वेतन में समानता लाने के लिए काफी विवाद चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस विवाद को किस प्रकार सुलझाने का है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) तकनीकी सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारियों तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वेतन आदि के बीच समानता लाने के मामले से सम्बन्धित कुछ अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं। तृतीय वेतन आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं और इन पर विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त आवेदन

856. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से नए उद्योगों के लिए लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) उक्त निगम को वर्ष 1972 में दिए गए आशय पत्रों में से कितने आशयपत्रों को 31 मार्च, 1973 तक औद्योगिक लाइसेंसों में बदला जा चुका है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सात।

(ख) कोई नहीं।

केन्द्रीय रेशम निगम

857. श्री पी० के० जाफ़र शारीफ :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर राज्य में रेशम के उत्पादन को नियमित करने के लिए एक केन्द्रीय रेशम निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की विशेषताएं क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त अवसर

858. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में प्रवेश हेतु उन सभी कर्मचारियों को, जो प्रथम श्रेणी सेवा में नहीं है लेकिन जिन्होंने 6 वर्ष सेवा पूरी कर ली है और जो 35 वर्ष की आयु से कम के हैं, एक और अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने पुनः विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) श्रेणी I सेवाओं से सम्बन्धित कुछ अन्य सिफारिशों के साथ ही यह सिफारिश भी अभी विचाराधीन है। तृतीय वेतन आयोग ने अब इस विषय में कुछ सुझाव दिये हैं और इन सुझावों पर पूर्णरूप से विचार करने के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी पर वार्ताओं (हिन्दी) का राष्ट्रीय कार्यक्रम

859. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र पर वार्ताओं/चर्चाओं (हिन्दी) के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों को बुक नहीं किया जाता है ; और

(ख) क्या वार्ताओं (हिन्दी) के राष्ट्रीय कार्यक्रम में केवल दिल्ली के लोगों को बुक किया जाता है ; और क्या उक्त कार्यक्रमों में कुछ लोगों को ही बार-बार बुक किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) इन कार्यक्रमों के लिए केवल हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों को ही बुक किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

सरकारी निगमों के निदेशकों के रूप में संसद सदस्यों की नियुक्ति

***860. श्री के० लकप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी निगमों के निदेशकों के रूप में संसद सदस्यों की नियुक्ति न करने के बारे में एक निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमान। सरकार ने सरकारी उद्यमों के निदेशकों के बोर्डों में संसद सदस्यों की नियुक्ति न करने के बारे में एक निर्णय किया है।

(ख) **एक विवरण सदन** के **पटल पर रखा जाता है।**

विवरण

दिनांक 25 अप्रैल, 1973 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 860 के उत्तर में लोक सभा के पटल में रखा जाने वाला विवरण

(ख) सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में संसद सदस्यों की नियुक्ति न करने का निर्णय लेने के कारण वहीं हैं जो राज्य उपक्रमों के संबंध में कृष्णा मैनन समिति में दिए गए हैं। कृष्णा मैनन समिति की रिपोर्ट के उद्धरण नीचे दिये गए हैं :—

"संबंधित संसद सदस्य सार्वजनिक नियंत्रण के अंग का भाग है और संसद में जनता द्वारा आलोचना का प्रतिमादक है। एक निदेशक अथवा एक उद्यम के प्रशासन के अंश के रूप में वह उसी आचरण तथा मामलों के लिए उत्तरदायी भी है, जिनके लिए संसद और इसीलिए उसे जांच करने, आलोचना करने तथा निर्णय करने के लिए भी कहा जा सकता है। विशेषज्ञ तथा आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने के कारण वह इसे संसद तथा अन्यत्र उपयोग में ला सकता है, जबकि उसकी बोर्ड में अपने सहयोगियों से सहमति न हो और जिस दल का वह सदस्य है, उसके साथ ही एक विचार रखना चाहता हो। उसके सहयोगी जो उसकी भांति संसद् सदस्य नहीं हैं, वे उत्तर नहीं दे सकते। वे राज्य उपक्रमों में नियुक्त 'पदाधिकारी' हैं। उसके संसदीय सहयोगियों को हानि ही उठानी होती है, क्योंकि वह विशेषज्ञ तथा आंतरिक ज्ञान के उद्देश्य से बोलता है। जब सदन में इस मामले पर बहस होती है, मंत्री स्वयं तो बहुत ही असमंजस की स्थिति में पाता है।

इसके साथ ही आगे यह भी विचार है कि वह किस से प्रश्न करेगा? (1) यदि वह संसद में उद्योग के बारे में बोलता है तो वह मंत्री के स्थान पर होता है, (2) यदि वह स्वयं ही एक मत से प्रबन्धक निदेशक या अध्यक्ष के रूप में बोर्ड के लिए बोलता है तो उसे पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हैं जो कि अन्य संसद सदस्यों को होती हैं, (3) यदि वह एक समीक्षक के रूप में बोलता है तो वह उद्योग सहित प्रत्येक की प्रतिकूल स्थिति में पाता है।

ऐसा समझा जाएगा कि संसद का ऐसा सदस्य, जो सरकार का एक सदस्य नहीं है, वह एक मंत्री के कृत्यों तथा कर्त्तव्यों को नहीं निभा सकता। उक्त कारणों से वह एक समीक्षक भी नहीं हो सकता। इस प्रकार, वह संबंधित कम्पनी को अध्यक्ष या एक निदेशक के रूप में न तो समर्थन करेगा और न ही समीक्षा करेगा, क्योंकि उसकी पहुंच सूचना प्राप्त करने के लिए है, जो कि अन्य लोगों के पास नहीं है और जिसका उसे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अतः

यदि संसद सदस्य अध्यक्ष हो अथवा निदेशक ही हो तो वह उस फर्म के सम्बन्ध के विचार विमर्शों में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित होगा जिससे कि सह सम्बद्ध है तथा इसी प्रकार की फर्मों अथवा समग्ररूप से राज्य की फर्मों में सम्बन्धित बहस में उसके भाग लेने पर कड़ी सीमाएं होंगी। दूसरी ओर, वह संसद में बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठ सकता, जबकि ऐसे मामलों पर बहस हो रही है, जिनका कि उसको ज्ञान हो। यह बात व्यावहारिक रूप में उसे संसद सदस्य के रूप में पूरी तरह कार्य करने से रोकेगी। यदि इसके दूसरी ओर वह अपने पद तथा अपनी जानकारी का प्रयोग करता है तो उस फर्म को जिसका कि वह एक सक्रिय एवं उत्तरदायी हिस्सा है तथा बोर्ड को वह अत्यधिक नुक्सान पहुंचाता है तथा उसे असमंजस स्थिति में रखेगा। उसके सहयोगी तथा फर्म का प्रतिनिधित्व संसद में मंत्री के माध्यम को छोड़कर, अन्य प्रक्रिया से नहीं होता। झगड़ा पैदा होगा कि मंत्री किस का प्रतिनिधित्व करता है।"

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मद्य-पान किया जाना

8022. **श्री वरके जार्ज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई परिपत्र जारी किया है जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर सार्वजनिक स्थानों पर मद्य-पान करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) मादक पेयों तथा औषधों के सेवन से सम्बन्धित सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

"प्रत्येक सरकारी कर्मचारी :—

(क) ऐसे किसी क्षेत्र में, जहां वह फिलहाल काय कर रहा है, लागू मादक पेयों तथा औषधों से सम्बन्धित विधि का कठोरतापूर्वक पालन करेगा,

(ख) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय अथवा औषध के असर में नहीं होगा और इस बात का यथोचित ध्यान रखेगा कि इस प्रकार के किसी पेय अथवा औषध के असर से उसके कार्य निष्पादन पर किसी समय किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा,

(ग) नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा,

(घ) किसी भी मादक पेय अथवा औषध के सेवन में अति नहीं करेगा।"

सरकारी कर्मचारी मादक पेयों अथवा औषधों का प्रकटरूप में सेवन न करने की मिसाल बन सके, इसके लिए आचरण नियमों में आगे संशोधन किया गया है जिससे कि यह व्यवस्था की जा सके कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, जिसका अभिप्राय किसी ऐसे स्थल या भवन (जिसमें सवारी के साधन शामिल हैं) जहां जनता पैसे देकर या अन्यथा आ-जा सकती हो या उसे आने-जाने की अनुमति हो, किसी मादक पेय या औषध का सेवन नहीं करेगा।

रिजनल सेटलमेंट कमिश्नर, जालन्धर में फालतू घोषित किये गये निम्न श्रेणी लिपिक

8023. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजनल सेटलमेंट कमिश्नर जालंधर के कार्यालय में 1 मई, 1970 को फालतू घोषित किये गए कुछ निम्न श्रेणी लिपिकों को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल द्वारा जनरल मैनेजर टेलीफोन, नई दिल्ली और महा डाकपाल, अम्बाला के कार्यालयों में 1 मई, 1970 से 30 सितम्बर, 1970 तक नामांकित किया गया था;

(ख) क्या सम्बद्ध विभागों में उनके द्वारा कार्यभार संभालने और वहां मई, 1970 से 10 सितम्बर, 1970 तक कार्य करने के पश्चात् उन्हें भारमुक्त कर एग्जीक्यटिव इंजीनियर, फूड स्टोरेज, इलक्ट्रीकल डिवीजन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लुधियाना में पुनः नामांकित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार रिक्त हुए स्थानों को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल द्वारा नामांकन अथवा अन्य स्वीकृत माध्यमों द्वारा भरा गया था?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। फालतू कर्मचारी सेल ने पोस्टमास्टर जनरल, अम्बाला के लिए 8 लोअर डिवीजन क्लर्क और महा प्रबन्धक टेलीफोन, नई दिल्ली के लिए 26 लोअर डिवीजन क्लर्क नामजद किए थे।

(ख) जी हां। पोस्टमास्टर जनरल, अम्बाला के कार्यालय के लिए नामजद लोअर डिवीजन क्लर्कों में से एक क्लर्क एक सप्ताह तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ड्यूटी पर नहीं आया। फालतू कर्मचारी सेल ने बाद में उस कर्मचारी को तारीख 11-8-70 को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर फुड स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लुधियाना के लिए नामजद कर दिया था। इसी प्रकार महा-प्रबन्धक टेलीफोन, नई दिल्ली के लिए नामजद लोअर डिवीजन क्लर्कों में से एक क्लर्क ने तारीख 1-6-70 को ड्यूटी संभाल ली थी। फालतू कर्मचारी सेल ने उसे भी बाद में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, फूड स्टोरेज, लुधियाना के लिए नामजद कर दिया था। उस कर्मचारी को तारीख 10-9-70 को कार्यभार मुक्त कर दिया गया था।

(ग) फालतू कर्मचारी सेल से अनुमति लेने के बाद ये दोनों खाली जगहें अन्य स्वीकृत माध्यमों के जरिए भरी गई थीं।

ELEMENTS BEHIND DESTRCUTION IN A FIRE AT SIMALA

8024. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether offices of the District Magistrate and Police Superintendent were destroyed in a fire at Simla during December, 1972 ;

(b) whether the Central Government have since received the detailed information in regard to the causes of the fire and the extent of loss suffered ; as a result thereof ; and

(c) if so, whether there was a planned conspiracy of foreign agents behind it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) According to the information received from the State Government, the approximate value of loss on account of the fire was Rs. 8,47,000/-. The cause of the fire is being investigated.

इटारसी और दामोह (मध्य प्रदेश) में सीमेंट का कारखाना लगाने की अनुमति देने से इंकार

8025. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड को, जिसने मध्य प्रदेश में इटारसी और दामोह में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र भेजा था, संयंत्र स्थापित की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में किये गये अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी):(क) और (ख) मैसूर सीमेंट लिमिटेड से होशंगाबाद जिले में टाकू तथा दामोह जिले में नरसिंगगढ़ (मध्य प्रदेश) में वार्षिक 4 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 2 सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। टाकू में लगाए जाने वाले संयंत्र के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया है जबकि नरसिंगगढ़ वाला आवेदन पत्र विचाराधीन है। पहला आवेदन पत्र इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि यह निर्णय लिया गया था कि उस उद्यमकर्त्ता को प्रोत्साहित किया जाए जो बड़े गृह से सम्बन्धित न हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के आस-पास सहायक उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव

8026. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में स्थित सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों के आस-पास बहुत से सहायक उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्वतन्त्रता सैनानियों को सम्मान देना

8097. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहीद भगत सिंह की वृद्धा मां को 'पंजाब माता' की उपाधी से अलंकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वतंत्रता प्रेमी राजगुरु तथा सुखदेव की सेवाओं को भी महत्व दिया है; और

(ग) यदि हां तो विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए उनके द्वारा किये गये बलिदान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरूद्दीन मोहसिन) : (क) 2 जनवरी, 1973 को 'टाइम्स ग्राफ इंडिया' में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट से पता चलता है कि पंजाब सरकार ने श्री भगत सिंह की माता को यह सम्मान प्रदान किया है ।

(ख) ग्रौर (ग) सर्वश्री राजगुरु तथा सुखदेव स्वतंत्रता सेनानी थे तथा सरकार देश के लिए उनके द्वारा किये गये बलिदानों से भली प्रकार परिचित है । पेंशन ग्रादि जैसी सुविधाओं के ग्रलावा जो कि भारत सरकार ने शहीदों के परिवारों के सदस्यों तथा ग्राश्रितों के लिए घोषित की हैं ग्रन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों का ग्रागे ग्रौर सम्मान, जिस रूप में भी उचित समझा जाए सम्बन्धित राज्य सरकारों को करना है ।

ग्रनिवार्य रूप से निर्यात करने के लिए ग्रौद्योगिक गृहों द्वारा बन्ध-पत्रों को भरना

8028. **श्री मल्लिकार्जुन :** क्या **ग्रौद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 फरवरी, 1973 को घोषित ग्रौद्योगिक नीति की ग्रनुसूची 1 में निर्दिष्ट उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तार करने के लिए जिन कुछ ग्रौद्योगिक गृहों ने ग्रावेदन पत्र दिये थे, उन्हें ग्रनिवार्य रूप से निर्यात करने के लिए बंध-पत्र (बांड) भरने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ग्रौद्योगिक गृहों के नाम क्या थे जिन्हें ऐसे बंध-पत्र भरने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या ग्रनिवार्य रूप से ऐसे निर्यात करने के लिए बंध-पत्र को भरने के लिए निर्धारित इस ग्रनुबन्ध से देश में ग्रौद्योगिक उत्पादन में ग्रवरोध उत्पन्न होने की संभावना है; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ग्रौद्योगिक विकास मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) बड़े ग्रौद्योगिक गृहों तथा ग्रधिकांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के कुछ मामलों की एक सूची जिसमें सरकार ने हाल ही में निर्यात दायित्व लागू किया है यद्यपि निर्माण की जाने वाली वस्तुएं ग्रौद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रेस नोट दिनांक 2-2-1973 के परिशिष्ट 1 में शामिल की गई है, संलग्न है । जबकि बड़े ग्रौद्योगिक गृहों से संबंधित कम्पनियों ग्रौर बहुलांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों जहां निर्यात के लिए ग्रधिक उत्पादन होता है उनके ग्रलावा सामान्य रूप से उन उद्योगों में भाग नहीं लेती हैं जो इस परिशिष्ट में सम्मिलित नहीं है । यहां तक कि इस सूची में सम्मिलित वस्तुग्रों का निर्माण करने वाली ऐसी कम्पनियों के मामले में भी सरकार उपयुक्त निर्यात दायित्व लागू करने का विरोध नहीं करती है । निर्यात दायित्व लागू करने से पहले सरकार सदैव वस्तु की निर्यात संभावना तथा ग्रौद्योगिक उत्पादन पर इस तरह के दायित्व के प्रभाव पर विचार करती है ।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	औद्योगिक गृह का नाम	निर्माण की वस्तु	निर्यात दायित्व
1.	श्री राम बियरिंग लि०, दिल्ली रांची एन ए	श्री राम	बाल मेन्यू० मशीन	10 प्रतिशत
2.	डी सी एम	श्री राम	1. अलाय आयरन कास्टिंग 2. एस जी आयरन कास्टिंग	10 प्रतिशत
3.	मै० रेली वोल्फ लि०	फारेन मैजोरिटी क०	पोर्टेबल टूल्स तथा ड्रिल स्टैंडस	60 प्रतिशत
4.	डनलप इण्डिया लि० कलकत्ता	वही	आटो मोबाइल टायर्स तथा ट्यूब	10 प्रतिशत आफ एक्सपेनडेड प्रोडक्शन

Setting up of a new Factory in Madhya Pradesh By Indian Telephone industries limited, Bangalore

8029. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore had made an offer for setting up a new factory in Madhya Pradesh for manufacturing cross-bar telephone switches;

(b) whether the Chairman of Indian Telephones Industries Limited, Bangalore had undertaken a tour of Madhya Pradesh in December, 1971 along with other technical officers and had inspected the proposed sites at Indore, Ujjain and Dewas;

(c) whether the findings of the aforesaid team favour setting up of the project in Madhya Pradesh and if so, the decision taken by Government on the findings of the team; and

(d) in case no decision has yet been taken, the time by which a decision is likely to be taken and the reasons for delay in arriving at a decision ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No.

(b) Yes. The team inspected the sites proposed by the Government of Madhya Pradesh in September, 1971.

(c) and (d) The team suggested certain sites. The Government of India have, after taking into account the relevant factors, already decided to set up the factory at Rae Bareli in Uttar Pradesh.

Scheme from M.P. for setting up Rural Craft Development Project

8030. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether any project report has been received from Madhya Pradesh Government to start a Rural Craft Development Project under the Small Farmers' Development Agency or Marginal Farmers Agricultural Labour Scheme; and

(b) if so, whether the said report has been accepted by the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) :

(a) No. Sir.

(b) Does not arise.

Public Telephones in Burhanpur Tehsil M.P.

8031. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the villages of Burhanpur Tehsil (Madhya Pradesh) through the State Government, regarding installation of public telephones; and

(b) if so, the names of the villages and the time by which their demand would be met?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) & (b) No memorandum has been received from any village of Burhanpur Tehsil (Madhya Pradesh) through the State Government regarding installation of Public Call Office. However, certain requests have been received directly from certain parties in respect of :

(1) Bahadurpur

(2) Hyderpur

(3) Khakner

(4) Lani and

(5) Nimbola, which are under examination.

Cases against Ex-I.A.S. Officers in courts for amassing wealth beyond their disclosed sources

8032. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of ex-I.A.S. officers against whom cases were filed in courts during the last two years for amassing wealth beyond their disclosed sources;

(b) the number of cases against such officers pending in the various courts at present; and

(c) the number of the said ex-officers punished by the courts during the above period ?

The Minister of State in the Home and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

Number of Pakistani Nationals gone underground in Kerala State

8033. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani nationals out of 209 Pakistani underground nationals in Kerala, traced out on 31st March, 1972 and the number of those deported out of them; and

(b) the number of Pakistani underground nationals, District-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Official Language Implementation Committee in the Department of Space

8034. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Space** be pleased to state :

(a) whether the Department of Space has constituted an official language implementation Committee;

(b) if so, the names of members of the said Committee; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The members of the Committee are :

(1) Joint Secretary Department of Space	Chairman
(2) A nominee of the Director, Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum.	Member
(3) Deputy Director (Admn.) Physical Research Laboratory, Ahmedabad.	Member
(4) Under Secretary, Department of Space	Member
(5) Hindi Translator, Department of space	Member-Secretary

(c) Does not arise.

Use of Hindi in Official work in the Department of Space

8035. **Shri R.V. Bade** : Will the Minister of **Space** be pleased to state :

(a) whether the Department of Space has implemented the orders issued by Government in regard to use of Hindi in official work ;

(b) whether the action taken so far in this regard is adequate for implementing the orders issued under the official Languages Act ; and

(c) further action proposed to be taken by the Department of Space in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) Every effort is being made to implement the orders regarding the use of Hindi in official work in the Department of Space.

रांची आकाशवाणी केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाना

8036. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची आकाशवाणी केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का है जिससे उस के प्रसारण पलामऊ ज़िले और छोटा नागपुर तथा संथाल परगना क्षेत्र में भी सुना जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) से (ग) : रांची के वर्तमान ट्रान्समीटर का दर्जा बढ़ाने का एक प्रस्ताव पांचवीं योजना में शामिल करने हेतु विचाराधीन है ।

'पब्लिक फोन बूथों' का कार्यकरण

8037. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (ईवनिंग-न्यूज) में टेलीफोन के कार्यकरण के बारे में "पब्लिक फोन बूथस" शीर्षक से सम्पादक को लिखे गये पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : जी हां । सी० सी० बी० टाइप के पी० सी० ओ० ठीक ढंग से काम करते रहें, इसके लिए संबंधित पी० सी० ओ० लाइनमैन उनकी रोजाना जांच करता है । जिन पी० सी० ओ० की देख भाल नहीं होती शरारती और दूसरे व्यक्ति अक्सर उनमें छेड़ छाड़ करते हैं, जिससे उनमें अक्सर मशीनी खराबी आ जाती है । पी० सी० ओ० यंत्रों को अच्छी हालत में रखने की हर मुमकिन कोशिशें की जाती हैं ताकि वे ठीक से काम करते रहें । प्रश्नाधीन पी० सी० ओ० 3 मार्च, 1973 को सही हालत में था । शायद गलत फहमी के कारण, काल करने वाले सज्जन ने यह महसूस किया होगा कि उनकी काल कट गई ।

नारियल जटा बोर्ड में सम्बर्धनात्मक कार्य

8038. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1973-74 में नारियल जटा बोर्ड के संबंधित कार्यों को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) क्यर बोर्ड के प्रोत्साहन संबंधी बढ़े हुए कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रचार कार्य तेज करके तथा और अधिक प्रदर्शन कक्ष खोलकर और ख्यातिप्राप्त विक्रेताओं की नियुक्ति करके देशी और विदेशी बाजारों का विस्तार करना;

(2) उत्पाद विकास और उत्पाद सुधार के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों को तेज करना;

कयर बोर्ड के वर्ष 173-74 के बजट में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं, इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए बोर्ड ने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है ।

वर्ष 1973-74 में केरल में स्थापित किये जाने वाले ग्राम उद्योगों को ऋण

8039. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को ग्राम उद्योग परियोजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है और इस योजना के अन्तर्गत उस राज्य में कुल कितने औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं; और

(ख) वर्ष 1973-74 में उस राज्य में ऐसे कुल कितने एकक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और उस हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) 1962-63 से 1972-73 की अवधि में केरल सरकार को 113.52 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में जारी की गयी थी । 974 औद्योगिक एककों को नये उद्यम शुरू करने तथा राज्य की विद्यमान ग्रामीण परियोजनाओं की क्षमता तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिये मार्च, 1971 के अन्त तक वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी गई ।

देश भर के ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रम के लिये वर्ष 1973-74 के लिए 1.75 करोड़ रुपये के ऋण तथा 100 करोड़ रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है ।

राज्य को 1973-74 के लिये निधि आवंटित करने का प्रश्न विचाराधीन है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1973-74 में सहायता पाने वाले एककों की संख्या उस राज्य को केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता की मात्रा· वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध ऋण सुविधाओं तथा निवेश के लिये उद्यमियों से उपलब्ध होने वाली उनकी अपनी निधि पर निर्भर करेगी ।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों और केजुयल आर्टिस्टों के वेतनमानों में वृद्धि की मांग

8040. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों और कैजुयल आर्टिस्टों को उनके वेतनमानों में वृद्धि की मांग को सरकार ने गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान अस्वीकार कर दिया है;

(ख) आकाशवाणी विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में उपयोग किये जाने वाले दोनों पदों अर्थात वेतनमान और फीसमान में क्या अन्तर है;

(ग) आकाशवाणी के किस-किस श्रेणी के आर्टिस्टों को नियमित कर्मचारी के रूप में वेतन पाने का अधिकार है तथा किस श्रेणी के आर्टिस्टों को वह वेतन नहीं दिया जाता तथा उन्हें नियमित वेतन के स्थान पर फीस दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अधिकारियों का नियमित कर्मचारियों के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये आर्टिस्टों तथा उन आर्टिस्टों के जिन्हें आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में कभी-कभी कार्यक्रम दिये जाते हैं; वेतन-ढांचे को सरल बनाने और निर्धारित करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कलकत्ता के आकाशवाणी केन्द्र से इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, नियमित स्टाफ आर्टिस्टों के फीसमानों तथा नैमित्तिक आर्टिस्टों की फीस रेंजों में क्रमश: 1-4-1971 और 1-6-1971 से संशोधित किया गया है।

(ख) तथा (ग) 'वेतनमान' पद विभिन्न विभागों में विधिवत् स्वीकृत पदों पर नियुक्त नियमित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया जाता है। ये कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों पर लागू विभिन्न सांविधिक नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। 'फीसमान' पद ठेके पर रखे गए आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार फीस या फीस रेन्ज पद उन नैमित्तिक आर्टिस्टों के बारे में प्रयुक्त किए जाते हैं जो विशिष्ट कार्यों या कार्यक्रमों के लिए या स्टाफ आर्टिस्टों की रिक्तियों पर नियमित पदधारियों का चयन होने तक लगाये जाते हैं। 'वेतन' या 'वेतनमान' पद केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों के बारे में ही प्रयुक्त किया जा सकता है और इसलिए स्टाफ आर्टिस्टों या नैमितिक आर्टिस्टों की परिलब्धियों को विभिन्न नाम देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय अपनाई गई प्रतिक्रिया जिस को ऊपर स्पष्ट किया गया है सरल है और इस दिशा में इस अवस्था पर कोई और कारंवाई करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन के लिये व्यक्तियों का चुनाव

8043. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रथम हिन्दी सस्करण निकालने के लिए कुछ नई नियुक्तियां की गई थीं, यदि हां, तो उसके लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या-क्या निर्धारित की गई हैं, उसमें चयन की किस प्रक्रिया का पालन किया गया और डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों की यदि कोई चयन तालिका है तो उस में कौन-कौन व्यक्ति हैं;

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों, जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं हैं, के बारे में भी नियुक्ति के लिए विचार किया गया था और;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति चुने गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन या इसके बराबर की परीक्षा निर्धारित की गई थी। महाप्रबंधक टेलीफोन नई दिल्ली ने रोजगार कार्यालय द्वारा नामजद व्यक्तियों और खुली मार्किट से आये उम्मीदवारों में से तदर्थ नियुक्तियां की थीं। ये नियुक्तियां सहायक महानिदेशक (हिन्दी) डाक तार महानिदेशालय, नई दिल्ली की सिफारिशों पर की गई थीं जिन्होंने उम्मीदवारों का टैस्ट और इंटरव्यू लिया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऊपर (ख) में दिए गए उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

'ब्ल्यू' फिल्मों में चोर बाजारी

8044. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'क्या ब्ल्यू फिल्मों' में चोर बाजारी के मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ; और

(ख) क्या भारतीय फिल्मों की कुछ बिना 'सेंसर' की हुई प्रतियां भी विदेश भेजी गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के ध्यान में कोई ऐसा मामला नहीं आया है । तथापि , 'आनन्द', 'बलिदान' तथा 'एक हसीना दो दिवाने' नामक तीन सामान्य भारतीय फीचर फिल्में अनधिकृत तथा गैर-कानूनी तौर से निर्यात की जाती हुई सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई थीं।

आई० टी० आई० बंगलौर को प्राप्त विदेशी आर्डर

8045. **श्री भागीरथ भंवर** :

श्री फतेहसिंह राव गायकवाड : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर को पिछले तीन वर्षों में विदेशों से कितने आर्डर प्राप्त हुये ;

(ख) किन-किन देशों से आई० टी० आई० को आर्डर प्राप्त हुये हैं ;

(ग) क्या आई० टी० आई० द्वारा दिये गये रेट टेलीफोन एक्सचेंज उपकरणों की सप्लाई के लिये थे अथवा उसमें भारतीय इंजीनियरों के दल द्वारा उनकी स्थापना और पर्यवेक्षण भी सम्मिलित हैं ; और

(घ) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 374।

(ख) अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बैल्जियम, भूटान, बर्मा, कनाडा, मिश्र, इथोपिया, ग्रीस, ईराक, जोर्डन, कैन्या, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, नेपाल, नाइजेरिया, फिलीपाइन्स, सिक्किम, सिंगापुर, सोमालिया दक्षिणी यमन, श्रीलंका, तंजानिया, यूगाण्डा, ब्रिटेन और जाम्बिया।

(ग) आई० टी० आई० द्वारा प्रस्तावित दरें उपस्कर की सप्लाई के लिये थी किन्तु जहां तक मुख्य स्वचल एक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई का संबंध है, प्रस्तावित दरों में भारतीय इंजीनियरों द्वारा प्रस्थापना और पर्यवेक्षण की लागत भी सम्मिलित थी।

(घ) 107.21 लाख रुपये।

सहायक इंजीनियर के ग्रेड में स्नातक व गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की नियुक्ति

8046. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **प्रधान मंत्री** स्नातक/ गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की सहायक इंजीनियरों के पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव के बारे में 4 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5944 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातक और गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की सहायक इंजीनियरों के पदों पर नियुक्ति के लिये उनका 50-50 का कोटा निर्धारित करने के प्रश्न पर निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ अंतिम निर्णय के लिये विचार-विमर्श कर लिया गया था,

(ख) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय शीघ्र निर्णय के लिये आग्रह कर रहा है ताकि उसकी सिफारिशें क्रियान्वित की जा सकें ; और

(ग) अंतिम निर्णय लेने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के पद से संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन के लिये प्रस्ताव पर निर्माण तथा आवास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र ही विचार-विमर्श किया जाना है।

(ख) तथा (ग) निसन्देह निर्माण तथा आवास मंत्रालय इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने का इच्छुक है। तथापि, जैसा कि दिनांक 4 अप्रैल, 1973 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5944 के उत्तर में उल्लेख किया गया था, प्रस्तावित संशोधनों में अनेक विधिक तथा सेवा के पहलू अन्तर्निहित हैं, जिन पर सावधानी से विचार किया जाना अपेक्षित है। कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग भी शीघ्र ही इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने का इच्छुक है। प्रस्तावित चर्चाओं के परिणामस्वरूप निर्माण तथा आवास मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने पर इस मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने के उपरान्त संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विद्यमान नियमों को संशोधित किया जायेगा। इसलिये इस समय यथार्थता की किसी भी अवस्था में यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक नियमों को संशोधित किया जा सकेगा।

साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उड़ीसा में गोली चलाना

8047. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दक्षिण पूर्वी रेलवे के खुदरा रोड तथा जालेश्वर रेलवे स्टेशनों पर गत साम्प्रदायिक दंगों के दौरान गोली चली थी ;

(ख) यदि हां, तो गोली चलाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कितने आदमी मरे और जख्मी हुए और क्या पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बताया जाता है कि खुरदा रोड रेलवे स्टेशन पर 7 डाउन पूरी हावड़ा एक्सप्रेस के पहुंचने के समय लगभग 2000 व्यक्तियों की एक भीड़ जमा थी। उन्होंने गाड़ी को आगे न जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। भीड़ ने गाड़ी पर आक्रमण किया तथा डिब्बों में घुसने की दृष्टि से डब्बों के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की। सिविल तथा पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को हिंसा न करने के लिए उन्हें हटाने की कोशिश की। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी किये जाने के बावजूद भीड़ ने हिंसा जारी रखी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिये पुलिस को अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा तथा गोली चलानी पड़ी। किन्तु इस का भी कोई लाभ नहीं हुआ तथा भीड़ ने भारी पथराव करना शुरू कर दिया। कई सिविल तथा पुलिस कर्मचारी घायल हुये। जब बार बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद भीड़ ने हिंसा करना बन्द नहीं किया तो पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिये गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति मारा गया तथा चार व्यक्ति घायल हुये।

2. सूचित किया गया है कि जालेश्वर रेलवे स्टेशन पर गोली पुलिस ने नहीं चलायी थी। बताया जाता है कि गोली कुछ बाहर वालों ने चलायी थी जो कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। बताया जाता है ऐसी गोली बारी से तीन व्यक्तियों को चोट आई। राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच पडताल की जा रही है।

3. चूंकि खुरदा रोड रेलवे स्टेशन पर पुलिस को एक हिंसक गैर-कानूनी भीड़ को तितर-बितर करने के लिये गोली चलानी पड़ी थी, अतः कोई अनुगृहीत सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जालेश्वर में हुई घटना से पीड़ित व्यक्तियों को ऐसी सहायता के भुगतान के बारे में तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने संबन्धी अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द अध्यापक और प्रदर्शक (डिमान्स्ट्रेटर)

8048. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अधीन कालेजों के कितने अध्यापक तथा प्रदर्शक सम्पूर्ण भारत में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अंतर्गत नजरबन्द हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के दौरान आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1971 के अधीन आन्ध्र प्रदेश में 2 लेक्चरार तथा 1 अध्यापक, असम में 7 कालेज अध्यापक तथा 10 स्कूल अध्यापक, और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक-एक विश्वविद्यालय लेक्चरार नजरबन्द किये गये थे। इन व्यक्तियों में से कोई भी इस समय नजरबन्द नहीं है। मैसूर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार तथा दिल्ली प्रशासन से सूचना आनी बाकी है। संबंधित अवधि के दौरान शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ऐसी कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र

8049. **श्री लालजी भाई :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में 30 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4044 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 11 अगस्त 1972 से चालू हुए 200 मैगावाट वाले राजस्थान परमाणु बिजलीघर से राजस्थान के कौन से भाग लाभान्वित हुए हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट 11 अगस्त, 1972 को क्रान्तिक हुआ था तथा उसे 30 नवम्बर, 1972 को ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया था। अब यह यूनिट रुक-रुककर 60 मैगावाट के स्तर पर बिजली पैदा कर रहा है। बिजलीघर को चालू करने से सम्बन्धित विभिन्न परीक्षण आजकल चल रहे हैं तथा आशा है कि सन् 1973 के उत्तरार्ध में यह यूनिट 200 मैगावाट की अपनी पूरी क्षमता के साथ बिजली पैदा करने लगेगा। वर्तमान में, इस यूनिट में पैदा हुई बिजली राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को सप्लाई की जा रही है तथा वह बोर्ड उस राज्य में इस बिजली के वितरण का काम करता है।

महाराष्ट्र में कृषि श्रमिकों के लिए स्वनियोजन योजना

8050. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कृषि श्रमिकों के लिए स्वनियोजन योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पृथकतावादी नागाओं को चीनी सहायता

8051. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत राजनीतिक साप्ताहिक पत्र, "न्यू टाइम्स" में पृथकतावादी नागाओं द्वारा चीन जाकर सशस्त्र होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने सम्बन्धी समाचार देखे हैं ;

(ख) क्या उक्त साप्ताहिक में कुछ अमरीकी नागरिकों के सीमावर्ती क्षेत्र में जाने और नागालैंड में तोड़फोड़ करने वाले तथा पृथकतावादी दल की पुनः आरम्भ की गई गतिविधियों के समाचार का भी उल्लेख है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है। इस सम्बन्ध में 9 अगस्त, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1419, 20 दिसम्बर 1972 को प्रश्न संख्या 5087, 28 मार्च, 1973 को प्रश्न संख्या 5001 तथा 4 अप्रैल, 1973 को प्रश्न संख्या 5973 के दिये गये उत्तरों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है । सरकार के पास पृथकतावादी नागाओं के हाल में चीन जाने के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है। किसी भी अमरीकी राष्ट्रिक को दार्जिलिंग के प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश से सम्बन्धित आदेशों का उल्लंघन करने के लिये नजरबन्द नहीं किया गया था। नागालैण्ड सरकार किसी विद्रोही गतिविधि को रोकने के लिये अत्यन्त सतर्कता बरत रही है ।

Erstwhile announcer of "Azad Kashmir Radio" employed in the Information Department of Jammu and Kashmir Government

8052. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published on the last page of the "Organiser" dated the 24th March, 1973 to the effect that the post of Assistant Information Officer in the Information Department of Kashmir Government has been filled up by appointing a person who used to be an announcer in 'Azad **Kashmir** Radio' some time ago ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government would no doubt have taken all aspects into consideration before making the appointment.

Bill on Defection

8053. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State :

(a) whether it is not possible to bring a Bill on Defection in the current session itself ;

(b) whether it was stated in the other House on 21st March, 1973 by the Hon'ble Minister of State in the Ministry of Home Affairs that it was not possible to indicate any definite date in this regard ; and

(c) if replies to parts (a) and (b) be in the affirmative, how far it is relevant to the assurance given by him in the Conference of Whips ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Every effort is being made to introduce a Bill on Defection even during the current session.

(b) The Minister had only stated that he would like to bring the Bill forward even during the current session but he was not in a position to make any commitment.

(c) Government are aware of the the observations of the then Minister for Parliamentary Affairs in the Eighth All India Whips Conference held at Bhopal during November, 1972 and are anxious to expedite the introduction of the legislation.

Commissioning of Kota Atomic Power Project

8054. **Shri Onkar Lal Berwa** :

Shri Brijraj Singh Kotah :

Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether Kota Atomic Power Station was to be commissioned in 1970 ; and

(b) if so, the reasons for delay?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) According to the original schedule, which was drawn up during the early stages of the Project, the first unit of the Rajasthan Atomic Power Station was to be commissioned in 1969 and the second unit in 1971.

(b) The main reasons for delay in the commissioning of the Station are the following :—

(i) Delays in the delivery of equipment by foreign as well as Indian suppliers ;

(ii) Delays in receipt of designs from the Canadian Consultants arising out of changes made in the light of experience gained in the construction of the Douglas Point Station in Canada ;

(iii) Delays due to various technical problems encountered during construction of the Station.

कंटाई क्षेत्र में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये सहायता

8055. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के कंटाई क्षेत्र की नमक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु शीघ्र कदम उठाने के लिये सहायता देने और आवश्यक वित्तीय सहायता देने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस विषय में पश्चिम बंगाल से सहायता के लिए जो भी अनुरोध प्राप्त होगा, उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

Central Vigilance Commissioner's Views on Corruption in High officers

8056. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the Central Vigilance Commissioner had expressed his desire not to take up/supervise the cases in regard to corruption prevailing amongst high officers (Hindustan Times dated the 20th June, 1972).

(b) whether while addressing the anti-corruption officers of the CBI and the States she had stated that 'Bhrashtachar se desh ki Ninv Khokhli hone ki ashanka hai' (corruption is likely to weaken the foundations of the country) as reported in the Navbharat Times (dated the 13th October, 1972) ; and

(c) if so, the steps taken by the Government to eradicate corruption at every level ?

The Minister of State in the Ministry of Home and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) The phrase 'Bhrashtachar se desh ki Ninv Khokhli hone ki ashanka' is the caption of the news item appearing in the Navbharat Times dated the 13th October, 1972. However, in the address to the Sixth Joint Conference of CBI and State Anticorruption Officer on the 12th October 1972 the Prime Minister while cautioning against the evils of corruption had observed *inter alia* as follows:—

"..we are at a stage of development—and by development I do not mean merely economic development but development of the nation as a whole—where we are building for the future and any corrupt attitude or acts of corruption crack this founda tion that we are trying to strengthen."

(c) In order to intensify the drive against corruption, the Central Government have taken a number of measures, *e.g.* the Central Bureau of Investigation as well as the Vigilance Organisations under the Central Government have been strengthened. An annual programme of vigilance work relating to Central Government departments and public undertakings is implemented. The Central Vigilance Commission is consulted in all cases against gazetted Officers of the Central Government and officers of comparable statu s in public sector undertakings involving charges of corruption or lack of integrity.

पांडिचेरी में सलेक्शन ग्रेड के पद

8057. **श्री वी० मायावन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रेणियों से सेलेक्शन ग्रेड के पदों के बारे में उनके मंत्रालय ने पांडिचेरी सरकार को एक पत्र संख्या 2-11-72 जी० जी० दिनांक 26 जून, 1972 को भेजा था ; और

(ख) पांडिचेरी सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख) पांडिचेरी सचिवालय अराजपत्रित सरकारी अधिकारी समिति की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ समिति ने मांग की थी कि पदोन्नति के लिये मार्ग-प्रशस्त करने के लिये निम्न श्रेणी लिपिकों, टंकणकर्ताओं, आशुलिपिकों, सहायकों तथा अधीक्षकों की प्रत्येक श्रेणी में सेलेक्शन ग्रेड के पद बनाये जायें। क्यों कि यह मांग तृतीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में लाई गई थी अतः इसको आयोग को उनके विचार के लिये भेज दिया गया। इस कार्यवाही के बारे में समिति को सूचित करने के लिये गृह मंत्रालय ने दिनांक 26-6-1972 के अपने पत्र सं० 2/11/72-जी० जी० द्वारा पांडिचेरी प्रशासन को सलाह दी थी। तदनुसार प्रशासन ने समिति के प्रधान को सूचित कर दिया था।

मेघालय के गारो हिल्स जिले से बंगला देश की सेना द्वारा भारतीयों का अपहरण किये जाने के समाचार

8058. **श्री वरके जार्ज :**

श्री राम प्रकाश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1972 में मेघालय के गारो हिल्स जिले में अमाकाली से बंगलादेश की सेना की एक टुकडी द्वारा कुछ भारतीयों का अपहरण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) :(क) और (ख) मेघालय सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जातियों श्रमिक लीग के बंगला देश लाल बाहिनि, एक स्वैच्छिक संगठन के सदस्यों द्वारा 21 भारतीय नागरिकों को पकड़ लिया गया था। तथा बंगला देश ले जाया गया था ।

अपहृत व्यक्तियों की रिहाई के लिए बंगलादेश सरकार से बातचीत की जा रही है।

मिज़ो विद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने के लिये भारत बंगला देश द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने का समाचार

8059. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री समर गुह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा और मिजोरम के समीपवर्ती क्षेत्र पर सशस्त्र मिजो विद्रोहियों की गतिविधियां फिर उमड़ रही हैं ;

(ख) इस खतरे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इनमें चीन-पास्कितान की साजिश का भी कोई संकेत मिलता है; और

(घ) उपरोक्त गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में जवाबी कार्यवाही करने के बारे में भारत बंगलादेश द्वारा की जाने वाली संयुक्त कार्यवाही सम्बन्धी कथित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) हाल में हिंसा, तोड़फोड़, लूटमार, डकैती आदि की कुछ घटनाएं हुई हैं जिनका मिजो विद्रोहियों द्वारा किये जाने का संदेह है।

(ख) भूमिगत विद्रोही गतिविधियों में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा उपाय कड़े कर दिये गये हैं और इस समय इस क्षेत्र में शांति के लिए कोई विशेष खतरा नहीं है।

(ग) इस बारे में हाल की कोई सूचना नहीं है।

(घ) जबकि ऐसे मामलों में भारत और बंगला देश के बीच सहमति और सहयोग है फिर भी प्रश्न में उल्लिखित ऐसी संयुक्त कार्यवाही का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लिमिटेड बयावार के श्रमिकों द्वारा आन्दोलन

8060. **श्रीमती कृष्ण कुमारी** (जोधपुर) : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बयावर, जोकि एक संकट ग्रस्त एकक है और जो औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम, 1951 के अधीन नियंत्रित उद्योग के रूप में चलाया जा रहा है, के श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किये जा रहे आन्दोलन की ओर लाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) जी हां। 1 जनवरी, 1973 से 12 रुपये की तदर्थ वृद्धि की मंजूरी दी गई है।

राजस्थान में नमक के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध को हटाना

8061. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** (जोधपुर) : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान के जोधपुर डिवीजन से देश के पूर्वी भाग को नमक ले जाने पर भारत सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध का राज्य के नमक उद्योग की रोजगार क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रतिबन्ध हटाने या उसमें ढील देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) राजस्थान के जोधपुर डिवीजन से देश के पूर्वी भागों को नमक लाने ले जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। फिर भी, नमक के लाने ले जाने का विनियम रेलवे मंत्रालय और परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के परामर्श से नमक आयुक्त द्वारा निर्मित क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत किया जाता है। इस योजना पर फिलहाल 1971 की जन-गणना को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जा रही है।

अफ्रीको-एशियाई एकता सम्मेलन और शान्ति परिषद् की कथित अवैध गतिविधियां

8062. **श्री पीलू मोदी :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अफ्रीकी-एशियाई एकता सम्मेलन और शान्ति परिषद अवैध गतिविधियों में भाग ले रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समाचार के आशयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और क्या सरकार को इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति श्री आई० ए० दीवान द्वारा दिया गया ज्ञापन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) : जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) हाल में श्री आई० ए० दीवान के नाम से एक पत्र प्राप्त हुआ है । मामले की जांच की जा रही है ।

ज्योति वीविंग फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता

8063. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड ने ज्योति वीविंग फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता को अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी के प्रबन्धकों ने फैक्टरी के कर्मचारियों को लिखे गये अपने दिनांक 31 जनवरी, 1973 के पत्र में भूतपूर्व उक्त कम्पनी के श्रमिकों और कर्मचारियों को देय बकाया राशि का भुगतान करने से इन्कार कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) ज्योति वीविंग फैक्टरी, 69, एस०के० देव रोड, कलकत्ता-48 का प्रबन्ध एक कपड़ा मिल (प्रबंध हाथ में लेना) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन सरकार के हाथ में आ गया है।

(ख) इस प्रकार का कोई भी पत्र सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कूच-बिहार शरणार्थी सेवा (पश्चिम बंगाल) में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों के वीसा की अवधि का बढ़ाया जाना

8064. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच-बिहार शरणार्थी सेवा (पश्चिम बंगाल) में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों को, स्थानीय लोगों द्वारा उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में अनेक आपत्तियां करने के बावजूद, भारत में रहने की अनुमति दे दी गई है अथवा 14 मार्च, 1973 से आगे के लिए उनके वीसा की अवधि बढ़ा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी राष्ट्रिकों के प्रति विशेष उदारता दिखाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख) एक नार्वेजियन राष्ट्रिक ओलाव लियोनार्ड हैरी हौडने को, जो कूच-बिहार शरणार्थी सेवा का निदेशक है, 16 मार्च, 1974 तक भारत में ठहरने की अनुमति दी गई है। उनकी कोई आपत्तिजनक गतिविधि ध्यान में नहीं आई है और कूच-बिहार शरणार्थी सेवा द्वारा आरम्भ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनकी उपस्थिति जरूरी है।

क्या कोई अन्य विदेशी राष्ट्रिक कूच-बिहार शरणार्थी सेवा में कार्य कर रहा है, जिसकी रहने की अवधि बढ़ाई गई हो, इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा सीमेन्ट के उत्पादन में फलाई ऐश का प्रयोग करने के बारे में अनुसंधान

8065. **श्री पी० गंगा देव** :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने खोज की है कि सीमेंट उत्पादन में फलाई ऐश का प्रयोग किया जा सकता है ;

(ख) फलाई ऐश के प्रयोग के बारे में वैज्ञानिकों ने अन्य किन उपायों का पता लगाया है ; और

(ग) यह प्रयोग कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) फलाई ऐश का प्रयोग अन्य दूसरे कार्यों में किया जाता है जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

(i) फलाई ऐश—मिट्टी की ईंटों के उत्पादन के लिए,

(ii) चूने और फलाई ऐश के प्रयोग से सैल्युलर कांक्रीट का उत्पादन करने के लिए,

(iii) फलाई ऐश से हल्के भार वाली ऐग्रीगेटों का उत्पादन करने के लिए,

(ग) (i) सीमेंट, पोर्टर एवं कांक्रीट में फलाई ऐश को पोजोलेनिक एडमिक्शचर के रूप प्रयोग करने संबंधी प्रविधि को पहले ही कुछ निर्माण अभिकरणों में दे दिया गया है।

(ii) चूने और फलाई ऐश से कोशिकामिय कांकीट उत्पादन करने की प्रविधि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में प्रयोग करने के लिए प्रताविृत गई है जहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्टरी प्रयोग भी पूरे किए जा चुके हैं।

(iii) मिट्टीयुक्त फलाई ऐश ईंटों की उत्पादन प्रविधि का सफल प्रयोग शहीबाबाद स्थित (दिल्ली के पास) एक ईंटों के भट्टे में किया गया है।

(iv) हल्के भार वाली फलाई ऐश के ऐग्रीगेटों के उत्पादन की प्रविधि का प्रयोगात्मक संयंत्र के स्तर पर सफल प्रयोग केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में किया गया है।

अश्लील साहित्य का मनोवैज्ञानिक अनुसंधान

8066. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अश्लील साहित्य और फिल्में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं।

(ख) क्या इस बारे में कोई विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इनको रोकने के लिए क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार के ध्यान में ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत नहीं आई है।

(ख) ऐसा कोई अनुसंधान आरम्भ नहीं किया गया है।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 तथा 293 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-क तथा 521 में भी पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान है जिसके द्वारा संबंधित राज्य सरकारें किसी प्रदर्शन, प्रकाशन अथवा अश्लील इश्तहारों, चित्रों तथा पुस्तकों के परिचालनों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई कर सकती है।

फोर्ड फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को सहायता

8067. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और फोर्ड फाउंडेशन ने श्री चार्ल्स इमास की सलाह पर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की थी ;

(ख) क्या फोर्ड फाउंडेशन ने श्री इमास की इस संस्थान के कार्यकरण संबंधी रिपोर्ट के आधार पर अपनी वित्तीय सहायता बन्द कर दी थी और यदि हां, तो यह सहायता कब बन्द की गई थी ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी इस संस्थान को अपनी सहायता बन्द कर दी है या घटा दी है और यदि हां, तो किस आधार पर और क्या श्री इमास की रिपोर्ट सरकार को भी मिली थी और यदि हां, तो उन्होंने इस संस्थान के कार्यकरण के विषय में क्या टिप्पणियां कीं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारत में डिजाइन प्रशिक्षण के लिए एक संगठन स्थापित करने के प्रश्न की जांच हेतु भारत सरकार ने 1958 में औद्योगिक डिजाइन के विशेषज्ञ श्री चार्ल्स इमास और श्रीमती रे इमास को आमंत्रित किया था। श्री और श्रीमती इमास ने अपनी रिपोर्ट में भारत में औद्योगिक डिजाइन के लिए एक केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की थी। तत्पश्चात् भारत सरकार के अनुरोध पर फोर्ड फाउंडेशन के दो विशेषज्ञों ने संस्थान स्थापित करने की एक विस्तृत योजना बनाई जिसके आधार पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की गई थी।

(ख) और (ग) भारत सरकार को फोर्ड फाउंडेशन अथवा श्री इमास से संस्थान के कार्य करने के विषय में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और न ही सरकार को फोर्ड फाउंडेशन द्वारा संस्थान को वित्तीय सहायता निलम्बित किए जाने की कोई जानकारी प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने इस संस्थान की वित्तीय सहायता निलंबित नहीं की है। भारत सरकार द्वारा संस्थान को इस समय केवल आवर्ती खर्चे की स्वीकृति दी जा रही है और आगे वित्तीय सहायता देने की बात सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को वित्तीय सहायता

8068. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को अब तक पूंजीगत और गैर-पूंजीगत व्यय के लिए कुल-कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या 75,000 रुपये के अनुमति पूंजीगत व्यय के बदले इस संस्थान ने साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं और यदि हां, तो अनुमान से इतना अधिक खर्च करने का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या जहां संस्थान का व्यय अनुमानों से बढ़ गया, वहां संस्थान की प्रशासी परिषद् में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व उत्तरोत्तर घटता गया और पहले पांच सदस्यों के स्थान पर अब केवल एक ही सदस्य उसमें है : और

(घ) यदि हां, तो सरकारी प्रतिनिधित्व घटाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इसे बढ़ाकर पहले जितना करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4871/73]

(ख) भारत सरकार को किन्हीं विशेष परियोजनाओं की जिन पर संस्था का वास्तविक पूंजी व्यय 75,000 रु० के अनुमान के स्थान पर साढ़े तीन लाख रु० था, जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) संस्था के नियमों और विनियमों के अनुसार भारत सरकार के प्रतिनिधियों के लिए जैसे (एक औद्योगिक विकास मंत्रालय से और दूसरा वित्त मंत्रालय से) संस्था की विशेष शास्त्र परिषद् के लिए विशेष रूप से केवल दो ही स्थान निश्चित किए गए हैं। अन्य सदस्यों को यद्यपि भारत सरकार नामित करती है, परन्तु भारत सरकार के प्रतिनिधि होना आवश्यक नहीं है। भारत सरकार द्वारा किए गए नामांकनों के आधार पर शुरू में गठित शासी परिषद् के सदस्यों में 5 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। स्थान रिक्त आदि होने पर शासी परिषद् में समयानुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या कम होती गई। फिर भी, इस समय संस्था की शासी परिषद् में केन्द्रीय सरकार के 4 कर्मचारी हैं।

नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ डिजाइन में कपड़ों के डिजाइन के लिये संकाय

8069. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन में कपड़ों के डिजाइन के लिए एक संकाय है और यदि हां, तो इसमें कब से काम चल रहा है ;

(ख) क्या देश में किसी कपड़ा मिल ने इस संकाय की सेवाओं का उपयोग किया है और यदि हां, तो ऐसी मिलों के नाम क्या हैं और कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है और प्रत्येक ग्रुप को प्रशिक्षण देने की शर्तें क्या हैं और प्रत्येक मामले में शर्तों में भिन्नता है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त संकाय कुछ ऐसे डिजाइनों का विकास कर सकता है जो उद्योग को बेचे जा सकें, यदि हां, तो विकसित डिजाइनों का व्यौरा क्या है और उन कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं जिनको ये डिजाइन बेचे जा सकते हैं और प्रत्येक सौदे में कितनी धन-राशि अर्जित की गई है ; और

(घ) क्या इस प्रकार के डिजाइन बेच कर इस संकाय को चलाया जा सकता है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए इस पहलू की जांच करने का है कि यह संकाय अपने डिजाइनों को बेच कर आत्मनिर्भर हो जाये ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां। नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन में कपड़ों के डिजाइन के लिए एक संकाय अगस्त, 1968 से कार्य कर रहा है।

(ख) संकाय की प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग निम्नलिखित मिलों ने किया है प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

मिल का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1 अशोक मिल, अहमदाबाद	1
2. हुमामचन्द मिल, इन्दौर	1
3. यमुना मिल, बड़ौदा	1
4. डायमण्ड सिल्क मिल, बम्बई	1
5. कैलिको मिल, अहमदाबाद	6

इस समय दिए गए प्रशिक्षित व्यक्ति अपने अपने मिलों में कार्य कर रहे हैं।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरु होने से पूर्व वस्त्र मिलों को प्रशिक्षार्थी भेजने को कहा जाता है। संस्था द्वारा वस्त्र डिजाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए सरकारी क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों से 50 रु० प्रति मास और गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों से 100 रु० प्रतिमास शुल्क लिया जाता है।

संस्था में वस्त्र डिजाइनों को निम्नलिखित संगठनों ने रोजगार दिया है

संगठन का नाम	प्रशिक्षित कार्यरत प्रशिक्षु का विवरण
1. जहांगीर मिल, अहमदाबाद	1
2. आर्योदय मिल, अहमदाबाद	1
3. अरविन्द मिल, अहमदाबाद	1
4. सेन्चुरी मिल, बम्बई	1
5. हेलेनका, अहमदाबाद . .	1
6. इन्स्टीट्यूट आफ हैण्डलूम, टेक्नोलीजी, बनारस . .	1
7. गर्वनमेंट आर्ट कालिज, बैंकाक, (थाईलैण्ड सरकार द्वारा प्रायोजित) .	1

(ग) इस संस्था का मुख्य कार्य उद्योगों के लिए डिजाइनों को प्रशिक्षण देना है। शिक्षा और व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं जिनपर संकांय के निर्देशन में प्रशिक्षार्थी कार्य करते हैं। निम्नलिखित व्यावसायिक कार्य किए गए हैं, लिए जाने वाले शुल्क का ब्यौरा भी दिया गया है :

	रु०
1. हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन के लिए रंग डिजाइन . .	1862.12
2. अशोक और रायपुर मिल, अहमदाबाद के लिए डिजाइन विभाग की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट	3000
3. नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड आनन्द के लिए एक सी डिजाइन	1000
4. फिनले संस के लिए प्रिन्ट डिजाइन . .	3000
5. होटल ताज, बम्बई के लिए कपड़े का सज्जा सामान	11,931.98
6. स्टेट बैंक आफ इंडिया के लिए कपड़े का सज्जा सामान	38,880
7. गेस्ट हाउस डिजाइन कोरबा के लिए कपड़े का सज्जा सामान	10,494.89
8. शरद गंधर्व डेकोरेटर्स के लिए कपड़े का सज्जा सामान . . .	5275.50

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन द्वारा बनाए गए डिजाइनों की स्वीकार्यता का परीक्षण करता है और डिजाइन भी बनाता है। ये जनता के लिए बेचे जाते हैं विगत तीन वर्षों में वार्षिक बिक्री निम्नलिखित थी :

	रु०
1970-71	160555.34
1971-72	275274.12
1972-73	188649 69

(घ) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्था है और शिक्षण प्रोग्राम के भाग के रूप में व्यवसायिक कार्य भी करती है। इसलिए संकाय का अपनी डिजाइनों को बिक्री के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नेशनल डिजाइन इन्स्टीच्यूट की डिग्री[1] डिप्लोमा को मान्यता दिया जाना

8070. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल डिजाइन इन्स्टीच्यूट ने गत तीन वर्षों में अपने विद्यार्थियों को कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा जारी किया है ;

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस इन्स्टीच्यूट द्वारा दिये गये डिग्री/डिप्लोमा को मान्यता दी हुई है और यदि नही, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संस्था को सहायता देना कहां तक उचित है ; और

(घ) इस इन्स्टीट्यूट द्वारा दिये जाने वाले डिग्री/डिप्लोमा को मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं और क्या इन्स्टीट्यूट को अपने प्रशिक्षण स्तर में सुधार करने को कहा गया है ताकि इस इन्स्टीच्यूट के पाठ्यक्रमों को विद्यार्थियों, उद्योग और सरकार के लिये उपयोगी बनाया जा सके ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया गया है।

(ख) संस्थान के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सरकारी मान्यता प्रतीक्षित है।

(ग) और (घ) संस्थान ने सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को केन्द्रीय सरकार की मान्यता के लिए पेश किया है। एक पाठ्यक्रम को अस्थायी मान्यता दी जा चुकी है। अन्य पाठ्यक्रमों को भी, प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्थाओं को भी प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्थाओं में जहां कही आवश्यक हो सुधार कर के, उपयुक्त प्राधिकरणों से मान्य कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए और संघ के स्मृति पत्र में लिखित विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्थान को समर्थ बनाने की दृष्टि से संस्थान को सतत् वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक समझा गया है।

Sale of Children by an unemployed Adivasi Couple

8071. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2802 on the 4th December, 1972 and state :

(a) whether the information report in regard to selling of their two children for Rs. 110/- by an unemployed Adivasi couple has since been received from Andhra Pradesh Government and if so, the facts thereof ; and

(b) if not, the reasons for delay in collecting the information ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The Government of Andhra Pradesh have reported that one Shri Pairam Suraiah aged 65, resident of Nacharam village and his wife Smt. Nagamma aged 40, belonging to the Koya Tribe eked out their living by begging. They were said to be physically unfit to do any work. Some time in 1972 they gave away their 1½ month old male child in adoption to one Shri Kolli Kanakiah resident of Kothagudem. About the same time another Koya women Smt. Fasam Muthamma wife of Shri Muthaiah, aged 35 who was also said to be living on begging, gave away her 6 month old male child in adoption to one Shri Lakshmi Narasamma, a vegetable vendor at Kothagudem. These two childern were given in adoption to childless parents of Kothagudem and these Koya families were known to the families who had taken their children in adoption. Hence it is not correct to say that they sold away their childern due to starvation.

(b) Does not arise.

वैज्ञानिक अनुवाद संस्थान

8072. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में भारतीय वैज्ञानिक अनुवाद ऐसोसिएशन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में किसी वैज्ञानिक अनुवाद संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) संगोष्ठी में अन्य किन विषयों पर चर्चा की गई थी और उसमें क्या निर्णय किये गये थे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां !

भारतीय वैज्ञानिक अनुवाद संस्था ने एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद संस्थान की [स्थापना के लिए सुझाव दिया है जिसका कार्य देश के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाना तथा उसमें सहयोग प्रदान करना, वैज्ञानिक और, तकनीकी साहित्य का विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना तथा द्विभाषिक और बहुभाषिक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दकोष का संकलन तथा प्रकाशन करना, विश्वविद्यालय स्तर की पाट्य पुस्तकों का विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन करना है।

(ख) इस सुझाव की, जो कि हाल ही सरकार को प्राप्त हुआ है, जांच की जायेगी।

(ग) संस्था ने साथ ही ये सुझाव दिये कि विदेशी सरकारों द्वारा प्रदत्त तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित विदेशी भाषाओं की छात्रवृत्तियों का एक भाग वैज्ञानिक अनुवादकों के लिए आरक्षित रखा जाये ; सभी अनुसंधान और विकास संगठन एक अनुवाद सेल खोलें जिनसे उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इत्यादि। यह भी सुझाव दिया गया है कि विश्वविद्यालय स्तर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी छात्रों के लिए एक विदेशी भाषा का अध्ययन (अंग्रेजी के अतिरिक्त) अनिवार्य किया जाये।

18 और 21 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति

8073. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर 18 और 21 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : 1961 की जनगणना के अनुसार जनगणना के विवरण में दी गई आयु के उपयुक्त समायोजन के पश्चात् आंकड़ों के आधार पर 18 और 21 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों की कुल संख्या 32.3 लाख है। 1971 की जनगणना के 1 प्रतिशत आंकड़ों के नमूने से अनुमानित 1971 की जनगणना में मिलते-जुलते आकड़े (असमान) 39.75 लाख हैं।

Appeals made Against the orders of Director of Enforcement

8074. **Shri M.C. Daga** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the number of appeals made against the orders of the Director of Enforcement during the last three years ;

(b) the number of appeals out of them, on which decision have been given; and

(c) the number of orders set aside ?

The Minister of State in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) :

	1970	1971	1972
(a) No. of appeals filed before the Foreign Exchange Regulation Board against the orders of the Director of Enforcement.	103	152	292
(b) Number of appeals out of them decided by the Board up to 31st March 1973.	18	9	2
(c) Number of appeals out of the above in which the orders of the Director of Enforcement were set aside.	..	1	

उड़ीसा के अराजपत्रित अधिकारियों का बड़ी संख्या में छुट्टी पर जाना

8075. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक लाख से अधिक अराजपत्रित अधिकारी एक साथ छुट्टी पर चले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार के अधिकांश अराजपत्रित अधिकारी 28 से 31 मार्च, 1973 तक एक साथ आकस्मिक अवकाश पर चले गए थे, परन्तु उनकी निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है । तथापि राज्य में अत्यावश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं हुई ।

(ख) राज्य सरकार के अराजपत्रित अधिकारियों की सामन्वय समिति ने राज्य सरकार के सम्मुख अनेक मांगें रखीं । इनमें से प्रमुख मांगें जिनमें वित्तीय आशय अर्न्तनिहित हैं, केन्द्रीय दरों पर अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की स्वीकृति, मकान भत्ते का भुगतान, चिकित्सा भत्ता, परियोजना भत्ता, नगर-भत्ता, तत्काल आवश्यकता पर आधारित वेतन, मंहगाई भत्ते का 67 प्रतिशत वेतन में मिलाया जाना, मंहगाई भत्ते का मूल्य सूचकांक के साथ संयोजित करके 80-135 रुपये से 90-150 रुपये के वेतनमान को संशोधित करना, समयोपरि भत्ता, जनवरी 1973, से पूर्व वेतनमानों को संशोधित करना, यात्रा भत्ता नियमों का पुनरीक्षण करना तथा अवकाश के एवज में वेतन देने से सम्बन्धित हैं । अन्य प्रमुख मांगें राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की समाप्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त पर वेतन का नियतन करना, अराजपत्रित अधिकारियों को अपने जिलों में तैनाती, सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक, आचरण नियमावली तथा गोपनीय आचार पंजियों को निकाल देना, सरकारी कर्मचारियों का तीन वर्ष की सेवा के बाद स्वतः स्थायी किया जाना, सभी मामलों में छटनी का बन्द किया जाना और एक संयुक्त परामर्श दात्री परिषद् का गठन किए जाने से सम्बन्धित हैं ।

(ग) राज्य सरकार ने अराजपत्रित अधिकारियों की समन्वय समिति के साथ उनकी विभिन्न मांगों पर श्रेणीवद्ध चर्चाएं की हैं। राज्य सरकार ने 500 रुपये प्रति माह वेतनमान वाले कर्मचारियों को चौथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता पहले ही स्वीकार कर दिया है। 80-135 रुपये के वेतनमान को संशोधित करके 90-150 रुपये कर दिया गया है राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक संयुक्त परामर्शदात्री परिषद् का गठन करना भी स्वीकार कर लिया है। अराजपत्रित अधिकारियों की कई मांगें राज्य सरकार द्वारा गठित की गई वेतन समिति को भेजी जा रही हैं। अन्य शेष मांगों पर राज्य सरकार जांच-पड़ताल कर रही है।

औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र का योगदान

8076. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य में उल्लेख किया था कि उद्योगों के विकास में निजी क्षेत्र का बड़ा योगदान है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकार गृहों के सम्बन्ध में सरकार के रवैये में पुनः बड़ा परिवर्तन हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के 46 वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने देश के औद्योगिक विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका का उल्लेख किया और यह स्पष्ट किया था कि सरकारी क्षेत्र का विस्तार करने का अर्थ यह नहीं है कि गैर सरकारी क्षेत्र समाप्त कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि औद्योगिक लाइसेंस नीति के ढांचे के अन्दर मध्यवर्ती उद्योग की सीमा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ है। उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रेरित किया कि वह समय के अनुकूल अपनी क्षमता दिखाये और योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चुनौती का सामना करे।

(ख) जी नहीं।

पांचवीं योजना के दौरान अन्तरिक्ष सम्बन्धी तकनीकी जानकारी का विकास

8077. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना में अन्तरिक्ष सम्बन्धी तकनीकी जानकारी के विकास पर 200 करोड़ रुपये व्यय करने का है ;

(ख) पांचवीं योजना के दौरान उक्त धनराशि किन-किन शीर्षकों के अन्तर्गत खर्च की जायेगी ; और

(ग) उपलब्ध वर्तमान वैज्ञानिकों की सहायता से अन्तरिक्ष सम्बन्धी तकनीकी जानकारी का विकास करने का क्या ठोस कार्यक्रम सरकार के सामने है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) अंतरिक्ष सम्बन्धी कार्यकलाप हेतु पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

राज्यों द्वारा नौकरियों के लिए अतिरिक्त धनराशि एकत्र करना

8078. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "स्टेट्स टोल्ड टू रेज एकस्ट्रा फन्ड्स फोर जौवस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) राज्यों के सम्मुख रखे गये प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियाएं है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रामीण रोज़गार से संबंधित त्वरित स्कीम पर राज्य सरकारों को वितरित करने के लिए 1973-74 में 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है । 1971-72 में शिक्षित बेरोज़गारों के लिए शुरू की गई स्कीमों को जारी रखने के लिए 1973-74 में 63 करोड़ रुपये की राशि की परिकल्पना की गई है । इन दोनों स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा समान अंशदान का विचार नहीं किया गया है ।

शिक्षित तथा अशिक्षित, दोनों प्रकार के, काम तलाश करने वालों के लाभ के लिए 1972-73 में राज्यों में शुरू किए गए विशेष रोज़गार कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 26.5 करोड़ रुपये की राशि इस शर्त पर आबंटित की गई थी कि वे भी कम से कम इतने ही अतिरिक्त संसाधन जुटाएंगी ? किन्तु यह शर्त कतिपय ऐसे राज्यों के लिए समाप्त कर दी गई जिनको अतिरिक्त संसाधन जुटाने में कठिनाई हुई थी । 1973-74 के लिए भी केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को आबंटित करने के लिए 26.5 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव है, जिसके साथ यह भी सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें बराबर का अंशदान करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाएं । राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है ।

1973-74 के दौरान 5 लाख शिक्षित बेरोज़गारों को रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसका अधिकांश भाग राज्यों और संघीय क्षेत्रों को विभिन्न रोज़गार कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए बांट दिया जाएगा । इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई है कि इन कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए राज्य कार्यक्रमों को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे । किन्तु यदि राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के लिए संसाधनों को बढ़ाएंगी तो केन्द्रीय सरकार उनके इस प्रयास का स्वागत करेगी क्योंकि इससे राज्यों में और बड़े पैमाने पर रोज़गार कार्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं अर्ध-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को सैन्य क्षेत्र भत्ते की अदायगी

8079. **श्री अरविंद एम० पटेल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के कितने नगरों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और अर्ध सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को सैन्य क्षेत्र भत्ता दिया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : भारत सरकार द्वारा सैन्य क्षेत्र भत्ते के रूप में अपने कर्मचारियों को कोई भत्ता मंजूर नहीं किया जाता। राज्य सरकारों या अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा ऐसे किसी भत्ते की मंजूरी किए जाने के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

संगीत तथा नाटक विभाग के कर्मचारियों और कलाकारों की सेवा की शर्तें

8080. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत तथा नाटक विभाग के कर्मचारियों और कलाकारों के विभिन्न वेतनमानों की सेवा शर्तों में सुधार करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार के प्रस्ताव कर्मचारियों की दीर्घावधि से चली आ रही मांगों पर आधारित है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का स्वरूप क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) से (ग) जहां तक गीत और नाटक प्रभाग के नियमित कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी सेवा शर्तों में सुधार के कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं हैं क्योंकि उन पर वही सेवा शर्तें लागू होती है जो केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। जहां तक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों का सम्बन्ध है, उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए सरकार ने भूतकाल में अनेक प्रस्ताव स्वीकार किए। इस समय निम्निलिखित दो प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है :---

(1) सीमावर्ती प्रचार योजना के अन्तर्गत स्टाफ आर्टिस्टों की फीसों के टाइम-स्केलों का निर्धारण--- इस समय सीमावर्ती प्रचार योजना के अन्तर्गत लगे स्टाफ आर्टिस्टों को समेकित फीस तथा उस पर सामान्य भते मिलते हैं। यह प्रस्ताव है कि इसके स्थान पर उनको प्रभाग के अन्य स्टाफ आर्टिस्टों के समान फीसों के टाइम-स्केल दिये जाएं।

(2) स्टाफ आर्टिस्टों के फीसों के स्केलों को युक्तिसंगत बनाना। यह निर्णय किया गया है कि स्टाफ आर्टिस्टों के फीसों के स्केलों को युक्तिसंगत बनाने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् प्रभाग के विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में कार्य-भार मूल्यांकन करें।

मनीपुर में रेशम उत्पादन उद्योग का विकास

8081. **श्री एम० टोम्बी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक विशेष किस्म का रेशम का कीड़ा केवल बलूत के पत्तों पर ही पलता है जो मनीपुर में बहुत होता है ;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर में बलूत के पत्तों के विशाल संसाधनों का रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिए उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मरकार मनीपुर में इस उद्योग के सामग्री संबंधी संसाधनों और रोजगार संभावनाओं के विशेष संदर्भ में इस बारे में विस्तृत अध्ययन करेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

रेशम उद्योग का विकास करने के लिये मनीपुर में बलूत के पत्तों के विशाल संसाधनों का उपयोग करने के लिये निम्नलिखित अभ्युपाय किए गये हैं :—

(1) केन्द्रीय सिल्क रिसर्च स्टेशन रांची ने प्रसंकर जाति के टसर किस्म के रेशम के कीड़ों का विकास किया है जिनको बलूत के पौधों पर पाला जा सकता है।

(2) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा मनीपुर में प्राकृतिक रूप में उगे हुये उपलब्ध बलूत के पौधों का टसर कोयों (कोकनों) को पालने के लिये प्रभावी रूप में उपयोग करने के सम्बन्ध में एक परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना पर छः वर्षों में कुल 8.18 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। इसका उद्देश्य छठवें वर्ष के अन्त तक 5.10 लाख कि० ग्राम टसर सिल्क के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करना है। परियोजना द्वारा 9,144 व्यक्तियों के लिये पूर्ण कालिक रोजगार के तथा करीब 1 लाख लोगों के लिये अंश कालिक रोजगार के अवसर सुलभ कराये जा सकेंगें। इस योजना क्षेत्र में 300 गांवों के करीब 36,000 किसान आयेंगें।

(3) सरकार ने इम्फाल के रिसर्च सब-स्टेशन को मनीपुर ओक टसर परियोजना का प्रबन्ध करने के 600 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु और अवसर सुलभ करना स्वीकार कर लिया है।

मनीपुर, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा के व्यापक विकास के लिए विशेष आवंटन

8082. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के नये राज्यों के लिए विशेष आवंटन के बारे में विचार किया जा रहा है जिससे व्यापक विकास योजनाएं आरम्भ की जा सकें और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उन राज्यों की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में विशेष अनुरोध किया है और यदि हां, तो क्या अनुरोध किया है ; और

(ग) क्या इस पहलू पर शीघ्र विचार करने के लिये सरकार का विचार पूर्वोत्तर परिषद् की बैठक का आयोजन करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों की 1973-74 की वार्षिक योजना को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए स्वीकृत परिव्यय अनुबंध में दर्शाये गये हैं।

विवरण

	(करोड़ रुपये) 1973-74 का स्वीकृत परिव्यय
असम .	52.97
मणीपुर	8.91
मेघालय	12.00
नागालैंड	11.00
त्रिपुरा . .	12.00
अरुणाचल प्रदेश . .	4.39
मिजोराम	6.00

लाइसेंस प्रक्रिया में विलम्ब को दूर करने के उपाय

8083. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के हाल ही में हुए वार्षिक सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने लाइसेंस जारी करने में हो रहे विलम्ब को स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां तो लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में विलम्ब को कम करने के लिये इस बीच क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ की वार्षिक बैठक के उद्घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने बताया कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया में होने वाली विलम्ब को दूर किया जाना है तथा मंत्रिमंडल समिति इस मामले पर विचार कर रही है ।

(ख) औद्योगिकी लाइसेंसों तथा अन्य स्वीकृति के आवेदनों के निबटान से सम्बन्धित प्रक्रियाओं की सरकार सतत समीक्षा कर रही है विलम्ब विभिन्न कारणों से हुआ करता है जिनका अब व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा रहा है तथा प्रत्येक स्तर पर निर्णय करने की प्रक्रिया के औचित्य का पुनरावलोकन किया जा रहा है ।

औद्योगिक एककों में परमाणु बिजली घर के उपकरणों का निर्माण

8084. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में औद्योगिक एकको द्वारा परमाणु बिजली घर के उपकरणों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो किन-किन उपकरणों का निर्माण आरम्भ किया गया है और निजी सरकारी संयुक्त क्षेत्र आदि में इन उपकरणों की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी हैं ; और

(ग) चालू वर्ष तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी एकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग का पुनर्गठन

8085. श्री एस० एल० मिश्र :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन किये जायेंगे, और

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 8 प्रभाग होंगे जो कि इस प्रकार है :

(1) एक विशेष कार्यक्रम प्रभाग, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित या विभाग द्वारा प्रचलित अन्तर-अनुशासनिक एवं अन्तर-सांस्थनिक अनुसंधान और विकास प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा ।

(2) एक प्राकृतिक संसाधन प्रभाग, जो विभागाधीन वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के प्रशासन निदेशन के अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन के सर्वेक्षणों में संलग्न अन्य अभिकरणों के कार्यकलापों के सहयोग में योगदान देगा ।

(3) एक प्रौद्योगिकी उपयोग प्रभाग, जो देश के अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में विकसित स्वदेश प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा उसके वाणिज्यीकरण संबंधी विभाग के मुख्य उत्तरदायित्व, की देखभाल करेगा ।

(4) एक सहायक अनुदान प्रभाग जो विभाग द्वारा प्रदत्त सहायक अनुदान प्राप्त कर रहे वैज्ञानिक संस्थानों की वित्तीय आवश्यकता के जानकार मूल्यांकन का कार्यभार संभालेगा ।

(5) एक जन शक्ति प्रभाग जो देश की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक जन शक्ति के सांख्यिकीय अध्ययन के आधार पर नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करेगा ताकि इसका वर्धक प्रसार तथा पूर्णतम उपयोग हो सके ।

(6) एक अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्य प्रभाग जिसका कार्य-क्षेत्र अन्य मैत्रीपूर्ण देशों के साथ हुये वैज्ञानिक समझौतों के कार्यान्वयन और इस संबंधी वार्ता से संबंधित होगा । यह प्रभाग विदेशों में स्थित वैज्ञानिक सहचारियों का मार्ग दर्शन करेगा ।

(7) एक प्रशासनिक प्रभाग, जिसका कार्यचालन इसके नाम से स्पष्ट है ।

(8) एक सूचना प्रभाग जो समयानुसार प्रौद्योगिक-अर्थ सूचना के विशाल अंग का निर्माण करेगा जो वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी-कार्य की योजना के लिए आवश्यक है ।

आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी का सरकारीकरण

8086. श्री राम प्रकाश : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंजीनियरिंग फर्म आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी का जो वैगनों का निर्माण करती है सरकारीकरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) इस उपक्रम के कार्य की उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अधीन जांच की गई थी और जांच रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छात्र वृत्तियां

8087. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जितने उम्मीदावारों को केन्द्रीय सरकार ने छात्रवृत्ति दी, उनकी संख्या का राज्य-वार व्यौरा क्या है ; और

(ख) इस बारे में जितने आवेदन पत्रों को रद्द किया गया, उनकी संख्या का राज्यवार व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख) 1972-73 तथा 1973-74 के वर्षों के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिये 21 अनुसूचित जाति तथा 6 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी ; वर्ष 1972-73 के अन्तिम तिमाही में दोनों वर्षों के लिये चयन किया गया था । कुल मिलाकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के 126 पात्र उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र भेजे थे । उनमें से केवल 27 चुने गये तथा 99 को रद्द कर दिया गया । इन उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(क) विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु 1972-73 और 1973-74 के लिये जिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को छात्रवृति प्रदान की गई उन की राज्यवार संख्या :–

राज्य	प्रदान की गई छात्रवृत्ति	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. आन्ध्र प्रदेश	1	—
2. असम	1	—
3. बिहार	—	2
4. गुजरात	1	—
5. मैसूर	4	—
6. मध्य प्रदेश	1	—
7. महाराष्ट्र		1
8. मेघालय	—	2
9. पंजाब	2	—
10. त्रिपुरा	—	1
11. तमिलनाडु	2	—
12. उत्तर प्रदेश	5	—
13. पश्चिम बंगाल	4	—
जोड़ :	21	6

(ख) राज्य वार रद्द किये गये आवेदनपत्रों की संख्या :—

राज्य	प्रदान की गई छात्रवृत्ति	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. आन्ध्र प्रदेश	13	—
2. असम	2	4
3. बिहार	1	4
4. दिल्ली .	1	—
5. हिमाचल प्रदेश .	—	2
6. हरियाणा .	2	—
7. महाराष्ट्र . .	14	2
8. मैसूर .	6	—
9. मध्य प्रदेश	4	1
10. मणीपुर	—	2
11. मिजोराम	—	1
12. उड़ीसा . . .	—	1
13. पंजाब .	11	—
14. राजस्थान	2	—
15. तमिलनाडु .	4	—
16. त्रिपुरा .	1	—
17. उत्तर प्रदेश	10	—
18. पश्चिम बंगाल	10	—
जोड़ :	81	18

बिहार राज्य में बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशनों को सहायता देने के लिए धनराशि का आवंटन

8088. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से 73 तक बिहार राज्य में बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशनों को सहायता देने के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) क्या सरकार का विचार समस्त आवंटन की सहायता के रूप में स्वीकार करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों के लाभ के लिए 1972-73 में औद्योगिक विकास मंत्रालय ने दो तिहाई ऋण तथा एक तिहाई अनुदान के रूप में बिहार सरकार को 70 लाख रु० आवंटित किए ।

शिक्षित बेरोजगारों, जिनमें इंजीनियर तथा तकनीशन भी सम्मिलित हैं, के लिए तैयार की गई निम्नांकित स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है।

(लाख रुपये)

स्कीम का नाम	आवंटित राशि	
	1971-72	1972-73
1. ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण	0.41	25.18
2. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सड़क परियोजनाओं की जांच	1.65	4.95
3. कृषि सेवा केन्द्र	2.45	1.75
4. ग्राम जलपूर्ति के लिए डिजाइन यूनिट	—	2.34
5. सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं की जांच . .	19.00	89.00
6. प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण	यह स्कीम चालू नहीं है।	4.20

150 इंजीनियरी की डिग्री तथा डिप्लोमाधारियों को आर्थिक सहायता रोजगार प्रदान करने से संबंधित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 1972-73 में बिहार सरकार को शिक्षा मंत्रालय ने भी 1.68 लाख रु० आवंटित किए। इस स्कीम के अन्तर्गत स्नातक इंजीनियरों को 400 रु० प्रतिमाह तथा डिप्लोमाधारियों को 250 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसमें से आधी राशि शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाती है और शेष नियोजकों द्वारा।

इसके अतिरिक्त 1972-73 में बिहार सरकार को विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए 275 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान आवंटित किया गया, इन कार्यक्रमों में से कईयों द्वारा इंजीनियरों तथा तकनीशनों को भी रोजगार मिलने की परिकल्पना की गई।

कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) में आकाशवाणी केन्द्र

8089. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के लोगों ने कूच बिहार में एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के लिए उन्हें एक ज्ञापन दिया है जिससे कि उत्तर बंगाल और आसाम के कुछ भागों के लोगों की मांग पूरी की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवी योजना के अन्तर्गत रेडियो प्रसारण के भावी विस्तार के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग तथा निकटवर्ती आसाम के क्षेत्रों के लोगों की प्रसारण आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा।

सामरिक महत्व के क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र

8090. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की सीमा और सामरिक महत्व के क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है जोकि कृषि प्रयोजनों के लिये प्रभावी प्रचार करने और स्थानीय संस्कृति का विकास करने में भी सहायक होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान योजना में देश के सीमावर्ती तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों को कवर करने के लिये एजल, सुरतगढ़, दरभंगा, नजीबाबाद (कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र को कवर करने के लिये) शिलांग, श्रीनगर, तवांग तथा बादरदेवा (अरुणाचल प्रदेश की राजधानी) में नये रेडियो स्टेशन लगाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त जोधपुर, जम्मू तथा शिमला के वर्तमान केन्द्रों को वहां उच्च शक्ति के ट्रांसमिटर लगाकर शक्तिशाली किया गया है ।

कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना में प्रगति

8091. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल में अन्य स्थानों पर टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण करने, निर्माण कार्य शुरू करने, विदेशी मुद्रा जारी करने और ट्रांसमीटरों और स्टुडियों उपकरणों के आयात हेतु आर्डर देने के मामलों में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल में अन्य स्थानों पर टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना में हुई प्रगति इस प्रकार है :—

1. **कलकत्ता टेलीविजन केन्द्र**

(1) **स्थान**—कलकत्ता महानगर विकास अधिकरण द्वारा अलाट किया गया लगभग 9.6 एकड़ का गोल्फ क्लब क्षेत्र से लिया गया है ।

(2) **भवन-निर्माण**—भवन का डिजाइन बनाने का काम किसी गैर सरकारी वास्तुकार को देने के लिए एक वास्तु प्रतियोगिता की जा रही है ।

(3) **विदेशी मुद्रा**—आवश्यक विदेशी मुद्रा जारी हो चुकी है ।

(4) **आयातित उपकरणों की प्राप्ति**—स्टूडियो और ट्रान्समीटर के कुछ उपकरण प्राप्त हो चुके हैं । शेष उपकरणों के इस साल के दौरान मिलने की उम्मीद है ।

2. **दुर्गापुर और आसनसोल के निकट रिले केन्द्र**

(1) **स्थान तथा** (2) **भवन-निर्माण**—स्थानों का सर्वेक्षण मुकम्मल हो चुका है । भवन-निर्माण सम्बन्धी कार्रवाई स्थान अधिग्रहण करने के बाद ही की जायेगी ।

(3) **उपकरणों की प्राप्ति**—उपकरणों को प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

कच्चे माल के मूल्यों का विनियमन

8092. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री जी० वाई कृष्णन :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कच्चे रेशम के मूल्यों के विनियमन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो 100 प्रतिशत बढ़ चुके हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : कच्ची सिल्क की कीमतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने शहतूत के कोये और कच्चे सिल्क की कीमतों को स्थिर करने वाली नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वियन के संबंध में बोर्ड को सलाह देने के लिए एक कच्चा सिल्क मूल्य स्थिरीकरण प्राधिकरण गठित किया है ।

(2) निर्यात तथा आंतरिक उपयोग के लिए सिल्क की वस्तुओं का निर्यात करने में लगे हथकरघा जुलाहों को स्थिर मूल्यों पर कच्चे माल का आफ दि शैल्फ सम्भरण करने का सुनिश्चिय करने के उपाय के रूप में कच्चा माल बैंक स्थापित करने की एक विशद योजना तैयार की गई है ।

इस योजना के आंशिक कार्यान्वियन में टसर के कोयों और टसर वेस्ट के लिए अगस्त, 1972 में एक कच्चा माल बैंक स्थापित किया गया था । शहतूत सिल्क के लिए केन्द्रीय और क्षेत्रीय कच्चा माल बैंकों को संगठित करने का प्रश्न मूल्य स्थिरीकरण प्राधिकरण को सौंप दिया गया है ।

(3) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा एक मूल्य स्थिरीकरण समिति स्थापित की गई थी । समिति ने सिल्क बाजार के स्थिरीकरण के लिए दीर्घावधि उपायों की सिफारिश की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोये की फसलों का स्थिरीकरण, कोये और कच्चे सिल्क का मानकीकरण एवं वर्गीकरण और युक्ति-पूर्ण विपणन प्रबंध शुरू करना शामिल है । सिल्क का उत्पादन करने वाले मैसूर, पश्चिम बंगाल और जम्मू तथा कश्मीर जैसे प्रमुख राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सिफारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वित करें ।

आकाशवाणी, नई दिल्ली में परिवार नियोजन संबन्धी कार्यक्रमों का प्रसारण

8093. श्री मानसिंह भोरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, दिल्ली से परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केवल विशेषज्ञों को बुक किया जाता है और क्या केवल उन व्यक्तियों को बुक किया जाता है जो अच्छी हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी बोल सकते हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में आकाशवाणी दिल्ली के परिवार नियोजन यूनिट द्वारा विदेशों के लिये कितने कार्यक्रम प्रसारित किये गये ; और

(ग) कार्यक्रम में भाग लेने वालों के नाम क्या थे और उन्हें परिवार नियोजन के बारे में क्या विशेष जानकारी थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । विशेषज्ञों के अतिरिक्त विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं और नवयुकों को भी इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए

आमन्त्रित किया जाता है । जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, ऐसे व्यक्तियों को, जो हिन्दी या हिन्दुस्तानी अंग्रेजी, पंजाबी तथा उर्दू अच्छी तरह बोल सकते हैं, बुक किया जाता है, क्योंकि आकाशवाणी, दिल्ली से परिवार नियोजन पर इन सभी भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं ।

(ख) 65 ।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण 1, 2 तथा 3 में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4872/73]

Centre For City Of Developing Societies

8094. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of grant given by Government to the Centre for the Study of Developing Secieties, 29, Rajpur Road, Delhi-6 for each item of work, separately, during the last three years; and

(b) the progress made in each of these works and the various works of public importance done by this institution for Government or for the public and the number of years for which this institution has been doing these works?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) The amount of grant given by the Ministry of Home Affairs to the Centre for the Study of Developing Societies 29, Rajpur Road, Delhi during the last three years, for each item of work separatey, is as follows :

S. No.	Name of the study	Amount of Grant in Rupees		
		1970-71	1971-72	1972-73
1.	Contemporary Muslim Attitude on their Place in Indian Society.	1,20,000	1,20,000	1,21,250
2.	India's Urban Tensions . . .	—	95,000	82,000

As for the Project on Muslim Communities in Contemporary India, the entire field survey, based on a national representative sample of 3064 citizens and 966 leaders—both Muslims and Hindus—spread over 16 states and 35 districts, has been completed. The data are presently being processed for analysis and the report is expected during he coming year.

The Project on India's Urban Tensions, covering 15 towns, is still under progress. The Study of Calcutta has been completed and a report on it is expected in the next three months. Preliminary reports on (i) quantitative urban trends and (ii) a survey of literature on urban tensions have already been submitted to the Ministry. The reports on other towns and other aspects of the study are expected, in stages, between now and March 1974.

Besides the studies supported by the Ministry of Home Affairs according to information furnished by the Centre, the main research studies undertaken by the Centre in the course of nine years of its existence are as follows :

(i) A National Study of 1971 Parliamentary Elections which is supported by the Indian Council of Social Science Research: field work has been completed and data processed; the study is presently being written up.

(ii) A study of Leadership of Scheduled Castes and Scheduled Tribes; the study has been completed and report has been submitted to the Indian Council of Social Science Research which supported the study.

(iii) A series of case studies on the role of cast in Indian politics; a book has been published.

(iv) Studies in the Indian party system and electoral behaviour including selection of candidates; two books and over 25 papers have been published.

(v) A comprehensive analysis of the relationship between the growth of democracy and governmental performance in India: a book based on this work has been published.

(vi) Studies in the relations between administrators and politicians at the local level sponsored by the Administrative Reforms Commission and in collaboration with the Indian Institute of Public Administration: two books have been published.

(vii) A study of the history of the Indian National Congress: a book is expected to go to press this year.

(viii) A project on district and state performance in family planning programme; the study has been completed and the report is ready for the National Institute of Family Planning which supported the study.

(ix) A study on small scale entrepreneurs: a number of papers have been published and a book is under preparation.

(x) A study of Indian scientists and science policy in India: papers based on this work have been published.

(xi) A study of the Indian approach to world problems: the work has been completed and a book is in press.

(xii) A study of policy planning and implementation in India: a number of analytical articles have been published and a comprehensive programme of research has been drawn up and is expected to be taken up soon.

जूनागढ़ में टेलीफोनों की संख्या

8095. **श्री बेकारिया : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनागढ़ जिले में टेलीफोनों की संख्या कितनी है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1972 तक नये कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) वर्ष 1972 में कितने कनेक्शन दिए गए; और

(घ) कितने आवेदन पत्र अभी भी विचाराधीन है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 4663 ।

(ख) 2028 ।

(ग) 738 (बाद में 371 आवेदकों ने कनेक्शन लेना मुल्तवी कर दिया) ।

(घ) 919 ।

गुजरात राज्य के पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों का विकास

8096. **श्री बेकारिया** :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : योजना आयोग ने गुजरात के 10 जिलों को वित्तीय संस्थाओं को रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिये पिछड़े जिले घोषित किए है । इनमें से तीन जिलों को निश्चित आस्तियों में निवेश पर 10% केन्द्रीय आर्थिक सहायता पाने का पात्र करार किया गया है । लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद उद्योग निदेशालय, अहमदाबाद और गुजरात राज्य वित्तीय निगम अन्य आठ जिलों को लघु उद्योगों का विकास करने की क्षमता का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया है । लघु उद्योग सर्वेक्षण संस्थान, अहमदाबाद के तकनीकी अधिकारियों द्वारा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में नियमित रूप से जाने के अलावा चार पिछड़े जिलों में गहन अभियान भी चलाये गये थे । पांचवीं योजना के लिये ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात के तीन पिछड़े जिलों को स्वीकृति दी गई है । इन तीन जिलों में परियोजना में कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण देना, तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण आदि संबंधी प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है ।

देश में सबसे अधिक और सबसे कम आय का अनुपात

8097. **श्री धरनीधर दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति परिवार अधिकतम आय कितनी है और इस आय-वर्ग का कुल जनसंख्या से क्या अनुपात है ;

(ख) प्रति परिवार न्यूनतम आय किननी है और इस आय-वर्ग का कुल जनसंख्या से क्या अनुपात है ; और

(ग) अधिकतम और न्यूनतम आय वर्गों के बीच आय का क्या अनुपात है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) कोई भी विधिमान्य अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

एकाधिकार वाले उद्योग गृहों का विस्तार

8098. **श्री धरनीधर दास** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी, सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में पूंजी-निवेश कितना-कितना है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक में निवेश में हुई घट-बढ़ अनुपात क्या है ; और

(ख) 1969 से एकाधिकार में हुई वृद्धि की दर तथा मात्रा कितनी है और 1969 से राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की तुलना में एकाधिकार वाले उद्योग-गृहों की आस्तियों और लाभ में हुई वार्षिक वृद्धि की दर क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) गैरसरकारी, सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में निवेश का रूख निम्नलिखित आंकड़ों से जाना जायेगा :—

गैर-सरकारी क्षेत्र : वर्ष 1970 और जनवरी–सितम्बर, 1971 की तुलना में पूंजी जारी किए जाने वाले नियंत्रक द्वारा वर्ष 1970, 1971 और जनवरी-सितम्बर, 1972 में प्रदान की गई स्वीकृति के अधीन गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा लगाई गई पूंजी :—

पूंजी का प्रकार	1970	1971	जनवरी—सितम्बर		1972
			1970	1971	
1	2	3	4	5	6
प्रारंभिक (इक्विटी और प्रिफ़ेंन्स)	2721.14	2155.02	2452.93	1416.97	545.98
(वही)	2320.79	1971.61	2016.12	1732.31	1521.91
डिबेंचर	1273.23	872.30	1145.20	648.50	5110.32
बोनस	5100.78	3180.92	4250.20	2438.03	2306.01
ऋण	603.02	403.89	233.71	329.51	598.43
योग	12098.96	8583.74	10098.16	6565.32	10082.65
योग, (बोनस को छोड़कर)	(6918.18)	(5402.82)	(5847.96)	(4127.29)	(7776.64)

(ख) आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता तथा वर्ष 1970-1971 में आई० आर० सी० आई० 183.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 1971-72 में 259.9 करोड़ रुपये हो गई (स्रोत 1972-73 का आर्थिक सर्वेक्षण) ।

सरकारी क्षेत्र :

मार्च, 1969, 1970 और 1971 के अंत तक केन्द्रीय सरकार और वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा धारित आस्तियों की (सकल) कीमत :–

वर्ष	संपत्ति का मूल्य (क्रास ब्लाक)
	(करोड़ रु० में)
मार्च, 1969	3463.1
1969-70	3885.4
1970-71	4317.5

सहकारी क्षेत्र :

औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा किया गया निवेश नीचे दिया जा रहा है :–

	1968-69 (30-6-69 के अंत तक)	1969-70 (30-6-70 के अंत तक)
	(रु० करोड़ों में)	
(1) चुकता शेयर .	94.71	112.06
(2) सोसाइटियों द्वारा इकट्ठी की गई विधि सहित उधारी	210.23	265.10
(3) इन सोसाइटियों में कुल निवेश	304.94	377.16

(ख) 17 अप्रैल, 1973 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 7294 के उत्तर में 20 बड़े औद्योगिक गृहों की 1969-70 से आस्तियों और लाभ में वृद्धि की जानकारी कंपनी कार्य विभाग द्वारा दे दी गई है।

प्रतिव्यक्ति शुध्द राष्ट्रीय उत्पादों के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :–

वर्ष	प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन (रु०)	
	वर्तमान मूल्य	1960-61 के मूल्य
1967-68	561.9	329.9 अस्थायी आंकड़े
1968-69	548.8	324.6
1969-70	597.4	341.0 (स्त्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 1972-73)
1970-71	633.1	348.9

उत्तर प्रदेश में सी० ग्राई० ए० की गतिविधियां

8099. **श्री वयालर रवि :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च 1973 के 'बिलट्ज' में "सी०ग्राई०ए० स्टार्टस सबवर्शन ड्राइव ग्रमंग यू०पी० वोटर्स" शीर्षक से छपे समाचार की ग्रोर दिलाया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ग्रौर इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री फखरूदीन मोहसिन) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

राज्यों में ग्रौद्योगिक विकास

8100. **श्री बी० एन० रेड्डी : क्या ग्रौद्योगिक** विकास मंत्री यह **बताने की** कृपा **करेंगे** कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य **की ग्रौद्योगिक** विकास दर क्या **थी ; ग्रौर**

(ख) विकास दर में विषमता के **क्या कारण हैं** ?

ग्रौद्योगिक विकास तथा विज्ञान ग्रौर ग्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) ग्रौर (ख) हर राज्य के ग्रौद्योगिक उत्पादन का सूचकांक ग्रलग तैयार नहीं किया जाता है ग्रतः पिछले तीन वर्षों की राज्य-वार ग्रौद्योगिक विकास दर का ग्रनुमान लगा सकना संभव नहीं है ।

ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली में एक सैनिक ग्रधिकारी के घर में चोरी

8101. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च 1973 के स्टेटसमेंन के ग्रनुसार युद्धक्षेत्र में नियुक्त सैनिक ग्रधिकारी के ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली स्थित मकान में 26 मार्च 1973 को दिन-दहाड़े चोरी हो गई थी ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ग्रौर यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; ग्रौर

(ग) ग्रग्रिम क्षेत्रों में तैनात सैनिक कर्मचारियों के ग्राश्रितों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । इस चोरी के लिये जिम्मेवार गिरोह का पता लगा लिया था ग्रौर इसके दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया । चुराई गई संपत्ति का एक भाग बरामद कर लिया गया तथा शेष सम्पति को बरामद करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) जहां तक सम्भव है ऐसे ग्रपराधों की रोकथाम के लिये दिन ग्रौर रात गश्त लगाई जा रही है ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा सीमेन्ट का वितरण

8102. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री० के० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 20 मार्च 1973 के "मदरलैंड" में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली में सीमेंट उस समय खुले बाजार में नियंत्रित दर पर आसानी से उपलब्ध था जब दिल्ली प्रशासन ने सीमेंट का वितरण अपने हाथ में लिया था ; और

(ख) यदि हां तो दिल्ली प्रशासन द्वारा सीमेंट का वितरण अपने हाथ में लेने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में सीमेंट की सप्लाई

8103. **श्री एस० एम बनर्जी :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 20 मार्च 1973 के "मदरलैंड" में प्रकाशित समाचार के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को सीमेंट नियंत्रित दर पर उपलब्ध नहीं हो रही है जबकि दिल्ली प्रशासन के सिविल सप्लाई विभाग द्वारा ऐसे चुने हुए व्यक्तियों को जो कथित रूप में सीमेंट की जमाखोरी तथा काला बाजारी कर रहे हैं, अति विशिष्ट व्यक्तियों को परमिट जारी किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा दिल्ली में उपभोक्ताओं को नियंत्रित दर पर सीमेंट की सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का है जिन्होंने जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए सिविल सप्लाई विभाग से जारी परमिट प्राप्त किये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं । आरोप का खंडन किया जाता है ।

दयाल बाग काटन मिल्स, अमृतसर को बन्द करना

8104. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या दयाल बाग काटन मिल्स पुतलीघर अमृतसर को इस बीच बन्द कर दिया गया है और यदि हां तो किस तिथि से ;

(ख) इसके बंद होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मिल के बंद होने के परिणामस्वरुप कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) मिल 7 नवम्बर 1971 को बंद हो गई थी। इसका प्रमुख कारण वित्तीय कठिनाइयां पुरानी मशीनें होने से कम लाभ और अधिक मजदूरी के लिये श्रमिकों की निरंतर मांगे थीं।

(ग) 7 नवम्बर 1971 को मिल बंद होने के समय उसमें 93 कामगर उपस्थिति रजिस्ट्रर में दर्ज थे। चूंकि अब सरकार द्वारा मिल का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया गया है इसलिये आशा है कि उसमें शीघ्र ही नियमित रूप से उत्पादन होने लगेगा।

कच्चा लोहा तथा हार्ड कोक उपलब्ध न होने के कारण पंजाब के छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों का बन्द होना

8105. **श्री सतपाल कपूर:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कच्चा लोहा तथा हार्ड कोक के उपलब्ध न होने के कारण यहां के अधिकांश छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों के बंद होने का खतरा हो गया है ?

(ख) पंजाब में कच्चा लोहा तथा हार्ड कोक के उपलब्ध न होने के कारण यहां गत छह महीनों में कितने उद्योग बंद हो गए हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी सुब्रह्मण्यम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला है कि पंजाब में केवल कुछ विशिष्ट किस्मों को छोड़कर कच्चे लोहे की कमी के कारण जो कि निर्बाध रूप से उपलब्ध है कोई लघु या मध्यम एकक बंद हो गया हो। यद्यपि देश के विभिन्न भागों में परिवहन की कठिनाइयों के कारण कोयले की सामान्य कमी बताई गई है फिर भी इस कारण पंजाब में किसी एकक के बंद हो जाने के बार में कोई भी सूचना नहीं मिली है। रेल द्वारा शीघ्रता से कोयला ले जाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत की गई है और रेलों द्वारा कोयला ले जाने के लिये महत्त्वपूर्ण स्थानों पर कोयले के भण्डार स्थापित करने तथा वहां से अंततोगत्वा उद्योगों को संभरण करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

चौथी योजना में जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक विकास में अनुपात

8106. **श्री के० प्रधानी:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक विकास का अनुपात कितना रहा है;

(ख) पाचवीं योजना की अवधि के दौरान जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण रखने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) गरीबीस्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को कब तक पूरा किया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के थम 4 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि की वार्षिक दर लगभग 2.2 प्रतिशत रही है। इस अवधि में राष्ट्रीय आय में अनुमानित वृद्धि निम्नानुसार हुई है:-

	प्रतिशत
1969-70	7.3
1970-71	4.6
1971-72 (अनुमानित)	1.5 से 2.0
1972-73 (अनुमानित)	1.5 से 2.0

(ख) जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये भूतकाल के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक अधिक प्रभावशाली सम्पूर्ण कार्यक्रम बनाने का विचार किया गया है। पांचवीं योजना में परिवार नियोजन के लिये 560 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ-साथ योजना में विकास की दर में तीव्रता लाकर 5.5 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है। इसको प्राप्त करने के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में प्रयास करने होंगे:—(1) बचत तथा निवेश की दरों में सुधार (2) योजनागत परियोजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वियन (3) उत्पादक रोज़गारों का काफी विस्तार; तथा (4) विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पूर्ण उपयोग।

इस संबंध में विस्तृत नीतियां तथा साधन तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) इस पर विचार किया जा रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों में निवेश

8107. **श्री अर्जुन सेठी : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों में किये गए कुल निवेश की तुलना में इस समय पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ख) क्या देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये किये गए प्रयास बहुत कम हैं और उपयोगी नहीं हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर् रहमान अन्सारी) : (क) उद्योगों में कुल निवेश की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि संबंधित आंकड़े विशेषकर के निजी क्षेत्र के आंकड़े काफी समय पश्चात् प्राप्त होते हैं। फिर भी पांड़े समिति द्वारा पिछड़े बताए गए राज्यों में औद्योगिक और खनिज प्रयोजनाओं में तथा अन्य राज्यों में केन्द्रीय निवेश की एक सूची जिसमें उद्योगों के लिये 1973-74 की स्वीकृति राज्यवार धनराशि दिखाई गई है अनुबन्ध-2 में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4873/73]** इसके अलावा जैसी कि रिपोर्ट मिली है राज्य सरकारों ने 400 से अधिक पिछड़े क्षेत्र के एककों के लिये लगभग 79 लाख रु० की 10 प्रतिशत की राज्यसहायता दी है। इन परियोजनाओं में 79 करोड़ रु० का कुल निवेश होने का अनुमान किया जा रहा है। 31 दिसम्बर 1972 तक वित्तीय संस्थाओं ने 600 से अधिक पिछड़े क्षेत्र के एककों को 38 करोड़ रु० की रियायती ऋण दिये गए हैं। दिनांक 31 दिसम्बर 1972 तक पिछड़े क्षेत्रों के ग्रामीण उद्यौगों परियोजना कार्यक्रम में 7.3 करोड़ रु० का अनुमानित निवेश है।

(ख) भाग (क) से यह स्पष्ट होता है कि पिछड़े क्षेत्रों के लिये किया गया विकास नगण्य नहीं है।

टायरों की चोर बाजारी

8108. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टायर कंपनियां सरकारी नीति को क्रियान्वित नहीं कर रही हैं तथा वे लगभग अपने आधे उत्पादन को टायर डिलरों के माध्यम से बेच रहीं हैं जिससे देश में चोर बाजारी को प्रोत्साहन मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) वर्तमान व्यवस्था के अधीन टायर कंपनियां सीधे रक्षा विभाग, राज्य परिवहन उपक्रमों, मूल उपकरण बनाने वालों, सहकारी समितियों और दस या उससे अधिक गाड़ियों के मालिकों की जरूरतों को पूरा करती हैं । उपभोक्ता क्षेत्रों में निर्मातागण टायरों के उत्पादन का बाकी 50 प्रतिशत बिक्री के लिए व्यापारियों के माध्यम से देते हैं । जब कभी भी अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों से राज्य सरकारें आदेश जारी करती हैं व्यापारियों को टायर बेचने पड़ते हैं।

परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा विदेशी जानकारी मंगाने का विरोध

8109. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने विदेशी जानकारी बार-बार मंगाए जाने के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार उनके विचार से सामान्यतः सहमत है।

आदिवासी माता पिता से नहीं जन्में व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का हक

8110. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया था उसके अनुबंध के रूप में इस आशय की कोई सरकारी अधिसूचना जारी की गई है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने माता-पिता दोनों के आदिवासी न होने के कारण जन्म से आदिवासी न हो अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

किसी व्यक्ति द्वारा अपने आप को अनुसूचित जनजाति का सदस्य सिद्ध करने हेतु संविधान में उपबंध

8111. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान में इस आशय का कोई उपबंध है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह सिद्ध करने हेतु न्यायालय में साक्ष्य देने की छूट है कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख) संविधान में इस आशय के लिये कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है । किन्तु यदि कोई दुखी व्यक्ति यह सिद्ध करने के लिये न्यायालय में साक्ष्य देने की इच्छा करता है कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो यह देश के आम कानून के अंतर्गत ग्राह्य होगा ।

Rajasthan Districts With Teleprinter In 'Devnagri'

8112. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the names of Districts in Rajasthan where teleprinters in 'Devnagri' have been installed; and

(b) if these have not been installed so far in any District, the time by which these are likely to be installed there?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Devnagri teleprinters have been installed in Departmental Telegraph Offices at the District Headquarters of Ajmer, Alwar, Bharatpur, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Sriganganagar and Udaipur.

(b) In the remaining 16 Districts, there is no proposal at present to instal Devnagri teleprinters as there is no traffic justification in these places.

Use of Hindi in Government Offices

8113. **Shri Onkar Lal Berwa** :

Shrimati Savitri Shyam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the names of those Central Government Offices in Delhi in which work has been started in Hind; and

(b) the time by which work is likely to be started in Hindi in rest of the offices ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) Hindi is being used for official purposes of the Union in varying degrees in almost all the Central Government Offices located in Delhi. However, in view of the provisions of section 3 of the Official Languages Act, the Central Government employees are free to use either Hindi or English in their official work.

Hindi Telegrams with Addresses in English

8114. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the addresses on the telegrams sent in Hindi are often written in English; and

(b) if so, the reasons for these addresses not being written in Hindi and whether Government propose to make arrangements for writing addresses in Hindi?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No such case has come to notice.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहीत पंजाब की संकटग्रस्त कपड़ा मिलों में उत्पादन

8115. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब में अपने अधिकार में ली गई संकटग्रस्त कपड़ा मिलों में सरकारी नियंत्रण के अधीन उत्पादन आरंभ हो गया है और यदि हां, तो कब से ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : चार संकटग्रस्त कपड़ा मिलों में से जिनका प्रबंध सरकार ने 30-10-72 से अपने हाथ में ले लिया था एक मिल ने 28-3-73 से परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है तथा एक अन्य मिल में बिजली का कनेक्शन मिलते ही उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। अन्य दो मिलों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गये स्थगन आदेश के कारण सरकार का अभी तक नियंत्रण नहीं हो पाया है।

Automatic Telephone Exchange in U. P.

8116. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of automatic telephone exchange machines in Uttar Pradesh which were continuously out of order for many months during the year 1971-72;

(b) whether any complaint has been received in this regard from Soron Nagar of District Etah (Uttar Pradesh); and

(c) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) (a) No automatic exchanges remained continuously out of order for many months during 1971-72 in Uttar Pradesh.

(b) Yes, Sir.

(c) Complaint of Soron S.A.X. is due to power cut imposed by U. P. State Electricity Board. Necessary action has been taken to provide alternative source of power.

Price of Bricks and Nationalisation of Bricks Industry

8117. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether constant increase in the prices of bricks has created a severe problem in the matter of house building;

(b) whether brick kiln owners earn undue profit by selling bricks, at arbitrary prices;

(c) if so, the steps being taken by Government to ensure availability of bricks to poor people at reasonable prices; and

(d) the reasons for which Government do not want to nationalise the brick industry?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) No, Sir.

(e) Distribution is being made through permit system in Delhi and the sale price is controlled by Delhi Administration and by certain other State Governments.

(d) Brick is not an industry included in the Industries (Development & Regulation) Act and Government do not consider it necessary at this stage to take up the question of nationalisation of the Brick Industry.

स्वतंत्रता सेनानियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव

8118. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (क) और (ख) भारत सरकार की 1972 की योजना के अधीन स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिवारों को पेंशन देने, उनके बच्चों को शैक्षणिक रियायतें तथा रोजगार के मामले में कतिपय रियायतें देने के अतिरिक्त सरकार अब स्वतंत्रता सेनानियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने तथा आश्रय गृह स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने एक मुश्त भुगतान भूमि अनुदान मासिक पेंशन तथा जुर्मानों की वापसी आदि जैसे उदार रियायतें तथा सुविधायें भी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की हैं।

डी० आई० जैड क्षेत्र, नई दिल्ली में टेलीफोन के खम्बों की व्यवस्था

8119. **श्री शशि भूषण:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डी० आई० जैड० क्षेत्र नई दिल्ली के सैक्टर 'डी' में अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) क्या उक्त सेक्टर 'डी' में अभी तक टेलीफोन के खम्भे नहीं लगाए गए हैं; और

(ग) वहां के टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए सुविधापूर्ण और निर्बाध टेलीफोन सेवा उपलब्ध करने के लिए वहां टेलीफोन के खम्भे कब तक लगा दिए जाएंगें?

संचार मंत्री (श्री हमवती नन्दन बहुगुणा): (क) लगभग 20 टेलीफोन ।

(ख) गोल मार्किट के डी०आई०जेड० इलाके के 'डी' सेक्टर में खम्भे खड़े करने का काम चल रहा

(ग) मई 1973 के मध्य तक।

Pakistanis Going to Nepal Via India

8120. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistanis who went to Nepal via India during February and upto 25th March, 1973; and

(b) the action being taken by Government to check it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) Attention is invited to the reply given to Lok Sabha Unstarred Question No. 5972 dated 4-4-73. Utmost vigilance is being maintained by the concerned authorities to prevent any clandestine movement from across the border.

भारत में षड़यन्त्रकारियों को सहायता देने के लिए विदेशी तत्वों की भूमिका

8121. **श्री विभूति मिश्र**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1973 के समाचार पत्र "टाइम्स आफ इंडिया" में पृष्ठ 6 के कालम 3 में "रे बान्से कान्सपिरेटरी अगेन्स्ट मिसेज गांधी" (रे की श्रीमती इंदिरा गांधी को षड़यन्त्रकारियों के विरुद्ध चेतावनी) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत के प्रधान मंत्री के विरुद्ध षड़यंत्रकारियों को सहायता देने में रुचि दिखाने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुदीन मोहसिन): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना आनी है।

Scholarships to Candidates belonging to Scheduled Castes for Studies Abroad

8122. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Government that some candidates produced alse certificates for grant of scholarships available to candidates belonging to Scheduled Castes for studies abroad;

(b) if so, the names of those candidates and the action taken against them and against the concerned Officers; and

(c) whether this scheme for grant of such scholarships has been discontinued and if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आदिवासियों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण

8123. **श्री धनशाह प्रधान:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के अधीन उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति के लिये आदिवासियों को समुचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने के लिये दिल्ली में कोई योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा यह कब तक चालू हो जाएंगी?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों को जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली आई० ए० एस०, आई०एफ०एस०, और आई०पी०एस० आदि की परीक्षा में बैठना चाहते हैं पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण देने के लिये निम्नलिखित सुविधायें दी गई हैं:–

(i) अक्तूबर 1973 में होने वाली परीक्षा के लिये तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 20 उम्मीदवारों को छात्रावास में आवासीय तथा लाइब्रेरी संबंधी सुविधायें प्रदान करने हेतु जगजीवन राम आश्रम ट्रस्ट नई दिल्ली नामक एक स्वैच्छिक संगठन को 20,000 रुपये की राशि दी गई है। प्रशिक्षण प्राइवेट संस्थानों द्वारा दिया जाना है।

(ii) दिल्ली प्रशासन से अपने वर्तमान पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की गतिविधियों का विस्तार करने को कहा गया है ताकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा सके जो आई०ए०एस०, आई०एफ०एस० और आई० पी० एस० आदि की परीक्षा में बैठना चाहते हैं।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति नाम की कोई जाति नहीं है। उपरोक्त प्रशिक्षण सुविधायें उन व्यक्तियों द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है जो अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति के कन्तु दिल्ली में रह रहे हैं।

Financial Assistance to Industries in M. P.

8124. **Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state :**

(a) the number of industries set up in Madhya Pradesh during the year 1971-72 together with the investment made therein;

(b) the amount of financial assistance given by the State Government and the Central Government to these industries; and

(c) the number of unemployed people provided with employment in these industries.

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) to (c) According to the information received from the State Government two large units with investment of Rs. 265 lakhs and 1271 small scale units with investment of Rs. 9,96,22,493 were set up in 1971-72. These being in private sector no direct financial assistance from the State or Central Government was given. Information about employment in these units is not available.

टायर और ट्यूब निर्माता विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने नाम से विभिन्न वस्तुओं का अधिक दरों पर बेचा जाना

8125. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि डनलप इंडिया लिमिटेड, गुड ईयर इंडिया लिमिटेड तथा अन्य विदेशी तथा विदेशों द्वारा नियंत्रित टायर और ट्यूब निर्माता कंपनियां बाजार से रिम, नाक बौल, पम्प ट्यूबिंग, सोल्यूशन आदि वस्तुओं को भारी मात्रा में बहुत सस्ते मूल्यों पर खरीद कर अपने ब्रांड नामों के अंतर्गत बहुत अधिक मूल्यों पर बेचती हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस आरोप के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अगस्त, 1972 में आल इंडिया मोटर यूनियन्स कांग्रेस, नई दिल्ली ने विदेशी नियंत्रित टायर और ट्यूब निर्माता कंपनियों द्वारा अपनाई गई कार्यपद्धति के विरोध में अभ्यावेदन दिया था। ये कंपनियां मोटर-गाड़ियों का वह सहायक सामान आदि व्यापारियों के माध्यम से बेचते हैं जो न तो स्वयं इन कंपनियों द्वारा बनाए गये थे और न ही वे अन्य कंपनियों द्वारा दी गई तकनीकी जानकारी की सहायता से बनाए गए थे । यह आरोप सही पाया गया है । आल इंडिया मोटर यूनियन्स कांग्रेस ने एकाधिकार तथा प्रति-बंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम 1969, की धारा 10 (क) (1) के अधीन इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत भी की है ।

भारतीय पूंजी से सिगरेट कम्पनियों की स्थापना

8126. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री सिगरेट उद्योग में लगी विदेशी तथा भारतीय पूंजी के बारे में 21 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 411 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में शतप्रतिशत भारतीय पूंजी वाली कितनी सिगरेट कम्पनियां स्थापित हुई ;

(ख) इन कम्पनियों में कुल पूंजी निवेश कितना हुआ है ; और

(ग) मूल्य तथा मात्रा के रूप में उनकी कुल बिक्री कितनी हुई है तथा आज तक उन में उत्पादन और निर्यात कितना हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) पिछले तीन वर्षों में तीन औद्योगिक लाइसेन्स और चौदह आशय पत्र शतप्रतिशत भारतीय कम्पनियों को दिये गये थे, इनमें से एक एकक ने उत्पादन शुरू कर दिया है। अन्य योजनायें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) स्थापित एकक में लगाया गया पूंजी निवेश 19.61 लाख रुपये हैं।

(ग) फर्म द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1972 में 3380 लाख सिग्रेटों का उत्पादन किया गया। उन्होंने सिग्रेटों का निर्यात नहीं किया। तकनीकी विकास महानिदेशालय बिक्री के बारे में आंकड़े नहीं रखता है।

अखिल भारतीय उर्दू सम्पादक सम्मेलन द्वारा उर्दू भाषा के साथ उचित व्यवहार के लिए दिया गया ज्ञापन

8127. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय उर्दू सम्पादक सम्मेलन ने 6 मार्च, 1973 को प्रधान मंत्री को दिए गये ज्ञापन में सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में उर्दू भाषा के प्रति किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार समाप्त किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) मार्च, 1973 में प्रधान मंत्री को ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकारी नीति दिनांक 14 जुलाई, 1958 के भाषा संबंधी वक्तव्य में निहित है। उर्दू की तरक्की के बारे में सरकार ने एक समिति बनाई है जो इस समय उर्दू बोलने वालों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों तथा इस भाषा के विकास तथा तरक्की के बारे में विचार कर रही है। ज्ञापन में उठायी गयी कुछ बातें वही हैं जो समिति के स[illegible] हैं। फिर भी ज्ञापन पर विचार किया जा रहा है।

टिहरी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय

8128. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां इन तमाम चार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रही है ; और

(ख) यदि हां तो इस जिले की जनता का स्तर देश के अपेक्षाकृत खुशहाल जिलों की बराबरी में लाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विभिन्न योजना अवधियों के दौरान टिहरी गढ़वाल जिले में प्रति व्यक्ति आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) टिहरी गढ़वाल जिले के विकास के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। ये अनुबन्ध में दिए गये हैं।

विवरण

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान टिहरी गढ़वाल जिला सहित उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को उदारतापूर्वक केन्द्रीय सहायता दी जा रही है जोकि 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण के रूप में है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अंकित योजना परिव्यय राज्य के अन्य भागों में खर्च न कर दिए जायें इस पर रोक लगाने के लिए इन परिव्ययों को "अपरिवर्तनीय" अंकित किया गया है। टिहरी गढ़वाल के लिए अंकित परिव्ययों पर भी यही बात लागू होती है।

(2) टिहरी गढ़वाल जिले की गिनती उन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में की गई है जो कि वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर धन उपलब्ध करने के पात्र हैं।

(3) योजना आयोग ने अपने एक सदस्य के अधीन उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए निर्देशन समिति का गठन किया है। इस समिति ने अनेक संर्वेक्षण किए हैं। अभियान दलों तथा कार्यकारी दलों का गठन किया है और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन सुदृढ़ करने तथा उसका पुनर्गठन करने के बारे में अनेक निर्णय लिए हैं। निर्देशन समिति इन क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्यनीति तैयार करने पर विचार कर रही है।

(4) राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश पहाड़ी विकास निगम अनेक प्रस्तावों तथा स्कीमों जोकि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आरम्भ की गई हैं, पर विचार कर रहा है। जो परियोजनाएं तथा स्कीमें लाभप्रद ढंग से टिहरी गढ़वाल तथा उत्तर प्रदेश के अन्य पहाड़ी जिलों में लाभप्रद ढंग से चलाई जा सकती है उनका निर्धारण करने के उद्देश्य से इस निगम की स्थापना की गई हैं।

(5) 198 करोड़ रुपये की लागत से बनाये जा रहे टिहरी डैम से 600 मेगावाट बिजली पैदा होने तथा 2.7 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई होने की संभावना है।

पश्चिमी घाटों का विकास

8129. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी घाटों के विकास की कोई योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने तथा पिछड़े क्षेत्रों के समेकित विकास में तेजी लाने के उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए योजना आयोग ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने की समस्या पर कुछ मुख्य मंत्रियों से परामर्श कर विचार किया। अनन्तर यह निश्चय किया गया था कि :—

(क) केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र गोआ, दमन तथा दीव प्रत्येक सम्बन्धित राज्य एक एकक का गठन करेगा जोकि उन क्षेत्रों को निर्धारित करने का काम करेगा जिनसे पश्चिमी घाट क्षेत्र बनता है। क्षेत्र का निर्धारण करने के पश्चात यह एकक उस क्षेत्र से सम्बन्धित आंकड़े इकट्ठे करने शुरू करेगा तथा उन आंकड़ों को इस क्षेत्र के विकास से संबंधित दृष्टिकोण की रूपरेखा के साथ योजना आयोग को भेजेगा।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों से ये आंकड़े प्राप्त हो जाने पर योजना आयोग एक तकनीकी दल का गठन करेगा जिसका नेतृत्व योजना आयोग का सदस्य करेगा। यह दल आवश्यकतानुसार अध्ययन करने के बाद योजना आयोग के विचारार्थ पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। यह तकनीकी दल बाद में इस क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित योजना बनाने में राज्य सरकारों की सहायता करेगा तथा समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर भी नजर रखेगा।

(ग) विकास योजना जब तैयार हो जायेगी तो वह सम्बन्धित राज्य की पांचवी पंचवर्षीय योजना का एक अंग बन जाएगी।

अधिकांश राज्यों में क्षेत्र निर्धारण तथा आधार-भूत आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य शुरू किया जा चुका है तथा योजना आयोग इस विषय पर राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर रहा है।

Destruction of property by Andhra Separatists and Sources of their Material Support

8130. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4015 on the 21st March, 1973 and state :

(a) whether facts regarding destruction of records of Revenue Income tax. Sales tax departments, State transport and attacks on integrationists in Andhra Pradesh in the trouble during recent months and sources of material support of the separatists have since been ascertained; and

(b) if not, the reasons for delay and what steps are being taken to prevent disturbance at meeting of integrationists?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) According to the information received so far from the State Government, 17 offices of the Departments of Revenue, Income-Tax and Sales-Tax, and 50 State transport buses were attacked or damaged in the course of the agitation. At eight places, nine legislators and 17 political workers favouring an integrated State were also attacked. The State Government are taking the necessary steps to maintain public order in the State and to create conditions conducive to the pursuit of all legitimate activities and avocations.

महाराष्ट्र के स्कूलों में बंदे मातरम का गाया जाना

8131. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में सभी विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय गीत के समान बंदे मातरम् का गाया जाना अनिवार्य कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का प्रस्ताव है कि अनिवार्यता का प्रयोग केवल राष्ट्रीय गीत के मामले में करने को कहा जाये तथा बंदे मातरम् और अन्य गीतों को आदर देते हुए राष्ट्रीय गान के समान उन्हें अनिवार्य न बताया जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

29 LSS/73—7

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने स्कूलों में बन्दे मातरम् का गाया जाना अनिवार्य करने संबंधी कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं । तथापि जब यह गान गाया जाये अथवा बजाया जाये तो उसके प्रति उचित आदर किया जाना चाहिये । यह स्थिति सुविदित है तथा इस संबंध में किन्हीं अनुदेशों का जारी करना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

समाचारपत्रों के विज्ञापनों के लिए स्थान की सीमा निर्धारित करने के बारे में प्रेस आयोग के सुझाव

3132. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि समाचारपत्र में उपलब्ध कुल स्थान का 60 प्रतिशत समाचार तथा समीक्षा के लिए तथा शेष 40 प्रतिशत स्थान विज्ञापनों के लिए होना चाहिए ;

(ख) क्या इस समय समाचारपत्रों के लगभग 60 प्रतिशत स्थान में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। यदि हां, तो इन्हें इसकी अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या प्रैस आयोग की सिफारिश के अनुसार समाचारपत्रों में विज्ञापनों के लिए स्थान की सीमा निर्धारित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) ऐसे कतिपय समाचारपत्र हैं जो लगभग 60 प्रतिशत स्थान विज्ञापनों के लिए देते हैं । इस समय समाचारपत्रों में विज्ञापनों के लिए स्थान दिए जाने के बारे में कोई सीमा निर्धारित करना कानूनन संभव नहीं है ।

Quarrel between two Pujaris of a Temple in Delhi over the Division of Offerings

8133. **Shri Chandu Lal Chandrakar:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether two Pujaris of a temple in Delhi quarrelled over the division of offerings

(b) whether a Pujari was killed in that quarrel; and

(c) whether Government have ascertained the quantum of offerings in the said temple?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) Government have no information regarding the death of a Pujari in a quarrel between two Pujaris over division of offerings. However, in a case registered on 1-4-73 at Police Station, Kashmere Gate it is reported that a Pujari was killed in course of dispute with the sweeper of temple over the division of offerings. In another case registered on 6-9-72 at Police Station, Kingsway Camp it was reported that a dismissed Pujari murdered his substitute Pujari.

(c) The quantum of offering over which the Pujari and the sweeper of the temple had a dispute was Rs. 1.25 paise in cash, a coconut and a small quantity of gur.

Lock-out in Usha Sewing Machine Factory, Calcutta

8134. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Industrial Development** and Science and Technology be pleased to state:

(a) whether the management of the Jai Engineering Group has declared a lock-out in its Usha Sewing Machine factory at Calcutta, and if so, the extent of decline likely in production as a result thereof;

(b) whether about four thousands employees have been rendered jobless on account of declaration of lock-out; and

(c) if so, whether Government have ascertained the causes leading to declaration of lock-out?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) Usha Sewing Machine Factory, Calcutta is under lock-out. The other required details are being collected and will be laid on the Table of the House.

मैसूर सरकार द्वारा रेशम उत्पादन को दुगना करने का प्रस्ताव

8135. **श्री जो० वाई० कृष्णन:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि यदि केवल रोग मुक्त 'कोकुन सीड्स' की सप्लाई की जाए तो देश में रेशम उत्पादन की क्षमता को दुगना किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने रोग मुक्त 'सीड' के वितरण के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में किए गए निर्णय की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

परमाणु ऊर्जा संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 'प्रोत्साहन बोनस योजना'

*8136. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा संस्थानों के कर्मचारियों पर 'प्रोत्साहन बोनस योजना' लागू है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि दी गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग में तारापुर परमाणु बिजलीघर के कर्मचारियों के लिए एक 'प्रोत्साहन बोनस योजना' लागू की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राशि दी गई :—

अवधि	दिया गया बोनस
अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 तक	1.5 लाख रुपये
अप्रैल, 1971 से मार्च, 1972 तक	शून्य
अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 तक	शून्य

परमाणु ऊर्जा संस्थानों के तीसरी श्रेणी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान

8138. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा संस्थानों के श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों के वेतनमान सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे कर्मचारियों के बराबर हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : क्योंकि परमाणु ऊर्जा संस्थान केन्द्रीय सरकार के ही संगठन हैं, अतः उनके तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान अन्य सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतनमानों के समान ही हैं। इस कारण, उनके वेतनमानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू वेतनमानों के एक बराबर होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी तथा गैर-सरकारी फर्मों द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग को उपकरणों की सप्लाई

8139. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों को उपकरणों की सप्लाई के लिये दिये गये उन क्रयादेशों की संख्या, स्वरूप और तिथि क्या है जिनको एक वर्ष से अधिक समय से पूरा नहीं किया गया ; और

(ख) प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

रेडियो-आइसोटोप्स का निर्यात

8140. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने कितने तथा कितने मूल्य के रेडियो आइसोटोप्स का निर्यात किया ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): सन् 1966 से लेकर अब तक रेडियो आइसोटोपों के कुल मिलाकर लगभग 18,000 कन्साइन्मेंट निर्यात किए गए हैं। इन कन्साइन्मेंटों का मूल्य लगभग 20 लाख रुपये था।

आदिवासी कार्यक्रमों के लिए सलाहकार पैनल

8141. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से सम्बद्ध आदिवासी कार्यक्रमों के लिए सलाहकार पैनलों की गठन संबंधी रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : आकाशवाणी के शिलांग तथा गोहाटी केन्द्रों पर आदिवासी कार्यक्रमों के लिए सलाहकार पैनल हैं तथा डिब्रूगढ़ में इस प्रकार के पैनल का गठन किया जा रहा है। केन्द्र का केन्द्र निदेशक पैनल का अध्यक्ष तथा सहायक केन्द्र निदेशक इसका सचिव होता है।

पैनल में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लिये गये 6 से 8 तक ऐसे सदस्य होते हैं जो संबंधित आदिवासी भाषा/संस्कृति के विशेषज्ञ होते हैं। प्रत्येक सलाहकार पैनल का कार्यकाल दो वर्ष होता है।

औद्योगिक कारखानों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा का सर्वेक्षण

8142. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में नये औद्योगिक कारखाने खोलने के लिए सरकार ने हाल में इन राज्यों के कुछ भागों का औद्योगिक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) पांचवीं योजना अवधि के दौरान इन राज्यों में कौन-कौन से केन्द्रीय कारखाने खोले जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गठित संस्थानों के एक संयुक्त अध्ययन दल ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के औद्योगिक विभव का पता लगाने के लिए 1971 में राज्य का सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना के विषय में विचार किया गया है उनमें खादार उर्वरक एकक, ट्रैक्टर उत्पादक एकक/सोयाबीन परिष्करण, फल परिष्करण, सीमेंट तथा स्कूटर परियोजनायें सम्मिलित हैं। निर्देशकों की समिति अग्रेतर कार्यवाही का राज्य सरकार के परामर्श से निश्चय कर रही है। हरियाणा राज्य का इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) पांचवीं योजना अभी तैयार की जानी है।

"प्लान बाडी रिजेक्ट्स मनीपुर्स डिमांड फार सीमेंट फैक्ट्री" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

8143. **श्री रानेन सेन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 फरवरी 1973 के "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड" में "प्लान बाडी रिजेक्ट्स मनीपुर्स डिमांड फार सीमेंट फैक्टरी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि योजना आयोग ने सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने के मनीपुर सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। यह प्रस्ताव 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का संयंत्र स्थापित करने के बारे में था और इसे अलाभकर समझा जाए अतः राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण मनीपुर में चूने के भंडार के बारे में इस समय जो सर्वेक्षण कर रहा है उसे तथा अन्य सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए अधिक क्षमता की सीमेंट फैक्टरी तैयार करने के बारे में नया प्रस्ताव भेजें।

Imparting of Sex Education by Ministery of Information and Broadcasting

8145. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether his Ministry proposes to take any step to impart sex education in the country; and

(b) if so, the broad outlines thereof and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b) Education including sex education is the responsibility of the Ministry of Education and Social Welfare. The Ministry of Information and Broadcasting is entertaining no such proposal on its own. In its school broadcast policy also. All India Radio follows the syllabus determined by the Ministry of Education and Social Welfare.

Conference of State Ministers held on 8-12-1972

8146. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the 11th Conference of the State Ministers was held on 8th December, 1972 and, if so, main recommendations made by the Conference; and

(b) the recommendations, which have been implemented and those which would be implemented later?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b) The eleventh Conference of State Ministers of Information was held in New Delhi on 8th December 1972. The main recommendations of the Conference related to the following :

(1) integration of the publicity set-ups in States;

(2) Strengthening of Centre-State co-ordination in the field of information;

(3) arrangement for ensuring regular training programmes of information personnel;

(4) earmarking adequate funds, at least 1% of the total expenditure of State Governments, for information and publicity programmes;

(5) adoption of a uniform taxation policy in respect of radio sets available to the masses at reasonable prices;

(6) installation of TV sets for community viewing by States and provision for technical training for the maintenance of the sets;

(7) starting of a second regional news bulletin by All India Radio where there is only one at present;

(8) encouragement of the construction of more cinema theatres by the States;

(9) opening of model information centres in all States;

(10) launching publicity campaigns on selected themes of national importance on all-India basis; and

(11) diversion by States of a fixed proportion of the entertainment tax collection for the development of the film industry.

2. The recommendations of the Conference have to be implemented either by the State Governments/Union Territory Administrations themselves or by this Ministry in consultation with them. Copies of the minutes of the Conference have been circulated to all the States/Union Territories requesting them to take appropriate action under intimation to this Ministry. So far only one State has sent a partial implementation report. Replies from others are awaited.

3. Action has been initiated in respect of the recommendations concerning this Ministry. Orders have been issued to include the State Director of Information as a regular member of the Inter-Media Publicity Co-ordination Committee constituted by this Ministry at each State capital. Consultations have been initiated with State Governments in regard to the State-level Publicity Co-ordination Committee under the chairmanship of the Minister of Information in each State. They have also been requested to launch immediately publicity compaigns on selected important national themes in collaboration with the media units of this Ministry. The Chief Ministers have recently been addressed emphasising the need to promote steps for encouraging construction of more cinema theatres.

4. However, it would appear that some of the recommendations are such as would need to be implemented over a period of time depending upon availability of resources and the priorities assigned to the different aspects of developmental activities in the context of national planning.

राजस्थान के जोधपुर जिले का विकास

8147. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** (जोधपुर) : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती जिले जोधपुर के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार इस जिले को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने संबंधी सुझाव देने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जिला विकास या क्षेत्रीय विकास की जिम्मेदारी मूलत : संबंध राज्य सरकार की है । जोधपुर जिले के विकास के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का कोई भी प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है । फिर भी इस जिले की असाधारण समस्याओं को ध्यान में रखते हुये सूखा उन्मुख क्षेत्रों तथा समेकित शुष्क-भूमि-कृषि विकास के लिये केन्द्रीय परियोजनाए जोधपुर जिले में आरम्भ की गई हैं । इसके अलावा जोधपुर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है, इसलिये वह रियायती दर पर वित्त व वित्तीय संस्थानों से 10 प्रतिशत पूंजी अनुदान प्राप्त करने का पात्र है ।

प्रधान मंत्री के निवास स्थान में अनधिकृत प्रवेश करने वाले जगोटा बन्धुओं के पास गोपनीय नौसेना सम्बन्धी आदेशों की प्रति का पाया जाना

8148. **श्री लालजी भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के निवास स्थान में अनधिकृत प्रवेश का प्रयास करने वाले, दिल्ली के जगोटा बन्धुओं के पास युद्धपोतों के संचालन के बारे में अत्यधिक गोपनीय नौसेना संबंधी आदेशों एक प्रति भी दी थी ;

(ख) क्या जगोटा बन्धुओं में से एक भाई रक्षा मंत्रालय में असैनिक अधिकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनायों को रोकने और गोपनीय कागजों के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या सावधानियां बरत रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) रक्षा मंत्रालय में असैनिक वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त उन बन्धुओं में से एक के कार्य से संबंधित कुछ गोपनीय सरकारी दस्तावेज प्रधान मंत्री के निवास स्थान में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के लिए जगोटा बंधुओं द्वारा प्रयोग में लाई गई कार में एक ब्रीफ केस से पाये गये थे ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) वर्गीकृत दस्तावेजों की सुरक्षा तथा लेखा के लिये समुचित अनुदेश विद्यमान हैं। जब कभी इन अनुदेशों का अथवा कोई विभागीय सुरक्षा का भंग होना सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। एक व्यक्ति द्वारा जो सरकार के अधीन अपने पद के कारण सूचना के अनधिकृत कागजात तक पहुंच रखता हो तथा ऐसी सूचना की अनधिकृत रूप से प्राप्ति सरकारी रहस्यमय अधिनियम 1923 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय है ।

देश में वैज्ञानिकों को कम सुविधायें मिलने के कारण प्रतिभा पलायन

8149. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क के राज्य विश्वविद्यालय के जीव-रसायन विभाग में प्रोफैसर और इस वर्ष पदमभूषण की उपाधि पाने वाले एक भारतीय वैज्ञानिक ने भारत में वैज्ञानिकों को कम सुविधायें मिलने के कारण प्रतिभा पलायन के लिए प्रशासन की अभी हाल में कटु आलोचना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : **(क) और (ख)** कुछ भारतीय समाचार पत्रों में ऐसा सूचित किया गया है। व्यक्त किए गए विचार से प्रतीत होता है कि उनके अपने निजी विचार थे। लेकिन फिर भी उनको ध्यान में रख लिया गया है।

भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों आदि की विदेशों से भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार रोजगार के सुअवसरों को उन्नत करते हुए प्रतिभा पलायन को रोकने के हेतु उपायों पर लगातार विचार कर रही है। इस संबंध में पहले ही किए गए कुछ उपाये संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4874/73]

सरकार ने प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए निम्नलिखित अग्रिम उपाय भी किए हैं :—

(1) चौथी योजना में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त कराने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये की एक धनराशि आवंटित की है। इनमें से 20 करोड़ रुपये की एक धनराशि इसी वर्ष के बजट में आवंटित की गयी है।

(2) योजना आयोग ने 27 करोड़ रुपये की एक धनराशि राज्य सरकारों द्वारा रोजगार के विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिए अलग रख दी है। इस राशि के अलावा राज्य सरकारों को अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये की धनराशि इस कार्य के लिए लगानी होगी।

(3) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योग चलाने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(4) रोजगार के लिए योजना आयोग और राज्य सरकारें भी योजनायें तैयार कर रही हैं जिससे योग्य व्यक्तियों को रोजगार के अभाव में विदेश न जाना पड़े।

(5) इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बेरोजगारी की कुल स्थिति का मूल्यांकन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक "बेरोजगार संबंधी समिति" नियुक्त की है। समिति ने रोजगार के लिए अल्पकालीन उपायों से संबंधित एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की है।

अतिरिक्त व्यय किये बिना उद्योगों तथा विद्युत संयंत्रों से विद्युत जनन

8150. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के मतानुसार, उद्योगों तथा विद्युत सयंत्रों से ईंधन बजट व्यवस्था के सर्वथा नये सिद्धांत से, कोई अतिरिक्त व्यय किए बिना ही बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत जनन किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस नए सिद्धांत की मुख्य रूप रेखा क्या है ; और

(ग) क्या इस नये सिद्धांत के अन्तर्गत किसी उद्योग समूह की स्थापना की जा सकती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के मतानुसार यदि सिद्धांत का प्रयोग कुल शक्ति के उन बड़े उद्योगों में युक्तियुक्त रूप से किया जाता है जिनमें अधिक परिमाण में भाप और विद्युत शक्ति की एक साथ आवश्यकता पड़ती है तो बिना अधिक ईंधन खर्च किए पर्याप्त अतिरिक्त विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है।

(ख) कुल शक्ति के सिद्धांत में भाप और विद्युत शक्ति की मांग को मिलाकर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को ताप ऊर्जा प्रवाहित करके किसी भी उद्योग में खरीदी गई ऊर्जा की आवश्यकता निम्नतम की जा सकती है। बड़े उद्योगों में लागू किए जा रहे कुल ऊर्जा सिद्धांत के प्रयोग कर तात्पर्य यह होगा कि जहां तक व्यावहारिक होगा अधिकतम सयंत्र दाब पर भाप बनना और फिर आल्टरनेटर से जुड़े बैक प्रेशर टर्बाइन में उस भाप का विस्तार करना होगा जिससे बिजली पैदा की जा सकेगी तथा बैक प्रेशर टर्बाइनर्ज प्रोग्रेस साइड की ओर एकजामड भाप भेजी जा सकेगी।

(ग) निम्नलिखित उद्योगों में कुल उर्जा का सिद्धांत लागू करना अत्यधिक सोभप्रद हो सकता है :—

(1) उर्वरक सयंत्र।

(2) समन्वित कागज और लुगदी मिलों।

(3) शोधक कारखाने।

(4) पेट्रो-रसायन उद्योग समूह।

(5) इस्पात मिलें।

(6) बड़ी मिली-जुली वस्त्र मिलें।

(7) बड़े रसायन उद्योग।

(8) बड़े रेयन उद्योग।

दिल्ली टेलिविजन केन्द्र का 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम

8151. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **सुचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केवल बड़े तथा धनवान किसानों को आमंत्रित किया जाता है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केवल दिल्ली में रह रही महिलाओं को उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया गया था ; और

(ग) टेलीविजन के 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम के लिये किसानों तथा विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के लिये क्या कोई मापदण्ड निश्चित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) जी, नहीं। दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समाज के सभी वर्गों के किसानों को आमंत्रित किया जाता है।

(ख) जी नहीं, दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के सेवा क्षेत्र की परिधि में आने वाले दिल्ली एंव इसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और किया जा रहा है।

(ग) कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों का चयन विशिष्ट कार्यक्रम के लिए उपयुक्तता, क्षेत्र में अनुभव, धारा प्रवाह अभिव्यक्ति, विचारों को प्रभावी तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता के आधार पर किया जाता है।

Pumping Set Manufacturing Factory in Bihar

8152. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether State Government of Bihar have approached the Central Government for financial help to set up pumping set manufacturing factory in Bihar; and

(b) if so, Central Government's reaction thereto?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

जाम नगर में रह रहे कर्मचारियों को सैन्य क्षेत्र भत्ते

8153. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार के और अर्ध-सरकारी सगठनों के कर्मचारियों की संघर्ष समिति ने जामनगर में रह रहे कर्मचारियों को सैन्य क्षेत्र भत्ते देने के बारे में एक ज्ञापन आपको प्रस्तुत किया था, और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जहां तक पता लगाया जा सका है, ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यौन तथा हिंसा का प्रचार करने वाली फिल्मों पर प्रतिबन्ध

8154. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यौन तथा हिंसा की "सहनीय सीमा" से भी आगे बढ़ने वाली फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधेयक लाने का है।

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग). चलचित्र अधिनियम, 1952 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत फिल्मों में आपत्तिजनक यौन तथा हिंसा को रोकने के लिये विस्तृत मार्ग निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था है। केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को भी इन निर्देशों को लागू करने में सख्ती बरतने की सलाह दी गई है। इस बारे में किसी विशेष कानून की आवश्यकता नहीं है।

तीव्र गति से आर्थिक प्रगति

8155. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकाधिक सामाजिक न्याय तथा आत्म निर्भरता की नीति के अनुरूप तीव्रगति से आर्थिक प्रगति लाने के लिये ठोस निर्णय लिये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) पांचवीं योजना में सामाजिक न्याय तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति के साथ साथ त्वरित आर्थिक विकास के लिए कई दृढ़ निर्णय करना आवश्यक होगा, ये अधिकांशतया इन क्षेत्रों से संबंधित होंगे (1) संसाधन जुटाना, (2) आत्म-निर्भरता, त्वरित विकास तथा जन साधारण के जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता का सृजन तथा उसका पूर्ण उपयोग, (3) उपभोग, आय, सम्पत्ति तथा आर्थिक अवसरों के मामले में असमानताओं में कमी, (4) मूल्यों, वेतनों तथा आयों के बीच समुचित सन्तुलन कायम करना तथा उसे बनाए रखना (5) योजना-परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का कुशल एवं त्वरित कार्यान्वियन, तथा (6) विकास के क्षेत्र में अधिक क्षेत्रीय संतुलन रखना। विस्तृत नीतियां तथा उपाय निर्धारित किए जा रहे हैं और योजना के मसौदे में सम्मिलित कर दिए जायेंगे।

उड़ीसा में एकाधिकार गृहों का पूंजी निवेश तथा परिसम्पत्तियां

8156. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में एकाधिकार गृहों की प्रत्येक फर्म की कुल पूंजी निवेश तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों का उद्योगवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन एकाधिकार गृहों ने उद्योगवार कुल कितना मुनाफा कमाया ;

(ग) क्या उड़ीसा के अत्यन्त पिछड़ेपन को देखते हुए इन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अध्याय 3 में उल्लिखित "गृहों" के विनियोजन, आस्तियों और लाभांशों के आंकड़े जो कंपनी कार्य विभाग दवारा समय-समय पर संकलित किए जाते हैं तथा अद्यतन रूप में तैयार किए जाते हैं उन्हें राज्यवार अथवा उद्योगवार नहीं रखा जाता।

(ग) और (घ) सरकार की औद्योगिक नीति का 2 फरवरी, 1973 को जारी की गई प्रेस-विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है जिसकी प्रतियां अ०प्र०स० 281 के उत्तर में दिनांक 27-2-1973 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए स्थान का चयन

8157. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने, केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों के स्थानों के बारे में उस राज्य के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान "एप्रोच आफ महाराष्ट्र स्टेट टू दा फिफ्थ प्लान" पर लिखे पत्र की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या हैं और केन्द्र की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

Formation of a Telephone District in Bhopal Circle of M. P.

8158. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Posts and Telegraphs Department, Madhya Pradesh Circle, Bhopal, has sent a proposal to Central Government for formation of a Divisional Telephone district; and

(b) if so, the action taken so far and proposed to be taken in future in the matter?

The Minister of Communication (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes. A proposal for a new Telephone District with Headquarters at Indore has been received.

(b) The proposal has been examined and has not been found justified at present, as the minimum norms are not met with. The case will be reviewed when the required norms are reached.

मैसर्ज जे० स्टोन एण्ड कंपनी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा नये एककों का खोला जाना

8159. **श्री समर गुह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री जे० स्टोन एण्ड कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड के पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानान्तरण के बारे में 20 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 5200 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने किन कारणों से जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इण्डिया), लिमिटेड कलकत्ता को थाना कम्पेलेक्स (महाराष्ट्र) में एक नये एकक खोलने की अनुमति प्रदान की थी ;

(ख) क्या प्रस्तावित थाना एकक में मार्ग निर्देशन साधनों के उत्पादन के लिये अपेक्षित अवधि के दौरान सरकार को काफी मात्रा में बिदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी ;

(ग) क्या जे० स्टोन एण्ड कम्पनी के पास कलकत्ता के वर्तमान एकक विस्तार करने के लिये पूरी सुविधायें हैं ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल में अर्जित पूंजी को जे० स्टीन एण्ड कम्पनी द्वारा बाहर ले जाने के बारे में सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श किया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो इसके बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) : मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड को मार्ग निर्देशन उपकरण बनाने के लिये महाराष्ट्र में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है। उक्त लाइसेंस आवेदन कार्य द्वारा आवेदन करने तथा मामले के गुणदोष पर समुचित रूप से विचार कर लेने के बाद जारी किया गया। क्योंकि आवेदक ने महाराष्ट्र ही में विशेष रूप से स्थापना स्थल के लिए अनुरोध किया था, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करने का प्रश्न ही नहीं उठा। बहरहाल, इस तरह के मामलों में प्रचलित परिपाटी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार से परामर्श किया गया था। आवेदन कर्त्ता देश के किसी भी भाग में नया प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र है, बशर्ते कि वह लाइसेंस देने की सरकारी नीति के अन्तर्गत अन्य तरह से पात्र है।

हां, मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लि० ने यह बताया है कि उनके पास अन्य प्रस्ताव हैं जिन्हें वे कलकत्ता की वर्तमान सुविधाओं का उपयोग करके साकार रूप देंगे।

थाना क्षेत्र (महाराष्ट्र) में जे० स्टोन एण्ड कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के कार्य की जांच

8160. **श्री समर गुह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1.2 करोड़ रु० की लागत के मार्ग निर्देशन उपकरणों के उत्पादन के लिये मैसर्स जे० स्टोन एन्ड कं० (इंडिया) प्रा० लि०, कलकत्ता को पूंजी नियंत्रक की अनुमति के 5 दिन बाद लाइसेंस संख्या एल एल (4)/101/एल०ई०ई०/72 दिनांक 11 अगस्त, 1972 को जारी किया गया था।

(ख) क्या उक्त कंपनी वहां कोई कम्पनी स्थापित किए बिना जे० स्टोन एण्ड कंपनी के ब्रिटिश स्वामी की सहायता से बेमग इंजीनियरिंग मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि० के नाम से काम कर रही है और क्या थाना क्षेत्र में जे० स्टोन के नाम से कोई जमीन तथा ढांचा नहीं है ;

(ग) क्या 'बेमग एण्ड कंपनी' ने कारखाने का प्लांट किसी अन्य कम्पनी से वार्षिक किराये के आधार पर लिया है और क्या सभी प्रकार की तकनीकी, वित्तीय तथा मशीनरी और कच्चे माल की सप्लाई सहित सचिवालय संबंधी सहायता जे० स्टोन एण्ड कम्पनी कलकत्ता प्रदान करती है ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी, यदि नहीं , तो क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) अनुमति आदेश पूंजी नियंत्रक द्वारा 26-7-1972 को जारी किया गया था, जबकि औद्योगिक लाइसेंस 22 अगस्त, 1972 को जारी किया गया था, औद्योगिक लाइसेंस के मध्यावर्त का कंपनी द्वारा अनुमानित मूल्य 72.50 लाख रुपये है ।

(ख) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

विदेशी मुद्रा की बचत के लिए जे० स्टोन एण्ड कंपनी का शीघ्रता से विस्तार

8161. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता की मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कंपनी को 2000 करोड़ रुपये के मूल्य के रेलवे हेतु रोटरी स्विचों तथा सिस्टम रिलेज, सबमर्सीबल पम्पों तथा उसके पुर्जों, आटोमेटिक डोर गियरों और रोड वृणों तथा बोटल लेबल और सप्लाई निरीक्षण उपकरण के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए हैं ।

(ख) क्या "बेमग एण्ड कम्पनी" के अन्य नाम से चल रही कंपनी को भी उक्त वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गयी है ; और

(ग) क्या कलकत्ता की मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी का शीघ्रता से विस्तार करके उक्त उत्पादों के आयात पर लगने वाली विदेशी मुद्रा बचायी जा सकती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

(ग) इस प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी, कंपनी के विभिन्न आवेदनों पर निर्णय करते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा ।

जे० स्टोन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता का पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बदला जाना

8162. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग ने भारतीय जनता को 40 प्रतिशत सामान्य शेयर की आवश्यकता पर समुचित विचार किये बिना ही कलकत्ता की जे० स्टोन एण्ड कंपनी के पब्लिक लि० कम्पनी में बदले जाने की अगस्त, 1972 में अनुमति दे दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या जे० स्टोन एण्ड कम्पनी ने इक्विटी शेयर के बारे में सभी नियमों का पालन किया है,

(ग) क्या उक्त कम्पनी को पश्चिम बंगाल के बाहर पब्लिक लि० कंपनी में बदले जाने की अनुमति देते समय पश्चिम बंगाल की सरकार से परामर्श किया गया था,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ) किसी प्राइवेट कम्पनी को सरकारी कम्पनी में बदलने के लिए कम्पनी अधिनियम के अधीन सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी, वित्त मंत्रालय, पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा नयी पूंजी को जनता में जारी करने के लिए कम्पनी को 26-7-1972 को अनुमति दी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कम्पनी की अंशपूंजी में 40 प्रतिशत तक भारतीय साझेदारी प्राप्त करना है। समझा जाता है कि कंपनी ने तदनुसार कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। यह भी समझा जाता है कि कंपनी ने अपने पंजीकृत कार्यालय को पश्चिम बंगाल से किसी भी अन्य राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए आवेदन नहीं दिया है।

पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रचार

8163. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के लिए, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय प्रचार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) देश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सामान्य रूप में और विशेषकर हिमाचल प्रदेश राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के लिए, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय तैयारी को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय प्रचार की योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. मुख्य बातें

(1) स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता पर बल।

(2) हमारी सेनाओं के स्वाभिमान को प्रतिबिम्बित करना तथा सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी तैयारी की भावना उत्पन्न करना।

(3) आधुनिक विचारों के संदर्भ में राष्ट्रीय विकासात्मक प्रयत्नों को बढ़ावा देना, जैसे फेरबदल कर खेती के स्थान पर निश्चित तरीकों से खेती।

(4) अतिरिक्त प्रचार एककों की स्थापना को प्राथमिकता।

2. प्रचार व्यवस्था की कुछ मुख्य बातें

(1) व्यापक प्रचार कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष सीमावर्ती एकक गठित किए जाते हैं।

(2) दूरांतरिक क्षेत्रों और ऊंचे स्थानों पर जा सकने के लिए लघु-भार उपकरण उपलब्ध जाते हैं।

(3) दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए पैदल जाया जाता है।

(4) सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रही केन्द्रीय एजेन्सियों से विशेषकर व्यापक अभियानों के लिए तालमेल रखा जाता है।

(5) मनोरंजन के साथ-साथ संदेश देने के लिए गीत और नाटक कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाता है।

(6) क्षेत्रीय एककों में स्थानीय व्यक्तियों को भरती किया जाता है।

(7) क्षेत्रों के गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए देश के अन्य भागों में विकासात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की यात्राओं की व्यवस्था की जाती है।

(8) फिल्म, पोस्टर, कलेंडरों आदि समेत विशेष प्रचार सामग्री जारी की जाती है। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित विषेश फिल्में बनाई गई हैं :—

(क) कश्मीरी भाषा में 'नव गाश, नव आश' (काश्मीर घाटी में नया जीवन), (ख) जम्मू और काश्मीर में इस्तेमाल के लिए काश्मीरी भाषा में 'इंडिया गोज टू पोल्स' (1972 के आम चुनाव पर आधारित) (ग) लुशाई और अंग्रेजी भाषाओं में 'मिजो मेमोयर्स' (सन् 1971 में मिजोराम के गैर-सरकारी व्यक्तियों के एक दल की यात्रा पर आधारित), (घ) अंग्रेजी भाषा में 'ए टूर टु रिमेम्बर' (1972 में अरुणाचल प्रदेश के गैर-सरकारी व्यक्तियों के एक दल की यात्रा पर आधारित)। विशेष मुद्रित सामग्री में ये शामिल हैं :—

(क) मिजोराम के लिए सन् 1972 का एक विशेष कलैन्डर, (ख) नागालैन्ड के लिए सन् 1973 के राष्ट्रीय कलैन्डर का एक संशोधित संस्करण. (ग) जम्मू और काश्मीर के लिए सन् 1972 और 1973 के लिए विशेष कलैन्डर, (घ) अगस्त, 1972 से एजल से लुशाई भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक न्यूज लेटर और (ङ) जम्मू और काश्मीर के लिए अनेक विशेष पोस्टर, पुस्तिकाएं इत्यादि।

(9) विभिन्न विचारधाराओं के प्रतिष्ठत नेताओं के भाषण दौरों की व्यवस्था की जाती है।

3. हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल के लिए विशेष कदम

(1) हिमाचल प्रदेश में 5 केन्द्रीय क्षेत्रीय प्रचार एकक हैं। लाहौल, स्पीति और काल्पा के क्षेत्रों में कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(2) अरुणाचल प्रदेश में 11 केन्द्रीय क्षेत्रीय प्रचार एकक हैं। ये एकक दूरांतरिक क्षेत्रों में प्राय: पैदल मार्च करते हैं। 'टूर टु रिमेम्बर' नामक एक फिल्म जो अरुणाचल प्रदेश के सभी पांचों जिलों के गैर-सरकारी व्यक्तियों, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, के एक दल की यात्रा पर आधारित है, प्रचार प्रयोजन के लिए खरीदी गई है। एक और फिल्म जो फेरबदल कृषि के स्थान पर निश्चित तरीकों से खेती करने पर है, प्रायोजित की गई है और वह निर्माणाधीन है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों के 12 पदों में से 9 पदों पर स्थानीय व्यक्ति भर्ती किए गए हैं।

संविधान में शामिल न की गई क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण

8164. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे निरक्षर लोगों के हितों में, जो कोई भी मान्यताप्राप्त भाषा नहीं बोलते संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं की गयी क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाने को प्रोत्साहन देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) क्या इस हेतु कोई योजना बनायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) फिल्म उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है तथा फिल्मों का निर्माण गैर-सरकारी व्यक्तियों की प्रेरणा पर निर्भर करता है। जबकि विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना से विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला है, विशिष्ट भाषाओं में बनाई जाने वाली फिल्मों की संख्या बढ़ाने हेतु, योजना बनाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

1970, 1971 तथा 1972 के दौरान संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई भाषाओं में निर्मित तथा केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों का भाषावार व्यौरा इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	भाषा	1970 के दौरान फिल्मों की संख्या		1971 के दौरान फिल्मों की संख्या		1972 के दौरान फिल्मों की संख्या	
		फीचर फिल्में	छोटी फिल्में	फीचर फिल्में	छोटी फिल्में	फीचर फिल्में	छोटी फिल्में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोजपुरी . . .	—	—	1	—	—	—
2.	छत्तीसगढ़ी	—	—	1	—	—	—
3.	कूर्गी	—	—	—	—	1	—
4.	कोंकणी	1	1	1	—	—	—
5.	मणिपुरी	—	—	—	—	1	—
6.	मैथिली	—	—	1	—	—	—
7.	नेपाली	—	2	—	—	—	—
8.	थाई	—	—	—	2	1	—
9.	तुलू	—	—	2	—	2	—

भारत के डाक मंडलों में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था

8165. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक सर्किल में उन डाक मंडलों के नाम क्या हैं जहां डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये सरकार द्वारा स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था की गई है ?

(ख) आगामी पंचवर्षीय योजना में सर्किल वार कितने डाक मंडलों को स्टाफ क्वार्टर दिये जायेंगे; और

(ग) सरकार ने 31 मार्च, 1973 तक कितने प्रतिशत कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर दिए हैं।

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) इस संबंध में आंकड़े सर्किलवार रखे जाते हैं। ये आंकड़े डाक डिवीजनवार नहीं रखे जाते। देश भर में डाक तार कर्मचारियों को सर्किलवार जितने क्वार्टर दिए गए हैं उनकी सूची अनुबंध 'क' में दी जा रही है।

(ख) अगली पंचवर्षीय योजना के लिए निधियों के निर्धारण के बारे में अभी तक फैसला नहीं किया गया है। प्रत्येक सर्किल में कितने-कितने स्टाफ क्वार्टर कर्मचारियों को दिए जाएंगे, यह इसके लिए निर्धारित रकम के उपर निर्भर करेगा।

(ग) पूरे देश में तारीख 31-3-1973 को जो स्थिति थी, उसके अनुसार 7.1 प्रतिशत डाक तार कर्मचारियों को क्वार्टर दिए गए थे।

विवरण

अनुबन्ध क

तारीख 31-3-72 को सर्किल वार स्टाफ क्वार्टरों की सूची

क्रम संख्या	डाक तार सर्किल	किराये के मकानों के सहित क्वार्टरों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश . .	2,450
2	असम	1,424
3	बिहार	2,139
4	गुजरात	2,349
5	जम्मू और कश्मीर .	59
6	केरल . .	827
7	मध्य प्रदेश	1,429
8	महाराष्ट्र .	2,211
9	मैसूर	1,386
10	उड़ीसा	954
11	पंजाब	2,361
12	राजस्थान .	996
13	तमिलनाडु.	2,750
14	उत्तर प्रदेश	2,288
15	पश्चिमी बंगाल	2,019
16	दिल्ली	2,758
	. . . . जोड़ .	28,400

टिप्पणी :—डाक-तार सर्किल को भौगोलिक सीमा में आने वाले टेलीफोन जिलों के आंकड़े भी इसमें शामिल हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सर्किल के आंकड़ों में बम्बई, पूना और नागपुर टेलीफोन जिलों के क्वार्टरों संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं।

संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल में संचार व्यवस्था का विकास

8166. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में उप-डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोन घरों तथा मिले जुले डाक-टेलीफोन घरों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या संचार सेवा की स्थिति सतोषजनक नहीं है और यदि हां, तो क्या संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल में संचार व्यवस्था के विकास के लिये कोई योजना तैयार की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) उप-डाकघर — 23

सार्वजानिक टेलीफोनघर -- कोई नहीं

संयुक्त डाक-तारघर -- 19

(ख) और (ग) जी हां, इस संघ शासित क्षेत्र में डाक-तार सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 1973-74 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किया गया है :-

डाक सुविधाएं :—

(i) नये डाकघर खोलना 12

(ii) गांवों में डाक डिलिवरी की आवृत्ति में निम्नलिखित सुधार लाने का प्रस्ताव है ।

	डिलिवरी सेवा पाने वाले गांवों की संख्या	
	मौजूदा	प्रस्तावित
दैनिक . .	132	250
सप्ताह में तीन बार	219	266
सप्ताह में दो बार	117	80
साप्ताहिक	2236	2108
(iii) शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें उपडाकघर बनाना	—	6
(iv) नए लैटर बक्स खड़े करना	—	22

दूर संचार सुविधाएं :—

(i) पी० सी० ओ० खोलना 1

(ii) संयुक्त डाक-तारघर खोलना 2

(iii) टेलीफोन एक्सचेंज खोलना 4

इन के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की जा रही है :-

(i) दस बेतार तार सर्किटों की व्यवस्था करना,

(ii) तीन रडियो टेलीफोन सर्किटों की व्यवस्था करना,

(iii) तीन वी० एच० एफ० प्रणालियों की व्यवस्था करना,

(iv) अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी इटानगर में 200 लाइनों का एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

हिमाचल प्रदेश में 1972-73 में डाक क्लर्कों की भर्ती

8167. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्ष 1972-73 में चारों डाक डिवीज़नों के लिये डाक विभाग में कुल कितने डाक कलर्कों की भर्ती की गई ;

(ख) इस अवधि में प्रत्येक डिवीज़न में कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये ; और

(ग) प्रत्येक डिवीज़न में 31 मार्च, 1973 को कितने पद रिक्त थे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) 96.

(ख) मंडी डिवीज़न	26
कांगड़ा डिवीज़न	44
शिमला	43
हमीरपुर	1
योग	114

(ग) मंडी डिवीज़न	कोई नहीं
कांगड़ा डिवीज़न	10
शिमला डिवीज़न	7
हमीरपुर	32

(इन खाली स्थानों को भरने के लिए वर्ष 1972 की भर्ती से और वर्ष 1973 की पहली अर्द्ध वार्षिक भर्ती से विभागीय और बाहरी उम्मीदवार अलाट कर दिए गए हैं)।

नये पूंजी लगाने वाले लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एजेंसियां

8168. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने अथवा उत्पाद का नये आधार पर विकास करने के लिए नये पूंजी लगाने वाले लोगों का मार्गदर्शन करने के वर्तमान प्रबंध, एजेंसियां पर्याप्त हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये इस व्यवस्था को मजबूत करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) लघु और मझोले उद्यमियों की वृद्धि के लिये विभिन्न निश्चित अभ्युपायों को बढ़ाने और गहन करने के बिचार से सरकार ने अभी-अभी 12 व्यक्तियों की समिति का गठन किया है। सरकार का विचार शीघ्र ही औद्योगिक लाइसेंसों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है जो विद्यमान उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता और नये प्रकार के उत्पादनों का संवर्धन करने में सहायक होगें।

केन्द्रीय सरकारी अधिकारी संघ के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा मितव्ययता की नीति बनाने हेतु एक बैठक बुलाने के संबंध में प्रधान मंत्री से अनुरोध

8169. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी अधिकारी संघ के अखिल भारतीय महासंघ ने प्रधान मंत्री के उच्च अन्य वर्गों द्वारा अपनी मांगों पर स्वेच्छा से संयम रखने संबधी आहान के उत्तर में उनसे मितव्ययता की एक सामान्य योजना बनाने के लिये महासंघ तथा इसके घटक एककों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकारी अधिकारी संघों के अखिल भारतीय महासंघ से इस प्रकार के अनुरोध को समाविष्ट करने वाली कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंबई में सीमेंट की भारी कमी

8170. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 1973 के " हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड में " सीमेंट फेमिन इन बाम्बे "बम्बई में सीमेंट का अकाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 3 मार्च, 1973 के हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड में प्रकाशित बम्बई में सीमेंट का कथित अकाल संबंधी समाचार सही नहीं है क्योंकि सरकार को प्राप्त सूचना के अनुमार वर्ष 1972 में बम्बई नगर को 7.12 लाख मीट्रिक टन सीमेंट भेजा गया। जबकि 1970 में केवल 5.37 लाख भेजा गया था। सीमेंट का संभरण 1973 की पहली तिमाही में भी उतना ही रहा। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई बिजली की कटौती और संचालित कुल उत्पादन में गिरावट के कारण पिछले वर्षों में भेजे गये सीमेंट से अधिक परिमाण में सीमेंट भेज सकना संभव नहीं होगा।

राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह वितरण नियंत्रित करने के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन स्टाकिस्टों को लाइसेंस देना/म ट द्वारा सीमेंट दिये जाने आदि के आवश्यक कदम उठाए। इसी अधिनियम के अन्तंगत यदि उनकी जानकारी में कोई बिशिष्ट मामले लाए जायें तो चोर बाजारी या जमाखोरी करने वाले समाज बिरोधी तत्वों के विरूद्ध आवश्यक कार्मवाही करने के अधिकार भी उन्हें मिले हुये हैं।

राजस्थान में कुछ समाचार पत्रों को अखबारी कागज का कोटा न मिलना

8171. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कुछ छोटे समाचार पत्रों को आवश्यक अखबारी कागज का कोटा नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन समाचार पत्रों के लिये अखबारी कागज का पूरा कोटा कब तक जारी किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) राजस्थान से प्रकाशित होने वाले उन सभी छोटे समाचारपत्रों को, जिन्होंने अखबारी कागज के लिये आवेदन पत्र दिये थे तथा जिनके आवेदन पत्र हर पहलू से मुकम्मल थे, अखबारी कागज की वह सारी मात्रा अलाट की गई जितनी के वे 1972-73 के लिए संशोधित अखबारी कागज नीति के अन्तर्गत हकदार थे । जिन समाचार-पत्रों ने आवश्यक सूचना नहीं भेजी थी, उनको अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कहा गया है । उनसे सूचना प्राप्त होने पर उनके मामलों पर फैसला कर उनको अखबारी कागज अलाट किया जायेगा ।

अन्य मंत्रालयों से कार्मिक आयोजना स्कंध में प्रतिनियुक्ति पर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी

8172. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्मिक आयोजना स्कंध में विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिनियुक्ति पर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने वर्ष 1973 में अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी कर ली है अथवा पूरी कर लेने की संभावना है ;

(ग) उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) क्या ऐसे अधिकारियों द्वारा अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी कर लिये जाने के बाद अपने मूल कार्यालय में जाने को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रीमंडल सचिवालय ने कोई चरणवद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नीति तथा आयोजना प्रभाग में प्रथम श्रेणी के पांच अधिकारी तदर्थ आधार पर भर्ती नियमों के अन्तिम रूप दिये जाने तक की अवधि के लिए कार्य कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पांचों नियुक्तियां अनुमोदित की जा चुकी हैं।

(ख) एक अधिकारी अक्तूबर, 1973 में अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी कर लेगा ।

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर अधिकारियों को नियंत्रित किया जाता है ।

(घ) जी हां, श्रीमान् । अधिकारियों को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी कर लेने पर प्रत्या-वर्तित किया जाएगा ।

मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्मिक विभाग के कृत्य के समान वाले कार्मिक नीति और नियोजन विभाग

8173. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार विभाग को हाल ही में मंत्रीमंडल सचिवालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और तत्कालीन कार्मिक विभाग का नाम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग रखा गया है ;

(ख) क्या मंत्रीमंडल सचिवालय में एक पृथक कार्मिक नीति और नियोजन विभाग है जिसके कृत्य काफी सीमा तक समान है और जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक सुधार आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों की क्रियान्विति में बाधा आ रही है ;

(ग) क्या सरकार नौकरशाही के विरुद्ध होने वाली आलोचना को कम से कम करने पर विचार करेगी, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कार्मिक नीति तथा नियोजन स्कंध तथा प्रशासनिक सुधार स्कंध के कृत्यों को स्पष्टतया परिभाषित कर दिया गया है । पहले स्कंध द्वारा केवल प्रशासनिक सुधार आयोग की कार्मिक प्रशासन संबंधी रिपोर्ट के संबंध में ही विचार किया जाता है और नीति तथा नियोजन स्कंध के होने के कारण प्रशासनिक सुधार आयोग की कार्मिक नीतियों से संबंधित सिफारिशों की क्रियान्विति में कोई बाधा नहीं पड़ रही है ।

(ग) चूंकि किसी विशिष्ट आलोचना का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार क्या चाहती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा सीमेंट कारखानों की स्थापना

8174. **श्री बक्षी नायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये सीमेंट कारखानों की स्थापना करने के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगमों से प्राप्त आवेदनपत्रों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इन निगमों से प्राप्त कितने आवेदनपत्रों को मंजूरी दी गई है; और

(ग) प्रस्तावित कारखानों की स्थापना के पश्चात् देश में सीमेंट का उत्पादन कितना बढ़ जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) राज्य औद्योगिक विकास निगम के आवेदन पत्रों को नई सीमेंट फैक्टरियों की स्थापना करने के लिए वरीयता प्रदान की जाती है ।

(ख) 10.

(ग) 22 लाख मी० टन ।

अयोध्या टैक्सटाइल मिल, दिल्ली को नियंत्रण में लेना

8175. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या टैक्सटाइल मिल, दिल्ली को एक संकटग्रस्त मिल के रूप में नियंत्रण में ले लिया गया है,

(ख) क्या इस मिल के पर्यवेक्षक कर्मचारी बिना किसी उचित लेखा परीक्षा, जांच तथा नियंत्रण को बड़ी धन राशि खर्च करने के निर्बाध अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि मिल के हित में खर्च पर उचित वित्तीय नियंत्रण हो ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति का दर्जा घटाया जाना

8176. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति, जो एक मंत्रीमंडलीय विषय के रूप में प्रधान मंत्री के अधीन थी, का दर्जा घटाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसके शिखर योजना की पद्धति में उक्त समिति की प्राथमिकता में कार्य करने का संकेत मिलता है ; और

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति में वैज्ञानिक कर्मचारी संघों तथा व्यावसायिक वैज्ञानिक समितियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति अब भी एक शिखर अंग है जिसका कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास तथा राष्ट्र की रक्षा और उसके विकास के लिए उनके उपयोग संबंधी सभी विषयों पर सरकार को सलाह तथा सहायता देना है। जहां तक योजना का संबंध है, समिति को प्रादेश है कि वह सामाजिक अर्थ विकास योजना के अभिन्न अंग स्वरूप एक पूर्ण राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना बनाए। इसके पूर्ववर्ती; विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति तथा मंत्रीमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति को ऐसा कोई प्रादेश नहीं था। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के पास योजना कार्य की एक विस्तृत भूमिका है। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मार्गदर्शन-नीति के उद्देश्य से प्रधान मंत्री के आधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी मंत्रियों के एक स्थाई दल की स्थापना की गई है। इस स्थिति के अनुसार, सरकार इस मत से सहमत नहीं है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के स्तर को घटाया गया है।

(ग) जी नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति में कोई संगठनात्मक प्रतिनिधित्व नहीं है। समिति के सदस्य ख्याति प्राप्त कार्यरत वैज्ञानिक हैं जिन्हें उनके वैयक्तिक क्षमताओं के आधार पर लिया गया है।

अन्टार्कटिका के रूसी वैज्ञानिक अभियान में भारतीय वैज्ञानिक

8177. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भौतिक अनुसंधान परीक्षणशाला, अहमदाबाद में एक शोध वैज्ञानिक श्री परमजीत सिंह सेहरा वर्ष 1972 में अन्टार्कटिका को गये रूसी वैज्ञानिक अभियान के साथ गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्टार्कटिका की यात्रा करने वाले वह प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं; और

(ग) क्या उनके सराहनापूर्ण कार्य को कोई सरकारी मान्यता दी गई है और इस क्षेत्र में उनके अग्रेतर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकस मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, अंतरिक्ष विभाग में प्राप्य सूचना के आधार पर।

(ग) श्री परमजीत सिंह सेहरा, जो फरवरी, 1972 में भारत लौट कर आये, बाह्य खगोल भौतिकी के अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं और इसके लिए वह, अभियान के दौरान एकत्रित किये गये आंकड़ों को उपयोग में ला रहे हैं। मान्यता देने का प्रश्न केवल अनुसंधान संबंधी कार्य पूरा होने पर ही उठ सकता है।

Sanction of Additional Projects in Backward Areas during Fifth Five Year Plan

8179. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned some additional projects to be set up in certain backward areas during the Fifth Five Year Plan;

(b) if so, the nature of such projects and the areas proposed to be covered under each of these projects; and

(c) the number of employment opportunities likely to be created thereby?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) The Fifth Five Year Plan is still in a stage of formulation. Backward areas would, however, receive special attention in the Fifth Five Year Plan as has been indicated in the 'Approach to the Fifth Plan, already laid on the Table of the House.

Registration of Reports of stolen goods by Tilak Marg Police Station

8180. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the daily "Hindustan" dated the 2nd April, 1973 that Tilak Marg Police Station is not prepared even to register report before recovering the stolen goods; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes.

(b) The news-item pertains to case FIR No. 173, dated 31-3-73 under section 380 I.P.C. Police Station Tilak Marg. On 31-3-73 at about 5.30 A. M. the complainant saw the two culprits committing theft of his goods and chased them. The culprits ran away and as they were known to the complainant he searched for them during the day. Only after failing to trace them, he reported the matter to the Police Station Tilak Marg at 4.05 P. M. and a case was registered at 4.15 P. M. The news-item is not based on facts. The two culprits were apprehended. One of them is the son of a Police Constable posted at P. S. Motinagar.

सराय रोहिल्ला, दिल्ली में हत्या, डकैती, गैर-कानूनी शराब बनाने के मामलों में वृद्धि

8181. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सराय रोहिल्ला क्षेत्र में हत्याओं, डकैतियों, गैर-कानूनी शराब बनाने, चोरियों और सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी कब्जे की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सराय रोहिल्ला पुलिस स्टशन के थाना इन्चार्ज के विरुद्ध उक्त क्षेत्र के कई सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या अधिकारियों ने थाना इन्चार्ज का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया था और बाद में उक्त आदेशों को वापस लिया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या अधिकारियों की इस कार्यवाही के कारण उक्त क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति और भी बदतर हो गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन दिल्ली क्षेत्र में कानून और व्यवस्था पूर्णतः नियंत्रण में है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

8182. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए सभी राज्यों ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं;

(ख) अब तक किन-किन राज्यों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं और उन्होंने कितनी धनराशि की मांग की है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार की कितनी राशि आवंटित करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) अब तक निम्नलिखित 16 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों से न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

राज्य का नाम	पांचवीं योजना में प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपये)
आसाम	218.09
गुजरात	299.55
हरियाणा	282.33
हिमाचल प्रदेश	172.29
जम्मू और कश्मीर	185.87
केरल	778.84
मध्य प्रदेश	830.20
महाराष्ट्र	698.05
मणीपुर	109.83*
नागालैंड	27.39
उड़ीसा	589.84
पंजाब	277.00
राजस्थान	625.28
तमिलनाडू	1181.73
उत्तर प्रदेश	1058.36
पश्चिम बंगाल	687.94
अरुणाचल प्रदेश	63.65
चंडीगढ़	10.85
दादरा और नागर हवेली	3.24
गोआ, दमन और दीव	8.12
	8108.45

*ये प्रस्ताव केवल चार क्षेत्रों के लिए प्राप्त हुए हैं। ये हैं : ग्रामीण विद्युतिकरण/ग्रामीण सड़कें, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण जल सप्लाई ।

(ग) पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में देश के लिए 'न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम' के लए कुल 3300 रुपये का परिव्यय रखा गया है । तथापि, राज्य सरकारों से इस समय चल रहे विचार-विमर्श पूरा हो जाने के पश्चात राज्यों को राशि के नियतन के बारे में अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

नया 'सेल्फ इन्किग रोलर' फ्रेंकर

8183. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग डाक पर मुहर लगाने के लिये पुरानी प्रणाली के "इंक एण्ड हैंग" (स्याही लगाओं और लटकाओ) उपकरण के स्थान पर एक नये सैल्फ 'इंकिंग रोलर फ्रैंकर' का उपयोग आरम्भ करने जा रहा है;

(ख) क्या इस विभाग का अनुसन्धान तथा विकास स्कंध ब्रिटेन तथा जापान से प्राप्त दो 'रोलर फ्रैंकरों' की जांच कर रहा है तथा एक नए फ्रैंकर' का स्वयं निर्माण भी कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो टैस्ट रोलर कब तक तैयार डाकघरों में आ जायेंगे तथा इनका क्या लाभ होगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) एक नए सैल्फ-इंकिंग रोलर फ्रैंकर का विकास किया जा रहा है । इससे आसानी से और अच्छी डाक मुहरें लगाई जा सकेंगी । जापान, ब्रिटेन और दूसरे देशों से रोलर फैंकर के नमूने मंगाए गए हैं और एक रोलर फ्रैंकर का विकास करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस रोलर फ्रैंकर का पूरी तरह से विकास करने और इसे चालू करने में अभी कुछ समय लगेगा ।

त्रिपुरा में आदिवासी लोग

8184. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार क्या त्रिपुरा के आदिवासी लोग राज्य के सघन क्षेत्रों में रहते हैं अथवा राज्य के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : जैसा कि 1971 की जनगणना के निम्न-लिखित आंकड़ों से मालूम होगा कि त्रिपुरा के आदिवासी लोग सारे राज्य में फैले हुए हैं :—

राज्य/जिला/सब-डिवीजन	कुल जन संख्या	जन जातियों की जनसंख्या
1	2	3
त्रिपुरा राज्य	1,556,342	450,544
1. जिला पश्चिम त्रिपुरा	751,605	198,878
सदर सब-डिवीजन	472,729	115,940
खोवई सब-डिवीजन	177,999	71,701
सोनामुरा सब-डिवीजन	100,877	11,237

1	2	3
2. जिला उत्तर त्रिपुरा	405,009	108,547
कमलपुर सब-डिवीजन	88,435	25,801
कैलासहर सब-डिवीजन	141,181	43,090
धर्मनगर सब-डिवीजन	175,393	39,656
3. जिला दक्षिण त्रिपुरा	399,728	143,119
उदयपुर सब-डिवीजन	124,207	31,194
अमरपुर सब-डिवीजन	78,453	50,874
बेलोनिया सब-डिवीजन	138,134	36,454
सूब्रम सब-डिवीजन	58,934	24,597

स्रोत :—भारत की जनगणना 1971, खण्ड-1—भारत लेख 1972 का 1 (पृष्ठ 69)।

भारतीय सिनेमा तथा विश्व के सिनेमा के बीच अन्तसांस्कृतिक समालोचन

8185. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार विदेशों में भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्तुतीकरण करने की व्यवस्था करने और भारतीय सिनेमा तथा विश्व के सिनेमा के बीच अन्तसांस्कृतिक समालोचन लाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): जी हां। सरकार का भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है और वह पीछे भी विदेशों में भारतीय सिनेमा के प्रदर्शन की व्यवस्था करती रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का एक समारोह भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह सतत गतिविधि का एक अंग है।

भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस०) में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पदोन्नति सम्बन्धी कोटे में वृद्धि करने के लिए राजस्थान सरकार का अनुरोध

8186. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पदोन्नति सम्बन्धी कोटे में वृद्धि करने के लिए राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि के लिए उन्होंने अनुरोध किया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग की "कार्मिक प्रशासन" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार के एक परिपत्र के उत्तर में राज्य सरकारों के विचार मांगे गये थे कि पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली

श्रेणी-1 में रिक्तियों का कोटा अधिकतम 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाये, जहां पर विद्यमान कोटा इस प्रतिशत से न्यून रहता जाता है, जहां तक सिफारिश का सम्बन्ध राज्य सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति से था, राजस्थान सरकार ने कहा कि वे इस सिफारिश से सहमत हैं।

(ख) राज्य सरकार का यह विचार था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में राजस्थान प्रशासनिक सेवा तथा अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों के पदोन्नति कोटे की प्रतिशतता को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

(ग) यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

"फाल्टी प्लानिंग डिलेज प्राफिट्स (त्रुटिपूर्ण आयोजना से लाभ मिलने में विलम्ब)" शीर्षक से समाचार

8187. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में फाल्टी प्लानिंग डिलेज प्राफिट्स (त्रुटिपूर्ण आयोजना से लाभ मिलने में विलम्ब) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; **और**

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि योजना में शामिल करने से पूर्व उनका अच्छी तरह सुनियोजन तथा समुचित मूल्य निर्धारण किया जाय। यह भी आवश्यक है कि उनके कार्यान्वयन का प्रबोधन क्रमबद्ध ढंग से किया जाय। इन कार्यों को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने एक परियोजना मूल्यांकन प्रभाग तथा एक प्रबोधन प्रभाग की स्थापना की है।

नेपाली भाषा का संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना

8189. **श्री वरके जार्ज** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; **और**

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसे उक्त सूची में कब तक शामिल कर लिये जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (क) और (ख) इस विषय में 15-3-1973 को लोक सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

बड़े नगरों में सिमेंट का वितरण

8190. **श्री वरके जार्ज** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में और विशेष कर बड़े नगरों में सीमेंट का वितरण करने के लिये सरकार ने कोई सख्त कार्यवाही की है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों द्वारा लगाई गई बिजली की कटौती के कारण सीमेंट के प्रतिबन्धित परिमाण में उपलब्ध होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुये तथा महत्वपूर्ण विकास संबंधी परियोजनाओं के लिये अधिकतम सम्पदा एकत्र रखने की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर सीमेंट उद्योग को आपने उत्पादन का 60 प्रतिशत सीमेंट सरकारी विभागों के लिये निर्धारित किये जाने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं। इसके बाद 10 प्रतिशत सीमेंट संगठित उद्योगों, गैर-सरकारी निकायों आदि जैसे थोक उपभोक्ताओं को संभरण किये जाने के लिये निर्धारित करने को कहा गया है। शेष 30 प्रतिशत का वितरण जनता को सीमेंट उत्पादकों द्वारा नियुक्त विक्रेताओं के जरिये किया जायेगा। प्रत्येक राज्य को उक्त तीन वर्गों के अन्तर्गत मिलने वाले अधिकतम सीमेंट के बारे में बता दिया गया है की जनता के लिये उपलब्ध सीमेंट के उचित वितरण व्यवस्था करने के लिये उपयुक्त नियन्त्रण लगाने के उपाय करने हेतु कहा गया है। सीमेंट नियन्त्रण आदेश, 1967 के अधीन राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के आधीन सीमेंट का खुदरा मूल्य निर्धारित करने, विक्रेताओं को लाइसेंस देने तथा सीमेंट के लिये परमिट आदि जारी करने के भी अधिकार दे दिये गये हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन सीमेंट के व्यापार में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये भी आवश्यक शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं।

आई० टी० आई० और पूर्व अफ्रीकी डाक-तार निगम के बीच समझौता

8191. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या आई० टी० आई० और पूर्व अफ्रीकी डाक-तार निगम के बीच टेलीफोन एक्सचेंज उपकरणों की सप्लाई और उन्हें स्थापित करने के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) पूर्वी अफ्रीकी डाक और दूरसंचार निगम ने जो कि पूर्वी अफ्रीका समुदाय का संगठन है (जिसमें कीनिया, युगांडा और तंजानिया सम्मिलित है), उक्त तीनों देशों में बहुत-से शहरों के लिये टेलीफोन एक्सचेंजों की सप्लाई और स्थापना के लिये क्राउन एजेंट्स, लन्दन के माध्यम से, 67 लाख रु० के मूल्य के आदेश दिये हैं। यह आदेश इस समय इंजीनियरी और अधिप्राप्ति स्तर पर है। उपस्कर की सुपुर्दगी का कार्य अक्तूबर, 1973 में आरम्भ होकर अप्रैल, 1975 तक पूरा होने की आशा है। स्थापना कार्य को फरवरी, 1974 में शुरू करना निर्धारित किया है और यह कार्य अक्तूबर, 1975 तक पूरा हो जायेगा।

Use of Hindi

8192. **Shrimati Savitri Shyam:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Central Government have failed to implement their Hindi policy due to anti-Hindi policy of one or two States;

(b) if so, the steps being taken by the Government to deal with anti-Hindi policy of such States; and

(c) if not, the reasons for not implementing the policy of Government in regard to use of Hindi in administration and in other fields ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) The Official Languages (Amendment) Act, 1967 has ushered in a prolonged phase of bilingualism, when Central Government employees are free to use either Hindi or English in the transaction of their official business. There has been no opposition to this bilingual policy of the Central Government from any State.

(c) As required under para 1 of the Government Resolution on language policy, adopted by both the Houses of Parliament in December, 1967, a more intensive and comprehensive programme is annually prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union and an Annual Assessment Report giving details of the measures taken and the progress achieved is laid on the table of both the Houses of Parliament. Annual Assessment Reports for 1968-69, 1969-70 and 1970-71 have already been laid on the table of both the Houses of Parliament.

दोषी ड्राइवरों को कड़ा दण्ड देने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क का संशोधन

8193. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या गृह मंत्री 6 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 339 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोषी पाये जाने वाले ड्राइवरों को कठोर दण्ड देने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क का संशोधन कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त धारा का कब तक संशोधन कर लिये जाने की संभावना है ताकि दोषी ड्राइवरों को कठोर दण्ड दिया जा सके ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304-क को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि लापरवाही द्वारा मारने के अपराध में कारावास के दण्ड को बढ़ा कर 2 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 में शामिल किया गया है जो 11 दिसम्बर, 1972 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और जो संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। संशोधन में न केवल गलती करने वाले ड्राइवरों के मामले शामिल होंगे बल्कि अन्य मामले भी शामिल होंगे।

सरकारी सेवाओं में इंजीनियरों की भर्ती के लिए सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा

8194. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्हताप्राप्त इंजीनियरों को सरकारी सेवाओं में भर्ती से पूर्व सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा देनी होती हैं;

(ख) क्या अधिकांश हिन्दी भाषी राज्यों के समुचित अर्हताप्राप्त इंजीनियर भी इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं; और

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और हिन्दी भाषी राज्यों के निम्न मध्य वर्गों से आने वाले इंजीनियर इस परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त नहीं कर पाते, सरकार इस परीक्षा को समाप्त करेगी अथवा इन इंजीनियरों की सामान्य हिन्दी में परीक्षा लेगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यह अनुमान किया जाता है कि प्रश्न का सम्बन्ध संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली इंजीनियरिंग सेवाओं की परीक्षाओं से है। यदि ऐसा है तो इसका उत्तर हां में है।

(ख) सामान्य अंग्रेजी के पर्चे में असफल होने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि उस पर्चे के न्यूनतम अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित नहीं किये गये हैं। हिन्दी भाषी तथा अहिन्दी भाषी राज्यों के उम्मीदवारों की सफलता के अनुमान का प्रतिरूप (पेटरन) समान है।

(ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थाओं में इंजीनियरिंग शिक्षा में स्नातकीय स्तर पर शिक्षा और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना हुआ है अत: अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के कारण किसी उम्मीदवार के साथ भेदभाव होने की संभावना नहीं है। भर्ती परीक्षाओं में धीरे-धीरे हिन्दी के प्रयोग को प्रारम्भ करने की व्यापक नीति के सन्बन्ध में भिन्न मामलों की समस्यायें भिन्न-भिन्न हैं। अत: इसके लिये प्रत्येक मामले में विचार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से करना पड़ता है।

अल्मोड़ा में सिल्लिमैनाईट संयंत्र

8195. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) सिल्लिमैनाईट संयंत्र की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संयंत्र की प्रगति को तेज करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) अभी तक ऐसी कोई प्रायोजना नहीं बनी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्मचारियों द्वारा हिन्दी परीक्षाओं को पास करना

8196. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों तथा सरकारी कार्यालयों को निर्देश जारी किये हैं कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित हिन्दी परीक्षाओं को पास किये जाने पर उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इसका उल्लेख दर्ज किया जाये;

(ख) क्या इसका यह लाभ मिलेगा कि पदोन्नति के अवसरों में हिन्दी परीक्षा पास करने वालों को यह परीक्षा न पास करने वालों पर प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे निर्देश जारी करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ग) जी हां, श्रीमान्। फिर भी, अनुदेशों में कोई नई नीति निर्धारित नहीं की गई। उनके द्वारा पहले केवल 29-1-1962 को जारी किये गये विद्यमान अनुदेशों को मंत्रालयों विभागों के ध्यान में लाया गया था

कि जब कभी कोई अधिकारी किसी अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में भाग ले तो उसके द्वारा ऐसा किये जाने के बारे में तथ्य उसकी गोपनीय पंजी में दर्ज किया जाना चाहिये। चूंकि हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन अध्ययन पाठ्यक्रम अनुमोदित पाठ्यक्रम हैं अतः मंत्रालयों/विभागों का ध्यान पिछले अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये आकर्षित किया गया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। अनुदेशों का उद्देश्य अधिकारी के अनुभव तथा उपलब्धियों का पूरा रिकार्ड रखना है। जिन व्यक्तियों ने हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन परीक्षा पास नहीं की है उनके प्रति पदोन्नति के मामले में भेदभाव बरतने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(4) के उपबन्धों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को इस आधार पर नुकसान नहीं होना चाहिये कि वह हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में दक्षता नहीं रखता।

Meeting of Standing Fire Advisory Committee held in New Delhi

8197. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Mome Affairs** be pleased to state :

(a) whether a meeting of Standing Fire Advisory Committee was held at New Delhi from 27th to 29th April, 1972; and

(b) if so, the main points discussed and the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the main points discussed in the meeting and action taken on the recommendation of the committee is placed on the table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT-4875/73]**.

Villages Covered by Master Plan without Post Offices

8198. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there are several villages covered under the Master Plan where no post offices have so far been provided; and

(b) if so, the State-wise number thereof and the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) There is no Master Plan as such for opening of new Post Offices. There are at present, 6,36,727 villages in the country of which 1,02,595 had post offices on 1-1-73. Post Offices are opened in villages on examination of specific proposals fulfilling the standards laid down by the P&T Department, subject to availability of funds.

(b) Does not arise.

Grant of Indian Citizenship to Persons Coming from other Countries

8199. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Indian citizenship has been granted to several persons who came from other countries; and

(b) if so, the number among them of those who were granted Indian citizenship during 1972-73 and the number of such families settled in each State, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) 1337 persons have been granted citizenship during the year ending 31-12-1972. Their Statewise distribution is indicated in the attached statement.

Statement

Statewise distribution of persons registered/naturalised as Indian citizens under the provisions of Citizenship Act, 1955 during the calendar year ending 31st December, 1972.

S. No.	State	Persons registered/ naturalised
1.	Andhra Pradesh	10
2.	Assam	92
3.	Bihar	2
4.	Gujarat	217
5.	Haryana	5
6.	Himachal Pradesh	1
7.	Maharashtra	145
8.	Mysore	8
9.	Manipur	1
10.	Madhya Pradesh	66
11.	Orissa	33
12.	Punjab	3
13.	Rajasthan	20
14.	Uttar Pradesh	66
15.	Tamil Nadu	41
16.	West Bengal	568
17.	A. & N. Administration	2
18.	Kerala	20
19.	Delhi	32
20.	Goa, Daman & Diu Administration.	5
	Total	1337

Hindi Advisory Committees

8200. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of the Ministries in which Hindi Advisory Committee have so far been constituted as also the names of the Ministries in which such committees have not been constituted ; and

(b) the reasons for which Hindi Advisory Committees have not been constituted in all the Ministries and whether there is any proposal now to constitute the committees there?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) Ministries of Education, Law and Ministry of Information and Broadcasting are mainly concerned with propagation and development of Hindi. The tasks of progressive use of Hindi for official purposes and training in Hindi of Central Government employees have been entrusted to the Ministry of Home Affairs. Therefore Hindi Salahkar Samitis have been set up only in these four Ministries. Functioning of these Samities in the matter of rendering advice is not confined to the four Ministries only in which they are located but these Samities analyse the various problems having regard to the position obtaining in all the other Ministries. The other Ministries follow the policy laid down by these four Ministries in regard to Hindi. It was, therefore, not considered necessary to set up Hindi Salahkar Samities in the other Ministries.

Kendriya Hindi Samiti coordinates the functioning of the four Samitis.

Keeping in view the large number of employees in the Ministry of Railways, and Post & Telegraph Department and their contact with the public, Kendriya Hindi Samiti at its meeting held on 20th December, 1972 had recommended that separate Hindi Salahkar Samitis should be constituted in these two organisations. This recommendation is under consideration in consultation with the Ministry of Railways, and Post and Telegraph Department.

भारत निर्मित उपग्रह रूस से छोड़ना

8201. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से छोड़े जाने वाले भारत निर्मित उपग्रह का मार्ग दर्शन केवल भारत से ही किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उपग्रह द्वारा भेजे गये संदेश केवल भारत में ही प्राप्त किये जायेंगे; और

(ग) इस उपग्रह सम्बन्धी अन्य मुख्य बातें क्या हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परियोजना के इस पहलू पर विचार किया जा रहा है और अंतिम निर्णय इसी वर्ष, बाद में लिया जायेगा।

(ग) उपग्रह का वजन लगभग 300 किलोग्राम होगा और इसे 600 किलोमीटर के परिक्रमा-पथ पर प्रविष्ट किया जायेगा। इससे तीन वैज्ञानिक परीक्षण—पहला, एक्स-किरण खगोल विज्ञान पर, दूसरा, सौर न्यूट्रान और गामा किरणों पर, तथा तीसरा, आयनमण्डलीय पैरामीटरों के परिमापन पर, किये जायेंगे।

"अन्तर स्पूतनिक" उपग्रह संचार प्रणाली में शामिल होने के लिए रूस से बातचीत

8202. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नौ समाजवादी देशों द्वारा चालू की जाने वाली "अन्तर स्पूतनिक" उपग्रह संचार प्रणाली में शामिल होने के लिये रूस से बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकस मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) त ा (ख) "अन्तर स्पूतनिक" उपग्रह सचार प्रणाली में भारत द्वारा भाग लेने की संभाव्यताओं पर जांच की जा रही है और कुछ प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया जा चुका है। इस प्रणाली के तकनीकी व्यौरे सम्बन्धी सूचना मांगी गई है और उसके प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग के प्रशिक्षण डिवीजन में एक अनुसंधान अधिकारी की पदोन्नति

8203. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग के प्रशिक्षण डिवीजन में एक द्वितीय श्रेणी के अनुसन्धान अधिकारी की पदोन्नति प्रथम श्रेणी के अनुसन्धान अधिकारी के पद पर परिवीक्षा अवधि में और पद के बारे में विज्ञापन दिये बिना ही कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इस पदोन्नति को स्वीकृति नहीं दी है, यदि हां, तो सरकार ने इस ममाले में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) इस पद को सचिवालय स्तर पर परिचालन करने के बाद भरा गया था। अधिकारी ने परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली थी। नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई थी और संघ लोक सेवा आयोग ने इस नियुक्ति को अनुमोदित कर लिया है।

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 'ट्रेनिंग एण्ड कैरियर मैनेजमैंट डिवीजन' में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के पदों के लिए भर्ती सम्बन्धी नियम।

8204. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 'ट्रेनिंग एंड कैरिअर मैनेजमेंट डिवीज़न' में वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारियों के पदों के लिये भर्ती सम्बन्धी समान नियम बनाये जा रहे हैं;

(ख) क्या इन पदों के लिये प्रशिक्षण/जनशक्ति/कार्मिक प्रशासन/'जौब क्वालिफिकेशन स्टैंटडर्ड' आदि के क्षेत्र में अनुभव का प्रस्ताव है; और

(ग) जनशक्ति के क्षेत्र में अनुभव से किसी व्यक्ति को 'जौब क्वालिफिकेशन स्टैंडर्डस' तैयार करने अथवा प्रशिक्षण के क्षेत्र में कैसे सहायता मिलेगी?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमान्। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) जी हां श्रीमान्। इन पदों के लिये प्रशिक्षण/जनशक्ति आयोजना/लोक प्रशासन/कार्मिक प्रशासन/कैरियर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अनुभव का प्रस्ताव रखा गया है।

(ग) यह समझा गया है कि ऐसे अधिकारी जो सूचना का विश्लेषण, स्वांगीकरण, समन्वयन तथा सह-सम्बन्धता सम्बन्धी क्षमता रखते हों और जिन्हें उक्त भाग (ख) में उल्लिखित विषयों में से किसी एक का अनुभव हो, वे इस विभाग में वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारियों के पदों के लिये उपयुक्त होंगे।

मैसर्स गोल्डन टोबैको कम्पनी लिमिटेड द्वारा डाक नियमों का कथित उल्लंघन

8205. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं के कवर, जिसमें लिफाफे भी शामिल हैं, का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये वर्जित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान हाल ही में मैसर्स गोल्डन टोबैको कम्पनी लिमिटेड द्वारा किये गये उल्लंघन की ओर दिलाया गया है?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

डाक-तार विभाग को उपलब्धियों में कमी

8206. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या संचार मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में एक्सचेंज क्षमता और कोएक्सियल माइक्रोवेव योजनाओं के सम्बन्ध में डाक-तार विभाग को उपलब्धियों में बड़ी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितनी हुई है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। एक्सचेंज की क्षमता में और कोएक्सियल तथा माइक्रोवेव की दूरसंचार योजनाओं के काम पूरे होने में कुछ गिरावट जरूर आई है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के पहले 3 वर्षों में अर्थात् 1969 से 1972 तक एक्सचेंज लाइनें देने का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे 31,800 लाइनें कम जोड़ी जा सकी हैं। इसी प्रकार कोएक्सियल और माइक्रोवेव योजनायें पूरी करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे कोएक्सियल में 1,420 मार्ग किलोमीटर और माइक्रोवेव में 145 मार्ग किलोमीटर काम कम पूरा हो सका है।

(ग) (1) एक्सचेंज क्षमता का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में विलम्ब इस लिये हुआ क्योंकि क्रासवार स्विचिंग उपस्कर तथा कतिपय अन्य सहायक उपस्कर जैसे पावर प्लांट, बैटरी, आयरनवर्क, टेस्ट डेस्क मीटर आदि साज-सामान की सप्लाई समय से न मिल सकी।

(2) कोएक्सियल की योजनायें इसलिये कम पूरी हो सकीं क्योंकि ट्रांसमिशन उपस्कर और कोएक्सियल केबुल की सप्लाई विलम्ब से मिली थी।

(3) माइक्रोवेव योजनायें निर्धारित लक्ष्य से कम पूरी हो पाने का प्रमुख कारण यह है कि टावरों की सप्लाई नहीं मिल सकी। टावरों की सप्लाई इसलिये नहीं हो सकी क्योंकि स्टील की बड़ी कमी हो गई थी। टावरों के तैयार करने के लिये स्टील की जरूरत थी। इसके अलावा और भी कई समस्यायें उठ खड़ी हुई थीं। टावरों के डिजाइन को अंतिम रूप देना था। माइक्रोवेव उपस्कर का उत्पादन अपने देश में होना था और उनकी सप्लाई की जानी थी। अपने देश में बने उपस्कर उपलब्ध न होने पर ये उपस्कर विदेशों से मंगाने की जरूरत पड़ी। उपस्कर आयात करने में टेंडर मंगाने और लिखा-पढ़ी करने आदि की प्रक्रियाओं में काफी समय लगता है।

मध्यम दर्जे के उद्यमों की प्रगति का मूल्यांकन

8207. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये और मध्यम दर्जे के उद्यमों विशेषकर 100 लाख रुपयों तक की लाइसेंस छूट सीमा वाली परियोजनाओं की द्रुत प्रगति के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये एक बारह सदस्यीय समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) इस का प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) लघु और मझौले उद्यमियों द्वारा किये जा रहे उत्पादन में वृद्धि करने के विभिन्न प्रकार के निश्चित उपायों को बढ़ाने और तेज करने के विचार से सरकार ने निम्नलिखित निर्देश पदों पर 12 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है:—

(1) उद्यमिता, विशेषरूप से नये और मझौले उद्यमियों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा करना और उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को जानना।

(2) उपलब्ध विद्याओं जैसे तकनीकी सहायता और परामर्श वित्तीय सहायता, विशेषकर पूंजी जोखिम, केन्द्र, राज्य एवं अन्य स्तरों पर विपणन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता आदि के सम्बन्ध में विद्यमान स्थिति का पता लगाना, और यदि ऐसी सुविधाओं में कोई कमी और अन्तर है तो उसका पता लगाना।

(3) विद्यमान एजेंसियों के विस्तार और उन्हें सुदृढ़ बनाना और इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने वाले विशिष्ट अधिकरण/अधिकरणों की यदि कोई आवश्यकता है के सहित ऐसी सुविधाओं का विकास करने और उन्हें बढ़ाने के लिये उपाय सुझाना, और

(4) पांचवीं योजना की अवधि में नये और मझौले उद्यमियों की उद्यमिता में सतत वृद्धि करने वाले समन्वित योजना और कार्यक्रम तैयार करना।

समिति से आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट लगभग तीन महीनों में प्रस्तुत कर देगी।

पांचवीं योजना के लिए राज्यों को धन का नियतन

8208. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के लिये विभिन्न राज्यों को धन का नियतन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को कितना धन दिया गया है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पांचवीं योजना में पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई जानी है उसका उल्लेख पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण दस्तावेज में किया जा चुका है, और इसे पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है। योजना आयोग ने राज्यों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भी जारी किये हैं, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करें तथा उनका तेजी से विकास करने के लिये विस्तृत कार्यक्रम तैयार करें। आशा है कि उत्तर प्रदेश की पांचवीं योजना में इस प्रदेश के पूर्वी जिलों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा। पांचवीं योजना में देश के लिए 3,300 करोड़ रुपये का न्यूनतम आवश्यकताओं का जो कार्यक्रम रखा गया है वह भी ऐसे क्षेत्रों का पिछड़ापन दूर करने में सहायक होगा।

मिश्र के साथ तकनीकी सहयोग करार

8209. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र के साथ वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) भारत सरकार और मिश्र की अरब गणतन्त्र सरकार के मध्य दिनांक 2 फरवरी 1973 के दिन नई दिल्ली में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के समझौते के एक कार्यकारी कार्यक्रम पर वर्ष 1973-74 के लिये हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) समझौते के कार्यकारी कार्यक्रम (प्लान) की एक प्रति संलग्न कर दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4876/73]

Shifting of Office of Scientific and Technical Personnel Division

8210. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) the reasons for shifting the Office of the Scientific and Technical Personnel Division (DSTP) to a new building in South Delhi indicating the period for which it has been shifted; and

(b) the amount of monthly rent being paid by Government for this new building and the amount of additional monthly expenditure being incurred on the maintenance of this new building ?

The Minister of Industrial Development, Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) The accommodation in the CSIR Secretariat Buildings where the Scientific and Technical Personnel Division was located was found inadequate for additional staff which was required to be recruited for sorting out 2.2 million Census Cards for updating the National Register coding and computerisation of the data. The building has been taken on hire for a period of 2 years from 10th October, 1972.

(b) The monthly rent and maintenance expenditure of the building are as under:—

(*i*) Rent of the building (including all taxes)	Rs. 9,500.00
(*ii*) Maintenance expenditure etc. [Engagement of Sweepers, Farash and Mali on daily wages (Part time)]	Rs. 750.00

पश्चिम बंगाल द्वारा जिला योजनाओं का निरूपण

8211. **श्री गदाधर साहा :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के लिये जिला योजनाओं सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने जिला योजनाओं का विपणन करना आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो वर्ष 1973-74 की योजना की रूपरेखा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई ; और

(ग) बीरभूम जिले के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या-क्या योजनायें पेश की हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जिला योजनाओं के लिये मार्गदर्शक सिद्धांतों के सम्बन्ध में 29-11-72 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2396 के उत्तर में सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना मांगी गई है तथा जैसे ही प्राप्त होगी, सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) बीरभूम जिले के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।

बीरभूम जिला (पश्चिम बंगाल) का विकास

8212. **श्री गदाधर साहा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में क्या-क्या विकास कार्य हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार औद्यौगिक दृष्टि से पिछड़े पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कोई उद्योग स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) बीरभूम चुने हुए पिछड़े जिलों में एक जिला है जहां उद्योग प्रारंभ करने हेतु वित्तीय संस्थानों से रियायती धन दिया जाना है। वर्ष 1970 में पश्चिम बंगाल वित्त निगम ने इस जिले का एक सर्वेक्षण किया था और निम्नलिखित उद्योगों का सुझाव दिया था।

शहतूत के कोए (ककून) केसर के कोए, सिसाल रेशा सत, गत्ता के लिये लुगदी धान की भूसी का तेल : अखाद्य तेल, पीतल और घंटी की धातु का उद्योग, लकड़ी चीरने की मिलें, सरसों के तेल की मिलें, आइस कैंडी, अर्ध यंत्रीकृत बेकरियां, मुर्गी-खाद्य, मुद्रण, पेय, चीनी मिट्टी खनन, काला पत्थर स्फटिक और स्फटीयाश्म, कोयला, इस्त्री करना, रंगाई आदि।

आशा है कि जिले में उद्योग शुरु करने में उपभोक्तागण और राज्य अभिकरण इन सुविधाओं का उपयोग उद्योगों का विकास करने में करेंगे।

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, दिल्ली में कार्यरत वैज्ञानिक

8213. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, दिल्ली में कितने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उनकी भरती सीधे की गई थी अथवा वे प्रतिनियुक्ति पर हैं ; और

(ग) उनके वेतन-मान क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०) में 151 वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

(ख) 70 की सीधी भर्ती की गई है 77 सी०एस०आई० आर० मूल्यांकन नियमों के अन्तर्गत पदोन्नत किये गये हैं, 2 को पुनः रोजगार पर लगाया गया है और 2 प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ग) एन० पी० एल० में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के वैज्ञानिकों का वेतनमान इस प्रकार है :—

पद	वैज्ञानिकों की संख्या	वेतनमान
1	2	3
(1) निदेशक	1	रु० 2000-100-2500
(2) वैज्ञानिक (एफ) . . .	2	रु० 1600-100-1900
(3) ग्लास टैक्नोलोजिस्ट	1	रु० 1600-100-1900
(4) मुख्य कार्यवाहक	1	रु० 1600-100-1900
(5) वैज्ञानिक "ई"	15	रु० 1300-60-1600
(6) वैज्ञानिक "सी"	38	रु० 700-50-1250

पद	वैज्ञानिकों की संख्या	वेतनमान
1	2	3
(7) वैज्ञानिक "बी"	33	रु० 400-40-800-50-950
(8) वैज्ञानिक "ए" . .	28	रु० 350-25-500-30-590-ईबी-30-800-ईबी-30-830-35-900
(9) वैज्ञानिक "सी-वन"	5	रु० 700-40-1100-50/2-1250
(10) वैज्ञानिक "बी-वन"	7	रु० 400-400-450-30-600-35-670-ईबी-35-950
(11) वैज्ञानिक "ए-वन" .	20	रु० 350-25-500-30-590-ईबी-30-680
	151	

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया तीन विमीतिय वाली फोटोग्राफी

8214. **श्री मरोरंजन हाजरा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा बनाये गये तीन विमीतिय वाली फोटोग्राफी वाणिज्यिक स्तर पर बेचने के लिये बड़ी संख्या में बनायी जायेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में तीन विमीतिय वाली फोटोग्राफी पर कार्य अभी जारी है । कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर यह प्रविधि वाणिज्यिक प्रोयोग के लिये उद्योग को प्रदान की जायेगी ।

राजौरी गार्डन में एक सिले-सिलाए कपड़ों की दुकान को गुण्डों द्वारा आग लगाया जाना

8215. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :** क्या गृह-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अपराधियों ने एक अप्रैल, 1973 को राजौरी गार्डन, दिल्ली में सिले-सिलाये कपड़ों की एक दुकान में आग लगा दी थी और लूट-मार की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) कालोनी के नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (क) जी हां । राजौरी गार्डन मार्केट में दुकान नं० जे-90/ए को आग लगा दी गई थी ।

(ख) दुकान के मालिक की पत्नी ने पुलिस में एक शिकायत लिखाई थी । शिकायत के अनुसार 1 अप्रैल, 1973 को दोपहर बाद 6 या 7 नवयुवक एक गैरकानून गिरोह बना कर दुकान में घुस गये तथा कुछ आग पकड़ने वाली सामग्री छिड़कने के पश्चात इसे आग लगा दी । यह दुकान मालिक के अनुरोध पर एक व्यक्ति की कथित गिरफ्तारी के उत्तर में किया गया ।

(ग) इस घटना के सम्बन्ध में एक मामला दर्ज किया गया है तथा छः अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है । क्षेत्र में एक अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है । क्षेत्र में रात दिन सशस्त्र पुलिस गश्त तथा वायरलैस से सज्जित मोटर साइकिल गश्त शुरू कर दी गई है ।

पदोन्नतियों से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

8216. **श्री किन्दर लाल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार पदोन्नतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के बारे में मन्त्रिमंडल सचिवालय द्वारा 27 नवम्बर, 1972 को जारी किये गये आदेशों को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन आदेशों के आधार पर प्रत्येक मंत्रालय में श्रेणी-वार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कितने व्यक्ति पदोन्नत किये गये ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन आदेशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पदोन्नतियां करने के लिये उत्तरदायी विभिन्न कार्यालयों को मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) के दिनांक, 27 नवम्बर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71-स्थापना (अनु०जा०) में सन्निहित आदेशों को भेजा जा चुका है । पदोन्नति द्वारा 27 नवम्बर, 1972 से होने वाली सभी रिक्तियों के सम्बन्ध में आदेशों को क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है ।

(ख) चूंकि आदेशों को जारी हुए कुछ ही माह बीते हैं अतः उनके कार्यान्वयन की विस्तृत सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास में टेलीविजन केन्द्र

8217. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च 1973 के "दि हिन्दू" में मद्रास विधान सभा की कार्यवाही के सन्दर्भ में "मद्रास टी०वी० सैन्टर" (मद्रास में टेलीविजन केन्द्र) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार विधायकों ने यह विचार व्यक्त किया है कि मद्रास में प्रस्तावित टेलीविज़न केन्द्र का एक भाग समुद्र की सीमा के अन्तर्गत आता है और कुछ समुचित परिवर्तन के द्वारा इस को कांचीपुरम् तक पहुंचाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास टैलीविज़न केन्द्र की टेलीविज़न ट्रांसमिटिंग एरियल पद्धति इस प्रकार बनाई गई है कि विकिरण को समुद्र की ओर जाने से रोका जा सके और सेवा का विस्तार कांचीपुरम् सहित अन्तःस्थल में किया जा सके ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

8218. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कर लिया गया है ;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास में प्रारम्भिक रुचि उत्पन्न करने के लिये योजनाओं की एक सूची तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) से (ग) संयुक्त संस्थागत अध्ययन दल ने जिसमें केन्द्रीय वित्त संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़ कर सभी पिछड़े राज्यों और संघ क्षेत्रों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कर लिया है । जिला स्तर पर औद्योगिक विषयों का सर्वेक्षण राज्यस्तर के अन्तर संस्थागत दल द्वारा जिसमें वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं और राज्य सरकारों के अधीन संगठन हैं किया जा रहा है ।

अभी तक अध्ययन दल द्वारा निश्चित प्रायोजनाओं के विषय में तैयार किया गया संभाव्यता अध्ययन इस प्रकार है :—

प्रयोजना	राज्य का नाम
1. चीनी मिल	आसाम
2. होटल प्रायोजना . . .	,,
3. जूट मिल . . .	,,
4. इस्पात की छड़ें . .	,,
5. दानेदार उर्वरक	,,
6 विलेय निस्सारण एकक (साल्वेन्ट एक्सटेंशन यूनिट)	,,
7. वनस्पति और फल संरक्षण एकक . .	,,
8. विद्युत् करघा प्रायोजना .	,,
9. —वही— . .	त्रिपुरा
10. —वही— . . .	बिहार
11. लुगदी और कागज मिल .	अरुणाचल प्रदेश
12. केलशियम कारबाइट, केलशियम कारबोनेट .	मेघालय
13. जलयुक्त चूना प्रायोजना	,,

लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीकृत एजेंसी

8219. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से महत्वाकांक्षी नवयुवक लघु उद्योग क्षेत्र में स्वनियोजन के लिये उद्यम करना चाहते हैं परन्तु उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध की जाने वाली तकनीकी वित्तीय और अन्य सुविधाओं की जानकारी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने और इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीयकृत एजेंसी स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिग्राउर रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) लघु उद्योग विकास संगठन देश भर में स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थानों तथा विस्तार केन्द्रों द्वारा संभावित उद्यमियों को लघु क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में सहायता देता है । इनको दी गई कुछ प्रकार की सहायता निम्नलिखित हैं :—

(1) लघु उद्योग विकास संगठन ने "यूज योर अपारचुनिटीज़ फार स्टार्टिंग ए स्माल इण्डस्ट्री" नामक एक पुस्तिका तैयार की है जिसमें लघु क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये उद्यमियों को सरकार से उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी हुई होती है। लघु उद्योगों को उपलब्ध होने वाली तकनीकीं प्रबन्ध तथा वित्तीय सुविधाओं के बारे में बड़ी संख्या में पाम्फलेट तैयार किये गये हैं और इच्छुक व्यक्तियों को निःशुल्क दिये गये हैं ।

(2) बेरोजगार इंजीनियरों के लिये 1971 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसे जारी रखा जा रहा है ।

(3) गहन अभियान जिसमें उद्यमियों को मौके पर जाकर सलाह दी जाती है । भी आयोजित किया गया है ।

(4) सरकार ने 1972 में बेरोजगार शिक्षितों को सहायता देने की एक योजना शुरू की थी। इस योजना के अधीन राज्य सरकारों, प्रशिक्षण, किराया खरीद पर मशीन तथा कार्य संचालन पूंजी के लिये प्रारम्भिक पूंजी आदि की पैकेज सहायता के लिये विशिष्ट राशि आवंटित करने की व्यवस्था है ।

उठाये गये कदमों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन के लिये एक अलग केन्द्रीकृत अभिकरण स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों की गणना

8220. श्री **देवेन्द्रसिंह गरचा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से छोटे पैमाने के औद्यौगिक एककों की देशव्यापी गणना की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस गणना के पीछे क्या प्रयोजन हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) देश के लघु उद्योग एककों की गणना की योजना का प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है ।

(ख) गणना के मुख्य उद्देश्य हैं :—

(1) लघु एककों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना ।

(2) उद्योगों का अन्तर अनुभागीय एवं उससे इतर क्षेत्र में विकास संबंधी नीति निर्धारण।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की कल्याण एसोसियेशनों को दिये गये अनुदान

8221. **श्री वरके जार्ज : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) कार्मिक विभाग ने वर्ष 1972-73 के दौरान राजधानी में सरकारी कर्मचारियों की कल्याण एसोसिएशनों को नियमित/तदर्थ आधार पर अथवा अन्य रूप में कुल कितनी सहायता/अनुदान दिया; और

(ख) इन संस्थाओं को नियमित रूप से तथा तदर्थ आधार पर सहायता/अनुदान मंजूर करने के क्या मानदण्ड हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) दिल्ली/नई दिल्ली में आवासीय बस्तियों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा संगठित कल्याण एसोसिएशनों को वर्ष 1972-73 में कुल 67,339.05 रुपये का सहायता अनुदान दिया गया था।

(ख) कल्याण एसोमिएशनों का सहायता अनुदान ऐसी एसोसिएशनों द्वारा पिछले वर्ष में अपने सदस्यों से एकत्र किये गये अंशदान की राशि के आधार पर दिया जाता है। सहायता अनुदान मंजूर करने का मानदण्ड इस प्रकार है :—

(i) 500/- रुपये और उससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले अधिकारियों की बस्तियों में कल्याण एसोसिएशनों को पिछले वर्ष में प्राप्त अंशदान के बराबर सहायता अनुदान।

(ii) 250/- रुपये और 500/- रुपये के बीच प्रतिमाह वेतन पाने वाले अधिकारियों की बस्तियों में कल्याण एसोसिएशनों को पिछले वर्ष में प्राप्त अंशदान से दुगुनी राशि के बराबर सहायता अनुदान।

(iii) 250/- रुपये प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों की बस्तियों में कल्याण एसोसिएशनों को पिछले वर्ष में प्राप्त अंशदान से तिगुनी राशि के बराबर सहायता अनुदान।

इन संगटनों को उनके द्वारा अधिकृत आवास के लिये दिये जाने वाले किराए को वहन करने के लिये भी सहायता अनुदान दिया जाता है। तदर्थ आधार पर सहायता अनुदान मंजूर किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राजस्थान में बिजली का भारी संकट और उसके परिणामस्वरुप कोटा स्थित परमाणु बिजली संयंत्र तथा अन्य दो संयंत्रों के बंद हो जाने का समाचार

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : श्रीमान्, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"राजस्थान में बिजली के भारी संकट और उसके परिणामस्वरूप कोटा स्थित परमाणु बिजलीघर तथा जवाहर सागर और प्रताप सागर संयंत्रों के बन्द होने का समाचार।"

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : राजस्थान में विद्युत सप्लाई के मुख्य साधन भाखड़ा नंगल परियोजना, चंबल जल-विद्युत परियोजनाएं (राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर) और मध्य प्रदेश में संतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र हैं। फरवरी, 1973 के महीने के दौरान इन

साधनों से कुल उपलब्ध ऊर्जा 6.4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तक थी। इसमें सतपुड़ा के अपने भाग के अलावा लगभग 0.7 मिलियन यूनिट प्रतिदिन अतिरिक्त विद्युत शामिल थी। वास्तविक मांग अक्तूबर, 1972 में 5.0 मिलियन यूनिट से फरवरी, 1973 में 6.4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तक बढ़ गई। अतः फरवरी, 1973 के महीने के दौरान विद्युत की उपलब्धता तथा उसकी मांग लगभग एक दूसरे के बराबर थी और कोई कमी नहीं थी। जलाशयों से अधिक जल लेकर चंबल प्रणाली में जलाशय स्तरों से अनुमित मात्रा से अधिक विद्युत-उत्पादन करके सप्लाई प्राप्त की गई क्योंकि यह आशा थी कि राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र फरवरी-मार्च, 1973 से चालू हो जायेगा। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ और परमाणु संयंत्र का अभी तक परीक्षणात्मक प्रचालन ही किया जा रहा है। मार्च, 1973 के दौरान चंबल प्रणाली में विद्युत उत्पादन कम कर दिया गया था और अप्रैल में इसे और भी घटा दिया गया। अप्रैल के प्रथम 10 दिनों के दौरान सप्लाई 6.4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की मांग की तुलना में 3.9 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी। सतपुड़ा पर विद्युत उत्पादन के कम हो जाने से सप्लाई को और घटाकर 2.8 मिलियन यूनिट प्रतिदिन कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को, 20 किलोवाट से ऊपर और 125 किलोवाट से कम के उद्योगों पर विद्युत में 50 प्रतिशत, घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर 25% और स्ट्रीट लाइट पर 50 प्रतिशत की कटौती लागू करनी पड़ी। कृषि संबंधी खपत पर कोई कटौती लागू नहीं की गई।

जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जल-विद्युत परियोजनाओं पर कार्य कर रहे अवर अभियंताओं और सहायक अभियंताओं ने 22 और 23 अप्रैल, 1973 की मध्य रात्रि से सामूहिक तौर पर आकस्मिक छुट्टी ले ली। यह आरोप है कि उन्होंने हड़ताल पर जाने से पूर्व मशीनों को क्षति पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों जल-विद्युत केन्द्रों पर जनित्र चलने बन्द हो गए। कार्यकारी अभियंता भी हड़ताल में शामिल हो गये। मुख्य अभियंता तथा 18 में से 14 अधीक्षक अभियंता मशीनों की मरम्मत का कार्य करने में प्रयत्नशील हैं।

हड़ताल के कारण विद्युत सप्लाई में 0.4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की और कमी हुई है और इसे अब भाखड़ा से पूरा किया जा रहा है तथा बाद में परमाणु विद्युत संयंत्र से पूरा किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : माननीय मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर ठीक नहीं दिया है। मंत्री महोदय ने केवल यह बताया है कि राजस्थान में कितनी बिजली पैदा की [जा रही है। हम उनसे इससे अधिक की आशा कर रहे थे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। राजस्थान बिजली बोर्ड के सचिव ने टेलीफोन पर मुझे बताया था कि वहां कुछ तोड़फोड़ हुई है। हम चाहते थे कि मंत्री महोदय हमें वस्तु स्थिति से अवगत करायें।

राजस्थान दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र है। वहां घास का एक तिनका भी दिखाई नही देता, पानी का एक गिलास पीने को नहीं मिलता। कोटा स्थित परमाणु बिजलीघर को जो क्षति पहुंचाई गई है उसका राजस्थान और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जब बिजली का ऐसा ही संकट आया था तो माननीय मंत्री ने हस्तक्षेप करके स्थिति को संभाला था। राजस्थान के मामले में मंत्री महोदय का क्या कार्यवाही करने का विचार है। बिजली के अभाव का कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह विचारणीय है। बिजली फेल होने का यह अकेला मामला नहीं है। आज यह राजस्थान में है तो कल कहीं और होगा। राजस्थान में आज 2 मुख्य इंजीनियरों को छोड़कर

शेष सभी 600 अधिशासी अभियंता और सुपरिन्टेंडिंग अभियंता हड़ताल पर हैं। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर परमाणु बिजली परियोजनाओं के सेन्ट्रल पैनलों को क्षति पहुंचाई गई है। कुछ पैन-डाउन गेट भी बंद कर दिये गये थे ताकि टरबाइनों तक पानी न पहुंच सके। सरकार ऐसे तोड़फोड़ करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? क्या इन गतिविधियों को देश विरोधी समझा जायेगा। क्या राजस्थान बिजली बोर्ड को अनिवार्य सेवाएं बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत आज से ही लाया जायेगा ? विद्युत पूर्ति अधिनियम (इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 और इलक्ट्रीसिटी एक्ट, 1910) अब पुराने पड़ चुके हैं। अब एक वृहद कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित विद्युत-उत्पादन एककों में समन्वय स्थापित हो जाये। राजस्थान में मार्ग में विद्युत के, नष्ट होने की प्रतिशतता 27 है जबकि यूरोपीय देश में यह 5.7 प्रतिशत है। यह गम्भीर मामला है। इसे कम किया जाना चाहिए।

राजस्थान के जोधपुर, अजमेर और उदयपुर जैसे स्थानों पर अंधेरे के साथ-साथ पेय जल की सप्लाई भी बंद हो गई है। ऐसे संकटों से निपटने के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक कार्यवाही की है। क्योंकि ऐसे संकट से दुश्मन भी लाभ उठा सकता है।

मैं इस संदर्भ में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले में हस्तक्षेप करके मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यूनियनों के नेताओं की आज यह प्रवृत्ति बन गई है कि वे समस्या पर सबसे बड़े अधिकारी से बातचीत करना चाहते हैं। वे छोटे स्तर के अधिकारियों से संतुष्ट नहीं होते हैं। क्या वह तोड़ फोड़ करने वालों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करेंगे और क्या बिजली संबंधी पुराने अधिनियमों के स्थान पर वह एक नया विधान बनायेंगे ?

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि राजस्थान में बिजली की कमी 4 लाख यूनिट प्रतिदिन है। यह मामूली कमी हड़ताल के कारण नहीं है। कमी के कई कारण हैं। परमाणु बिजलीघर का बन्द होना भी उनमें से एक था। आज सवेरे 6 बजे से परमाणु बिजली घर चालू हो गया है और हम लगभग 50 मैगावाट बिजली सप्लाई कर रहे हैं। अब हम इस कमी को पूरा कर सकेंगे। सतपुड़ा बिजलीघर कुछ खराबी के कारण बंद हो गया था। कमी का यह भी एक कारण था। हम सम्पूर्ण व्यवस्था के पुनर्गठन पर विचार कर रहे हैं। मैं अगले सत्र में एक विधेयक सभा में लाने का प्रयास करूंगा। यह अच्छा ही हुआ है कि इंजीनियरों के साथ वहां समझौता हो गया है। यदि मेरी किसी प्रकार सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं भी सहायता करने को तैयार हूं।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : Mr. Speaker, Sir, the power crisis is becoming serious day by day. Rajasthan, Haryana and Delhi are worsely affected by this power crisis. Due to shortage of power industries agricultural and thrashing operations have been closed down, the employees of all the electricity boards in the country are coming to Delhi to stage a demonstration. There is resentment in engineers and other employees of the electricity boards. Last time the electrical engineers in U.P. went on strike and Government had to accept their demands. In Rajasthan too the demands of Engineers will have to be accepted. Has the hon. Minister ever enquired as to what are their demands. They want that their pay scales should be revised and they should be uniform all over India and time-scale should be enforced. They also want that the chairman and the Member Secretary of the Board should be some technical hand and not the bureaucrate. Their third demand is that the work on the thermal power station proposed to be set up at Kotah during 3rd Five Year Plan should be started soon. I would like to know whether hon. Minister has paid attention to their demands and take steps to solve the problem as a whole.

29 LSS/73—10

डा० के० एल० राव : जहां तक पूरे देश में इंजीनियरों के वेतनमान समान करने का संबंध है, वर्तमान परिस्थिति में यह सम्भव नहीं है। यदि विद्युत-उत्पादन केन्द्र अपने हाथ में ले लेता है तो फिर उनके वेतनमान समान हो जायेंगे। वैसे तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारों के अधीन काम कर रहे इंजीनियरों के वेतनमान समान करना संभव नहीं है। जहां तक राजस्थान के इंजीनियरों का संबंध है, उनकी मांगों का कोई ज्ञापन मुझे नहीं मिला है। उनकी मांगों पर राज्य सरकार विचार करेगी। फिर भी यदि विवाद के हल में मैं किसी प्रकार सहायक हो सकता हूं तो उसके लिए मैं तैयार हूं ताकि विवाद शीघ्र से शीघ्र सुलझ जाये।

Shri Jaggannath Mishra (Madhubani): Power strike takes place some times in Rajasthan, sometimes in U. P. and sometimes in some other States. The Hon. Members realise how difficult it is to pull on without electricity.

Rajasthan Electricity Employees placed their demands for better pay and allowances to the government but to no effect. The government awakes only when the situation goes out of control. Certain demands of the employees might be unreasonable.

The technical personnel of Rajasthan Electricity Board placed its demands before the government. May I know what action the government has taken on their demands ? What are their present grades of pay and what is the increase demanded by them ? What is the difficulty for the government to accede to their demands ?

Taking in view the importance of Electricity would the government consider to lay certain guidelines for the States.

डा० के० एल० राव : हमारे पास कोई मांगे नहीं आई हैं। हमारे परिश्रमी इंजीनियरों के साथ सहानुभूति है परन्तु उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी।

उनकी कुछ मांगे उचित हैं और हम उन पर विचार करने को तैयार हैं।

मार्ग दर्शक सिद्धातों के बारे में सदस्य महोदय के सुझावों से हम सहमत है।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : बिजली की कमी देश का 47% है। औद्योगिक गृहों की बिजली में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। क्या मंत्री महोदय समझते हैं कि औद्योगिक उपयोग से घरेलू उपयोग अधिक जरूरी है।

पांचवीं योजना में बिजली का उत्पादन लक्ष्य 410 लाख किलोवाट रखा गया है। जबकि वर्तमान क्षमता केवल 170 लाख किलोवाट है। मैं जानना चाहता हूं कि उक्त महान लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कोटा में बिजली के संयंत्रों के फेल होने के संबंध में है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सीमित प्रश्न उठाया गया है।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए पहले से सतर्कता क्यों नहीं बरती गई।

क्या बिजली उत्पादन की योजनाओं को केन्द्र के अधीन करने का कोई विचार है।

डा० के० एल० राव: देश में बिजली की कमी पर मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का उत्तर देते समय में स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। मैंने कहा था कि ना तो हम बिजली के उत्पादन का लक्ष्य 200 लाख किलोवाट से बढ़ाकर 1979 तक 400 लाख किलोवाट बनायें अथवा आर्थिक विकास को कम करे।

यह महत्वपूर्ण बनता जा रहा है कि बिजली का उत्पादन केन्द्रीय अधिकरण द्वारा किया जाये।

Shri M. C. Dage (Pali): Rajasthan is famine effected and there is less electricity in that state. Today 1300 engineers of Rajasthan are on strike. They have been fighting for their rights for the last 16 years. The Junior Engineers of Rajasthan get Rs. 250 against Rs. 400 in Punjab and in Rajasthan Assistant Engineers get Rs. 375 against Rs. 500 in Punjab. Nothing was done to meet their demands. The following statement was given by the Prime Minister on behalf of the Central Cabinet :

"The brightest of our youngmen and women choose Engineering and Medicine. If they happen to go into government they are very soon overtaken by general administrators. This must change and I am trying to change it."

Rajasthan get's power from Bhakhra Nangal which is under the control of Punjab which stops power to Rajasthan whenever it likes. You have sanctioned 400 kw. power station for Rajasthan. Who is responsible for it's non-implementation ?

Initially the government did not recognise the Association of Engineers. It is only when the court gave verdict in their favour there they have been given due attention.

Our representation should be there so that Punjab may not act against our interest.

By when that 400 Megawatt station would start functioning. What action would be taken against those persons who did not need to the demands of Engineers for 16 years.

The hon. Minister should visit Rajasthan and settle the dispute.

डा० के० एल० राव: सदस्य महोदय यही चाहते हैं कि मैं विवाद का निपटारा कराऊं।

दिल्ली में विद्युत् सप्लाई के बन्द होने के बारे में

RE: POWER BREAKDOWN IN DELHI

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): There was power breakdown in Delhi. will the hon. Minister through light on it.

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय एक वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा के लिए भी समय दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आज सुबह सर्व प्रथम मुझे माननीय मंत्री से ही नोटिस प्राप्त हुआ था कि वह बिजली के संकट पर एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) आप इस पर सदस्यों को कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को स्थिति स्पष्ट करने का आधार दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात् यदि सदस्य ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेना चाहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

(**व्यवधान**)

मैं कल चर्चा के लिए एक घण्टे का समय देने को तैयार हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : आप चर्चा के लिए कुछ अधिक समय दीजिये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी अपना स्थान ग्रहण करें। श्री शमीम भी बैठ जाये। मैंने उनको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1971-72 का प्रतिवेदन आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1971-72 संबंधी प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल) राजस्व प्रतियों की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :

(एक) खण्ड 1— अप्रत्यक्ष कर, और

(दो) खण्ड 2 — प्रत्यक्ष कर।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी० 4867/73]

भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1973

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 192 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी० 4868/73]

डाक व तार के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं 'डाक और तार' के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में की गई कतिपय सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4869/73]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

26वां प्रतिवेदन

श्री जे० माल गौडर (नीलगिरी) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

84वां, 87वां तथा 91वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:—

(1) सहकारिता विभाग के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 संबंधी प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल), के पैरा 71 पर 84वां प्रतिवेदन।

(2) आयकर के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, के अध्याय 4 पर 87वां प्रतिवेदन।

(3) पूर्ति विभाग के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल), पर 91वां प्रतिवेदन ।

रेल अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

चौथा प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं "वाणिज्यिक और सम्बद्ध विषयों—भाग 2" के संबंध में रेल अभिसमय समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

37वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) निर्माण और आवास मंत्रालय—आवास के सम्बन्ध में 37वां प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

32वां और 34वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

डा० कैलाश (बम्बई-दक्षिण) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 19वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(2) (एक) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सम्बन्ध में 34वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

दिल्ली में विद्युत् सप्लाई के बन्द होने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: BREAKDOWN OF POWER SUPPLY IN DELHI

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री के० एल० राव) : 24 अप्रैल, 1973 को शाम 5.30 बजे दिल्ली के ए० बी० सी० स्टेशनों के सात विद्युत यूनिट अचानक बन्द हो गये थे। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली नगर के अधिकांश भाग में विद्युत सप्लाई में कटौती करनी पड़ी। फिर भी दिल्ली के कुछ भागों में भाखड़ा से बिजली सप्लाई की गई। अतः इन क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 24 तारीख रात को जिस क्षेत्र को बिजली दी गई वह नगर का 40 प्रतिशत भाग था।

इस बीच मशीनों को चालू करने के लिए प्रयास किये गये हैं। अब तक एक यूनिट को पुनः चालू किया गया है। इससे उत्पन्न बिजली तथा भाखड़ा से मिलने वाली बिजली 150 मैगावाट है जबकि दिल्ली की कुल मांग 250 मैगावाट है। आशा है कि आज शाम तक एक अथवा दो और मशीनें चालू हो जायेंगी। इससे नगर की पूरी आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा।

इस गंभीर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मैं तकनीकी विशेषज्ञों की समिति तुरन्त नियुक्त कर रहा हूं ताकि जिम्मेदारी नियत की जा सके और जब कभी भी मशीनों में कोई त्रुटि उत्पन्न हो तो सभी मशीनों को बन्द होने से रोकने के लिए ठोस सुझाव दे सकें। समिति को दो सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन देने के लिए कहा जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि ध्यान दिलाने वाली सूचना नहीं हुई तो मैं चर्चा की अनुमति दूंगा।

डा० के० एल० राव : मैं चाहता हूं कि कल के बजाये चर्चा परसों के लिए रखी जाये क्योंकि मैं कल पोंग बांध जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आज शाम को चर्चा रख दी जाये तो ठीक रहेगा।

डा० के० एल० राव : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : आज शाम को हम चर्चा रखने का प्रयास करेंगे।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक

PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाया जाना

श्री एस० ए० काबर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

मध्यावधि चुनाव से पूर्व उड़ीसा में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : आपने सदन में यह मामला उठाने की जो मुझे अनुमति दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस समय उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन है और विधान सभा के गठन के लिए वहां मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या वहां पर चुनाव चुनाव-क्षेत्रों के पुनःनिर्धारण के बाद होंगे जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार अपेक्षित है और क्या चुनाव मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के पश्चात होंगें अथवा उनके पुनरीक्षण के बिना होंगे। हमने चुनाव आयोग से इस बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि इस बात का निर्णय करना कि राष्ट्रपति शासन कब खत्म किया जायेगा, सरकार तथा संसद् का काम है। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव-क्षेत्रों के पुनःनिर्धारण के पश्चात वहां चुनाव कराये जायेंगे? मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इससे संविधानिक महत्व का एक प्रश्न उत्पन्न होता है। चुनाव आयोग यह कैसे कह सकता है कि इस बात का निर्णय करना सरकार का काम है। इस संबंध में सरकार का कोई विकल्प नहीं है। चुनाव से पूर्व चुनाव-क्षेत्रों का पुनःनिर्धारण होना आवश्यक है।

उत्तर बिहार में मिट्टी के तेल की कमी

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Bihar is a backward State which faces several problems. Food problem has taken a serious turn. In this regard the condition of North Bihar is pitiable. Kerosene is also a scarce commodity there.

The menace of mosquitoes is always on the increase during the Summer, as a result of which people suffer from several diseases. Electricity is also in short supply there, particularly in the rural areas. Regarding the supply of kerosene, I contacted the District Manager of Indian Oil Corporation. In his reply, he has stated that it is not possible for them to feed that area fully. Keeping in view the shortage of kerosene in the country, I request the hon. Minister to give a statement in this regard.

विशेषाधिकार समिति के 12 वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चौथी लोक सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बारे में

Shri Madhu Limaye (Banka) : During the last Session of the Fourth Lok Sabha, moved the following motion:

"That this House having considered the Twelfth Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 24th November, 1970, in which Shri S. C. Mukherjee, the then Deputy Iron and Steel Controller, has been held to have deliberately misrepresented facts and given false evidence before the Committee on Public Accounts and committed Contempt of this House do resolve that he be committed to jail custody for a week."

On this motion Dr. Ram Subhag Singh and other hon. Members moved an amendment which was accepted. In the last part of the motion, I demanded that Shri Mukherjee may be sent to jail for seven days. On this, Dr. Ram Subhag Singh added the following sentence:

"Summoned before the bar of the House and be reprimanded and the House do further recommend that Government in the light of gravity of the offence administer to Shri S. C. Mukherjee maximum punishment under the law and report the same to this House."

This motion was adopted one and half year back.

श्री नरेन्द्र कुमार गांधी (जालौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह मामला चौथी लोक सभा से संबंद्धित है जो कि भंग हो चुकी है। उसके भंग होने ही उस सभा के सभी मामले समाप्त हो गये। अतः इस मामले को नियम बाह्य करार दिया जाना चाहिए।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Sir, I want to draw your attention towards the rules of procedure. Rule 224(2) of chapter 20 of privilege motion is read as under :

"The question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence."

Therefore, my request is that this matter does not fall under the category of privilege motion. Similar thing has also been said in May's Parliamentary Practice. It has clearly been stated that if the matter is not of recent occurrence, it can not be raised.

अध्यक्ष महोदय : वह इन बातों से स्वतन्त्र ही इस मामले को उठा रहे हैं। यह कोई लंबित मामला नहीं है। सदन ने दण्ड के लिए कुछ निर्धारित किया था। मामले का निर्णय पहले ही हो चुका है। वह यह पूछ रहे हैं कि वह दण्ड दिया गया है अथवा नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Government admits that this motion is yet to be implemented. Shri Kumaramangalam arranged a meeting for that and consultation were held.

Shri Shyam nandan Mishra : The House should also have been informed of the action taken in the matter.

Shri Madhu Limaye : If they will interrupt like this, the time will be wasted. I want to know the reasons for not implementing the decisions taken on the motion even after 28 months.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मधु लिमये यह मामला नियम 377 के अन्तर्गत उठा रहे हैं। क्या वह ऐसे मामलों को जैसे कि सरकार द्वारा लाठी चार्ज आदि की बात इस नियम के अन्तर्गत उठा सकते हैं। वह अवसर का गलत लाभ उठा रहे हैं। आप ने इसकी उन्हें अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री गोस्वामी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न से सहमत हूं। मेरा श्री मधु लिमये से निवेदन है कि वह तथ्यों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : यह एक अधिकारी के विरुद्ध मामला है। विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I was simply giving an argument. (*Interruptions*). Do not indulge in flattery.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : He should withdraw his word 'Chaplusi'.

Shri Madhu Limaye: I have not said that. They are not allowing me to speak. It is clear from that who are the supporters of corruption and bureaucracy. Some students threw some pamphlets in the House and they were sentenced to 7 days' imprisonment. But no action has been taken against the person who has committed such a serious crime.

प्रो० मधु दंण्डवते (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई समस्या तर्क देता है तो हमें देखना है कि वह नियम के अनुसार है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 ऐसी बातों के लिए नहीं है।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : You may please allow him as much as is relevant to the subject.

Mr. Speaker: You may please invite the attention of the minister and request him to make a statement thereon.

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : Is this Parliament a office of the Congress Parliamentary Party.

Shri Madhu Limaye : You may please give me seven or eight minutes. I will finish my point.

Mr. Speaker : I cannot give so much time.

मैं ऐसा निर्धारित कर दूंगा कि व्यवस्था का कोई भी प्रश्न जो वास्तव में व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। रिकार्ड नहीं किया जायेगा। यही एक रास्ता रह गया है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : यह किस प्रकार की संसद है। जिस बात को आप नियम बाह्य ठहरायेंगे, वह रिकार्ड में नहीं जायेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee: You can listen to the point of order and if you like, you can rule that out. But that must go on record.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरा एक सुझाव है। प्रधान मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा विरोधी दलों के बीच कुछ बात तय होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग संसद् में उठाना चाहेंगे। यदि सत्तारुढ़ दल के लोग उसमें अड़चन डालेंगे तो जो मामला पांच मिनट में समाप्त हो सकता है उस पर 50 मिनट से लेकर 50 दिन तक का समय लग सकता है। अतः हम सब को आपस में इस बारे में कुछ सूझबूझ उत्पन्न करनी चाहिए।

Shri Shankar Dayal Singh : It appears that Shri Madhu Limaye has forgotton the rules, I want to read them for his help.

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

Shri Madhu Limaye : Sir, I was submitting that in 1969 a resolution was passed in the House that

"This House resolves that the persons calling themselves

(1) Shri Tara Chand C. Shah.

(2) Shri Krishna P. Patel and

(3) Shri Gulabrao R. Deshmukh who threw some leaflets from the visitors gallery on the floor of the House at 12.25 P. M. to-day."

अध्यक्ष महोदय : मैं अब मंत्री महोदय को बुलाता हूं, आप अपनी बात कह चूके हैं ?

Shri Madhu Limaye : You may please give me only five minutes.

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट के अन्दर उनका ध्यान घटी घटना की ओर दिला सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : I will start from where I had finished.

"... On the floor of the House at 12.25 P.M. today and when the Watch and Ward Officer took into custody immediately have committed a grave offence and are guilty of contempt of this House."

"This House further resolves that they be sentenced to simple imprisonment till 6.00 P.M. on Saturday, 20th December, 1969, and sent to Tihar Jail, Delhi."

Those persons were sentenced to 7 days imprisonment. I am sorry to say that the persons who were found guilty in the case of Amin Chand have not been awarded any punishment. The then Steel Minister in collusion with the capitalists was busy in removing the names of the corrupt companies from the black list at twelve in the midnight.

Shri Vasant Sathe (Akola) : Mr Speaker, Sir, are you allowing him to say all this ? He says that the hon. Minister met the dishonest persons at twelve in the midnight ? This is too much. (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : आप किसी पर आरोप मत लगाइये। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

Shri Madhu Limaye : It is in the report of the Public Accounts Committee. I am quoting from that.

Shri Vasant Sathe: Are you allowing him ? (*Interruption*)

Shri Madhu Limaye: You may please take appropriate action.

श्री वसंत साठे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। वह आरोप कैसे लगा सकते है ; क्या आप उनको ऐसा करने की अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां तक किसी सदस्य अथवा मंत्री के विरुद्ध ध्यान आकर्षित करने का प्रश्न है उसके लिए पृथक प्रक्रिया है। अलग से नोटिस देना पड़ता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You cannot expunge it from the proceedings of the House because it is a part of the report of the Public Accounts Committee.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूंगा।

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : यह मामला पिछली लोक सभा में 2 दिसम्बर, 1970 को उठाया गया था। एक संकल्प पास किया गया था, जिसमें श्री एच० सी० मुखर्जी की निन्दा की गई थी। उसके पश्चात् 9 दिसम्बर, को उन्हें सदन के बारे में लाया गया था, संकल्प में यह भी कहा गया था कि अपराध को देखते हुए सरकार कानून के अन्तर्गत श्री मुखर्जी को अधिकतम दण्ड दे। मई, 1971 में उनके विरुद्ध आरोप लगाये गये।

उन्होंने यहां तब याचिका भेजी थी जिसमें उनके मामले पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। आप ने 31 दिसम्बर, 1971 को वह याचिका रद्द कर दी थी। 1 जनवरी, 1972 को उसके विरुद्ध आरोप की सुनवाई हुई थी। उसमें श्री मुखर्जी ने अनुरोध किया था कि उनको उस साक्ष्य की एक प्रति दी जाये जो उन्होंने लोक लेखा समिति के समक्ष दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ऐसा किया जा सकता है। इस पर आपने 1 मार्च, 1972 को बताया कि इस सदन तथा समिति का कोई भी रिकार्ड उनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि मामला खत्म हो चुका है। सदन में हुई कार्यवाही पर बाहर का कोई भी व्यक्ति अपना निर्णय नहीं दे सकता। मैं इस स्थिति से सहमत हूं। परन्तु इसमें यह कठिनाई उत्पन्न हुई कि श्री मुखर्जी के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं उनके संबंध में श्री मुखर्जी के अधिकार क्या है? संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। आपके विनिर्णय को देखते हुए मैं उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने के आदेश नहीं दे सका क्योंकि इसके लिए उन्हें अपनी रक्षा के लिए वह सारी सामग्री देनी पड़ेगी जो उन्हें चाहिए इस प्रकार मैं उनके विरुद्ध कोई मामला सिद्ध नहीं कर सका। मैंने इस पर विचार किया है और मेरा अब यह विचार है कि उन्होंने सदन का अपमान किया है और इस प्रकार सरकारी कर्मचारी के नाते गलत आचरण किया है। मामले की जटिलताओं को देखते हुए हमने यह मामला महान्यायवादी को सौंप दिया था। उन्होंने परामर्श दिया है कि इस आधार पर श्री मुखर्जी के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही नहीं की जा सकती और इस मामले को पुनः सदन में ले जाया जाना चाहिए। इसके पश्चात् मैंने 20 दिसम्बर, 1972 को विरोधी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थीं। इसमें यह निर्णय किया गया था कि श्री सेझियान इस मामले को पुनः देखें और अपनी सिफारिशें दें। श्री सेझियान ने एक पत्र में लिखा है कि उनके लिए कोई सिफारिश करना संभव नहीं है क्योंकि इस मामले को सभा द्वारा निपटाया गया था। हमने 10 मई को पुनः विरोधी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है ताकि इस बारे में कोई अंतिम निर्णय लिया जा सके। अतः हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहते जिसे बाद में न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाये। अतः माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि हमने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। श्री लिमये ने शायद यह मामला अज्ञानता के कारण उठाया है।

Shri Madhu Limaye: I rise on a point of order, Sir. Nothing has been said about this matter in the House since then. How can an ordinary citizen of the nation come to know about it? How can he say I am ignorant? I raising this point of order under rule 368. I request Shri Kumarmanglam through you, Sir, that the opinion of the Attorney General may be placed on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने प्रत्येक बात की विस्तार से व्याख्या कर दी है। आप जब उनसे मिलें तो इस बात पर चर्चा कर लें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। महान्यायवादी की राय को सभा में परिचालित किया जाये तो श्री मुखर्जी के सभी दस्तावेज उपलब्ध किये जायें। दस्तावेज दिये बिना आप किसी व्यक्ति को दण्ड नहीं दे सकते। श्री एन० एन० वान्चू भी अंतग्रस्त थे परन्तु उनको राज्यपाल बना दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर और चर्चा की अनुमति नही दे रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि रिकार्ड उनको दे दिया जाये तो सभा की इच्छा से ही ऐसा किया जा सकता है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय मंत्री जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें माननीय सदस्यों का जो दृष्टिकोण था मैं उस बारे में बताना चाहता हूं। हमने इस मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा था। दूसरे हमने यह मामला लोक लेखा समिति के चेयरमैन को नहीं बल्कि उनको उनकी व्यक्तिगत क्षमता के रूप में सोंपा था। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा सुझाव दे जिससे दण्ड को कुछ कम किया जा सके। सदन द्वारा लिए गए निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस चर्चा को खत्म किया जाना चाहिए।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : इस सारे मामले पर केवल सरकार को ही नहीं बल्कि सदन को भी विचार करना चाहिए। हमें इकट्ठे बैठकर इस समस्या को हल करना चाहिए। मुझे आशा है कि जब हम 10 तारीख को मिलेंगे तो इस समस्या का कोई हल निकाल लेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I knqw whether the hon. Law Mińister is going to make any statement on the decision of the Supreme court?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया कि माननीय मंत्री इस निर्णय पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, अथवा नहीं।

अनुदानों की मांगें; 1973-74

Demands for Grants, 1973-74

रक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खतरे का अनुमान केवल इस बात से नहीं लगाया जा सकता कि पाकिस्तान के पास कितने टैंक हैं तथा हिमालय पर कितनी सेनाएं हैं। हमें विश्व में सेनाओं का सामरिक महत्व सें ठहराया जाना, ईरान में हथियारों का जमाव, समुद्र में बड़ी शक्तियों की होड़ को भी ध्यान में रखना है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये तो हमें मि० माओ के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिये।

कल श्री सारादीश राय ने कहा था कि देश को कोई खतरा नहीं है और कि हम रक्षा पर बहुत अधिक व्यय कर रहे हैं। यदि रूस के साथ हमारी संधि नहीं हुई होती, तो हम 1971 के युद्ध में उत्तरी सीमा से अपनी सेना नहीं हटा सकते थे। यदि रेलवे ने लाइनें नहीं बिछाई होतीं, तो बाड़मेर में हम इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते थे।

सेना, वायुसेना तथा नौसेना में तकनीकी अधिकारियों की कमी है। इससे हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, परन्तु यह काम रक्षा मंत्रालय की शक्ति से बाहर है कि वह तकनीकी व्यक्ति लाए।

भारतीय नौसैनिक जहाज नीलगिरी को समुद्र में उतार दिया गया है। परन्तु कुछ पुर्जों के न मिलने के कारण दूसरे युद्धपोत हिमगिरि को समुद्र में नहीं उतारा जा सका। इसका कारण यह है कि स्वदेशी निर्माताओं ने सामान सप्लाई नहीं किया है। यह मामला औद्योगिक विकास मंत्रालय से सम्बन्धित रखता है।

हमें केवल उसी देश से हथियार खरीदने चाहियें जो हमारा मित्र हो। इस प्रकार हम बाद में फालतू पुर्जे भी प्राप्त करते रहेंगे। ऐसा लगता है कि 1965 में अमरीका ने हथियारों पर जो रोक लगा दी थी उससे हमने कोई सबक नहीं सीखा है।

यह भी बताया गया है कि विक्रान्त के लिये सीधी उड़ान भरने वाले विमान खरीदने का विचार रखते हैं। मैं नहीं जानता कि विमान किस देश से खरीदे जाएंगे। ऐसा करते समय हमें यह देखना है कि संकट के समय कौन सा देश हमारा साथ देगा।

मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे का अनुमान लगाने के लिये रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा आर्थिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाए जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करें।

हमें विकास योजना तथा रक्षा योजना के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध उत्पन्न करना चाहिये ताकि रक्षा की आवश्यकताओं को पांच वर्षों के योजनाबद्ध विकास से पूरा किया जा सके।

यदि हम सभी बातों को ध्यान में रख कर देखें तो हमें पता लगेगा कि हमें पाकिस्तान से नहीं बल्कि विश्व शक्तियों से खतरा है। ईरान को 800 चीफटेन टैंक तथा स्कारपियन लाईट टैंक तथा अन्य गाड़ियां मिल रही हैं। इसके साथ-साथ फानटम विमान भी ईरान को दिये जा रहे हैं। इसमें से कुछ सामान पाकिस्तान को भी मिल सकता है। अतः हमें उत्तर तथा पश्चिम दोनों ओर से खतरा है। इसके लिये हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिये ताकि उत्तर से हम खतरे का सामना कर सकें तथा पश्चिम सीमा पर हम निर्णायक विजय प्राप्त कर सकें।

छोटे हथियार, टैंक तथा मिग-21 एम, फील्डगन बनाने के लिये मैं रक्षा उत्पादन विभाग को बधाई देता हूं। मिसायलों के विकास का जो निर्णय लिया गया है, उसके लिये भी मैं इस विभाग को बधाई देता हूं। हथियार चाहे जो भी हो हमारे जवानों की शक्ति असली बात है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : रक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में कोई नई विचारधारा प्रकट नहीं की गई है। अपने संयंत्रों तथा परियोजनाओं को नया रूप देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मेरा विचार है कि हम ऐसी अवस्था में आ गए हैं जहां हमें अपने दृष्टिकोण पर पुनः विचार करना चाहिये। उसको और अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी सुरक्षा को अभी भी खतरा है। हमारे लिये अब यह आवश्यक नहीं है कि हम सेनाओं को उसी प्रकार तैनात करें जैसा 1971 से पूर्व करते थे। पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है परन्तु इसमें बहुत अन्तर आ गया है। हमारे लिये अब पश्चिमी सीमा तथा कश्मीर की सीमा से ही खतरा है। मेरे विचार में कोई भी हिमालय की ओर से किसी बड़े आक्रमण की आशा नहीं करता। परन्तु चीन की नीति छुट-पुट संघर्ष तथा

पाकिस्तान को सहायता देने की हो सकती है जैसा कि वह अब कर रहा है। दस वर्ष का समय व्यतीत हो गया है और कोई भी चीन द्वारा अब बड़े आक्रमण की आशा नहीं कर सकता। परन्तु यदि वह आक्रमण करते हैं तो अब 1962 से कुछ अलग कहानी होगी। ऐसे समाचार मिले हैं कि अमरीका पाकिस्तान को फालतू पुर्जे सप्लाई कर पाकिस्तान के 8 स्क्वैड्रन सक्रिय कर रहा है। ईरान द्वारा सैनिक शक्ति बढ़ाए जाने की बात आंकी गई है। सेना के व्यय में 46 करोड़ रुपये की कमी कर दी गई है, परन्तु उतनी ही वृद्धि वायुसेना तथा नौसेना के व्यय में कर दी गई है। मेरे विचार से ऐसा ठीक ही किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा अचानक हुआ है अथवा किसी योजना के अनुसार ऐसा किया गया है। प्रतिवेदन से इस बारे में कुछ पता नहीं लगता।

कुल बिल 1700 करोड़ रुपये का ही है। अनुसंधान तथा विकास विभाग के लिये 7.28 करोड़ रुपये अधिक रखे गए। मैं कई वर्षों से ऐसा करने के लिये कह रहा था।

यदि पूरी स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो हमें पता लगेगा कि पहले की अपेक्षा आज वह हमारे अधिक अनुकूल है। यदि पाकिस्तान की फौजी ताकत बढ़ी है तो हमारी भी बढ़ी है। पूर्व में बंगला देश का जन्म हुआ है जो हमारा मित्र है। रूस के साथ हमारी मैत्री संधि हुई है। वियतनाम और दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीका की अप्रत्यक्ष पराजय हुई है। आज स्थिति बदली हुई है। अब वह समय आ गया है जबकि रक्षा प्रयासों का इस दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए कि वे हमारी राष्ट्रीय नीतियों और उद्देश्यों से सम्बद्ध हो जाए। अपनी विकास योजनाओं के परिणामों की रक्षा करने के लिये हमारे पास सुदृढ़ सैनिक शक्ति होनी चाहिये जो किसी भी आक्रामक को मुंहतोड़ जवाब दे सके। रक्षा मंत्रालय और रक्षा योजना का व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिये और उसमें जो दोष हों उन्हें सुधारा जाना चाहिये।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय में एक 'योजना कक्ष' या एक संगठन होना चाहिये जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय से सम्बद्ध हो, क्योंकि यह सेना के तीनों अंगों के संतुलित विकास में सहायक होगा। जहां तक शस्त्रास्त्रों का सम्बन्ध है, हमें अपने देश में निर्मित शस्त्रों और उपकरणों पर ही निर्भर रहना चाहिये। विदेशों से इनका आयात तभी किया जाए जबकि वह अपरिहार्य हों। हमारी सेना आधुनिक हो, किन्तु पश्चिमी देशों में बने हर नये साज-सामान को आधुनिकीकरण के नाम पर आयात करने का मैं विरोध करता हूं।

सेना में अधिकारियों और अन्य पदों के सैनिकों के सम्बन्ध लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित होने चाहियें। सैनिकों के पदोन्नति के अवसरों और आयुध कारखानों के प्रशासन में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने के प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिये। आयुध कारखानों के श्रमिकों को बोनस न दिया जाना भी उनके साथ घोर अन्याय करना है। रक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह कहा जाता है कि पहले की अपेक्षा आयुध कारखानों में इस वर्ष अधिक मूल्य के शस्त्रास्त्र तैयार हुए हैं। एक साधारण व्यक्ति की समझ में यह बात नहीं आती कि इसमें क्या प्रगति हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि अवाडी टैंक कारखाने में कितने टैंक रेजीमेंट प्रतिवर्ष बनते हैं। आयातित टैंकों और बखतरबंद गाड़ियों के छोटे-छोटे पुर्जों का अपने देश में निर्माण करने की दिशा में क्या किया जा रहा है। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि अपने देश में निर्मित 106 एम एम रिकायललैस एन्टी-टैंक गनों के स्थान पर विदेशों से एन्टी-टैंक प्रक्षेपास्त्र आयात किये जाएं। 'मारुत' और 'एच एफ 24' विमानों के 'सुपरसोनिक' विमान बनाने के लिये प्रयास किया जा रहा है। इनके सुपरसोनिक विमान बन जाने पर हमारे पास एच एफ-24, मिग 21-एम और नाट तीन विमान सुपरसोनिक होंगे। फिर अन्य सुपरसोनिक विमानों के आयात की क्या आवश्यकता है।

रक्षा उत्पादन एवं अनुसंधान और विकास संगठनों में निर्णय लेने की सत्ता असैनिक अधिकारियों के हाथ में है जिन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं होता। यह स्थिति बदली जानी चाहिये। साथ ही मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि स्वचालित राइफलों और तोपों के दागने में प्रशिक्षण प्राप्त 10 लाख या 20 लाख व्यक्ति रिज़र्व में होने चाहियें। इससे बेरोज़गारी की समस्या भी कुछ हद तक सुलझ जाएगी।

जनरल मानेकशा को 'फील्ड मार्शल' की उपाधि से विभूषित किया गया, क्योंकि उसने वर्ष 1971 के युद्ध में सराहनीय कार्य किया था। किन्तु उनके सम्बन्ध में मुझे यह शिकायत है कि हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे सार्वजनिक वक्तव्य और पत्रकारों को साक्षात्कार दिये हैं, जिनकी उनकी हैसियत के अधिकारी से अपेक्षा नहीं की जाती। उन्हें ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहियें जो भारत-विरोधी हों। यदि सरकार ने उन्हें एक सम्मान दिया है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह गैर-ज़िम्मेदाराना ढंग से सार्वजनिक वक्तव्य दें। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि उच्च सैनिक अधिकारियों की विचारधारा और व्यवहार को लोकतंत्रीय बनाने के लिये बहुत ही कम प्रयास इस अवधि में किया गया है।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, firstly I want to congratulate Babu Jagjiwan Ram and Shri Shukla. I support the demands of the Ministry of Defence, but I would like to say that the amount meant for defence purposes is not adequate. It is only 3.5 percent of the gross national income. I want that there should be a provision of at least 17-18 crores of rupees in the defence budget, as the defence budgets of our enemy countries *i.e.* Pakistan and China are increasing year by year.

Hon. Member Shri Indrajit Gupta made a complaint that the Defence Minister had not given sufficient information about the defence preparations in the Annual Report of his Ministry. But in my opinion he has given so much in his Ministry's Report as he should not have disclosed. He gave the figures in details. He told that there were 18 ordnance factories and 10 public sector projects, in which we are producing defence material. Besides, there are some monopoly houses, which are producing defence material. After getting this detailed information about our defence, I think, our enemies will not indulge in spying about our defence programmes.

As regards the Pay Commission's recommendations, I want to say that the pay scales being given to military personnel are very much on the lower side as compared to civilian employees. Military personnel have to work under tough discipline on high altitudes and in deserts and in chilling cold and scorching heat. So they should have been given more pay scales. The difference between the civilian and military employees is that former go on strike at the time of need and create crisis while the latter work sincerely and faithfully at the time of crisis. Shri Shukla told that the production in ordnance factories at Jabalpur, Bangalore and Hyderabad was increased by 150 to 200 per cent on short notice. There is the efficiency and willingness to work more and more. This kind of discipline and efficiency is required in civilian industries too.

As regards the availability of modern equipments to our military, I suggest that more amount should be allocated for research in defence equipments. Without sophisticated equipments and armaments, no country can win a war. I want that atom bomb should be made in India and in my opinion our country is capable of producing it.

श्री सी० टी० दंडपाणि (धारापुरम) : श्रीमान्, सबसे पहले मैं सेना के तीनों अंगों को बधाई देता हूं जिनके रण-कौशल से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और उसे जीत मिली है। मैं बाबू जगजीवन राम की भी सराहना करता हूं जिनके नेतृत्व में यह सब हुआ। युद्ध में हमारे विमान-चालकों ने भी कमाल दिखाया, किन्तु उड़ान-भत्ते (फ्लाइंग बाउन्टी) के रूप में उन्हें बहुत थोड़ी राशि दी जाती है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिये। सेना के गैर-सैनिक कर्मचारियों और चपरासियों आदि को वेतन आयोग ने बहुत कम लाभ की सिफारिश की है। उन्होंने हड़ताल करने का निर्णय किया है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह

बताया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सैनिक सेना से सेवा-निवृत्त होते हैं। उनके पुनर्वास और कल्याण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। जब युद्ध होता है तो सैनिकों के कल्याण की अनेक योजनाओं पर विचार किया जाता है और युद्ध के समाप्त हो जाने पर वे सब भुला दी जाती हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिये असैनिक प्रतिष्ठानों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। उनके लिये आरक्षण की व्यवस्था का ठीक ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार रण-विधवाओं को सरकार ने जो आश्वासन दिये थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। रण-विधवाओं को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार कुछ ऐसी एजेन्सियां नियुक्त कर सकती है जो रण-विधवाओं के कल्याण कार्यों के लिये धन एकत्र करें। ये एजेन्सियां गैर-सरकारी भी हो सकती हैं। सबसे पहले तमिल नाडु राज्य ने कल्याण-निधि में 6 करोड़ रुपये की राशि दी थी। भूतपूर्व सैनिकों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिये। रक्षा मंत्रालय को सामाजिक सुरक्षा की ऐसी योजनाएं बनानी चाहियें जिनसे कम-से-कम 10,000 कर्मचारियों को प्रति वर्ष लाभ प्राप्त हो। जहां तक सैनिक स्कूलों का सम्बन्ध है, रक्षा मंत्रालय को इन स्कूलों के कुल खर्च का 75 प्रतिशत वहन करना चाहिये।

हमारा देश निर्धन है। यहां बेरोज़गारी की समस्या है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि रक्षा-तैयारी करते समय हमें अपने औद्योगिक विकास की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। रक्षा-तैयारियों और औद्योगिक विकास में हमें इस प्रकार से समन्वय लाना है कि वे दोनों साथ-साथ चलते रहें। औद्योगिक विकास और अर्थ-व्यवस्था के सुदृढ़ होने पर हमारा सैनिक कार्यक्रम भी तीव्र गति से आगे बढ़ता है।

प्रतिरक्षा और विकास कार्य एक-दूसरे के पूरक हैं क्योंकि शस्त्रास्त्र कार्यक्रम के अंतर्गत बेकार तथा कम उपयोग की गई क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कार्यक्रम प्रबन्धकीय तथा श्रम संबंधी कार्यकुशलता को बढ़ाता है और पूंजी के निर्माण में तेज़ी आती है। बेरोज़गारी की समस्या भी काफी सीमा तक इससे हल होती है।

वर्ष 1973-74 के बजट में वायु सेना के लिये 215.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जिससे विमान तथा अन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। हम क्यों नहीं इन्हें अपने यहां बनाने की व्यवस्था करते हैं।

श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए

Shri S. A. Kadar in the Chair

हम अभी भी शस्त्रास्त्रों के लिये विदेशों पर निर्भर हैं।

अनुसंधान तथा विकास विभाग के लिये आवंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है। चीन के आक्रमण के पश्चात् भी इस विभाग के लिये बहुत कम धनराशि नियत की गई है। प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग 10 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहा है। सरकार को उसके कार्य की जांच करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करनी चाहिये और वह यह बताए कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के अनुसंधान तथा विकास विभाग के कार्यों का प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के साथ किस प्रकार समन्वय किया जा सकता है।

लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत सहायक उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये। इससे युवा तकनीकी स्नातकों तथा इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा। इनमें यह विश्वास है कि वे प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिये कई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। अभी कई सहायक उद्योग एकाधिकार गृहों के हाथ में हैं। इन्हें पूरी तरह से लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत ले आना चाहिये।

हमारे व्यापार का एक बड़ा प्रतिशत जहाज़ों द्वारा हिंद महासागर के समुद्री मार्गों से ले जाया जाता है। समुद्र की ओर से आक्रमण का खतरा किसी भी समय पैदा हो सकता है। यदि हम अपनी नौसैनिक शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तो विदेशी शक्तियां हमें दबाने का प्रयत्न करेंगी।

समुद्री तथा देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाया जाना चाहिये। हमें उन विकासशील देशों की मदद करनी चाहिये जो हमारी ओर देख रहे हैं। सरकार को टूटीकोरिन में पत्तन बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये।

ऐसी धारणा है कि आयोजन के पूर्व के वर्षों में प्रतिरक्षा कार्यों की उपेक्षा की गई थी। बिना औद्योगिकीकरण के हम प्रतिरक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ही रहेंगे। प्रतिरक्षा की गलत दूरगामी नीति अपनाने के परिणामस्वरूप हमें 25 वर्षों में 5 युद्धों को देखना पड़ा है। प्रत्येक आक्रमण के पश्चात् प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि होने से पूरी योजना का ढांचा बिगड़ गया है।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान तमिल नाडु में हिंदी ज़बर्दस्ती लागू किये जाने की ओर दिलाना चाहूंगा। प्रतिरक्षा मंत्रालय अपनी विभागीय परीक्षाओं में हिंदी को माध्यम बनाने की छूट दे रहा है। सभी यूनिटों में हिंदी कक्षाएं चलाई जा रही हैं तथा सेना में अफसरों को हिंदी की प्रारंभिक परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। तमिल नाडु के निवासियों को हिंदी सीखने में कठिनाई होती है क्योंकि उनकी भाषा एक स्वतंत्र भाषा है जबकि अन्य भाषाएं संस्कृत से मिलती-जुलती हैं। तमिल नाडु से आने वाले सैनिकों के लिये हिंदी सीखना कठिन है। यदि आप जानबूझ कर हिंदी को हम पर थोपेंगे तो इससे देश में विघटन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

Shri Shankar Dev (Bidar) : In the course of discussion, one thing is being forgotton that this country is a part of the world. If there is no peace in the world, then India cannot have peace.

If we work out the expenditure being incurred on Defence, it will come to Rs. 375 crores being spent per day on Defence. The poor have to bear the burden of such huge expenditure. This burden of expenditure comes to about Rs. 400 per head. This is a cruel Joke.

The expenditure on Defence has doubled to Rs. 1600 crores from Rs. 800 crores. If this trend continues, then it will assume huge proportion. Actually our this thinking is wrong that we can win peace through armaments. America has every modern facilities but its people have always fear in mind regarding any outside attack.

We are followers of Indian culture. Indian culture gives message of truth, non-violence, love, cooperation and goodwill. The Hon. Defence Minister is a great devotee of Indian culture. We expect from him that he would evolve such method which will help in curtailing the defence expenditure.

The peace cannot be established unless all the countries of the world are united. By increasing the defence expenditure we cannot bring peace. It rests on the unity of the world.

My suggestion is that a separate Ministry may be set up for the unity of the worlds. It may be named Ministry for International understanding or something else. India is a part of the world. It should take initiative in this matter. If it is not practicable then an International Integration Council may be formed on the lines of National Integration Council. This mission can foster love, fraternity in the world. If such thing takes place then our defence expenditure will decrease. Otherwise there will be no difference between we and barbarous people. I hope the hon. Minister will keep international point of view in mind. You give first importance to world then come to India. With these words, I thank the hon. Speaker.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : माननीय सदस्यों ने बंगला देश को स्वाधीन कराने में भारतीय सेना की हार्दिक प्रशंसा की है परन्तु इसका सारा श्रेय फील्ड मार्शल मानेक्शा ने यह कह कर ले लिया है कि यदि वे पाकिस्तान चले गये होते तो भारत को विजय प्राप्त न हो सकती थी, किसी भी देश का आत्मसम्मानी फील्ड मार्शल इस प्रकार की बातें नहीं करता है चाहे यह मजाक में ही क्यों न कही गई हों, मंत्री महोदय को उनके इस कथन पर अपनी नाराजी प्रकट करनी चाहिये।

कुछ समय से हमारी प्रतिरक्षा संगठन की कार्य प्रणाली इतनी शिथिल हो गई है कि युद्ध संचालन की योजनायें पहले ही बाहर उद्घाटित हो जाती हैं, मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान भूतपूर्व प्रतिरक्षा सचिव श्री राव के उस कथन की ओर दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने एक विचार गोष्ठी में कहे थे। उनके कथन से पता चलता है कि किस प्रकार अति गोपनीय बातें बाहर उद्घाटित हो जाती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में क्या कहना है।

गोपनीयता के नाम पर प्रतिवेदन में तथ्यों का विवरण बहुत कम दिया हुआ है। इससे हम प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान अथवा प्रतिरक्षा योजना के बारे में यथार्थवादी मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। अभी प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री श्री शुक्ल ने बताया था कि भारत में एक नये प्रकार के टैंक का निर्माण हो रहा है परन्तु इस प्रतिवेदन में उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार अन्य बातों का इसमें उल्लेख नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा प्रतिवेदनों में पूर्ण सूचनायें दी जानी चाहियें। पत्र-पत्रिकायें इस बारे में काफी प्रकाश डालती हैं पर प्रतिवेदनों में ऐसा नहीं होता है।

हम प्रतिरक्षा पर बहुत कम व्यय करते हैं। प्रतिवेदन में बताया गया है कि वर्ष 1970 में प्रतिरक्षा पर व्यय 3.4% था और वर्ष 1972-73 में भी यह लगभग इतना ही था। अन्य एशियाई देशों के प्रतिरक्षा व्यय के साथ तुलना करने पर हम पायेंगे कि भारत का प्रतिरक्षा व्यय बहुत ही कम है।

हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि हम सीमित साधनों के द्वारा प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ायें। प्रतिवेदन के पृष्ठ 11 में कहा गया है कि नये कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिये बहुत कम धन आबंटित किया गया है जबकि अन्य कार्य जैसे वेतन, भत्ते, आवास आदि के लिये अधिक धनराशि रखी गई है। बंगलादेश के बाद की घटनायें, पाकिस्तान के बढ़ते हुये आक्रामक रवैये को देखकर हमें इस स्थिति पर पुनः विचार करना चाहिये।

हमारे पड़ौसी देशों के नौसैनिक शक्ति में चहुंमुखी वृद्धि को देखते हुये बहुद्देश्यीय तथा शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति का बनाना अपरिहार्य तथा आवश्यक हो गया है। हमारे नौसेना के जहाज जैसे विक्रान्त, दिल्ली, मैसूर आदि पुराने पड़ चुके हैं तथा उनके स्थान पर नये जहाज लाये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार विध्वसंक जहाज, विमान भेदी जहाज आदि को भी बदले जाने की आवश्यकता है।

29 LSS/73—12

इसी प्रकार वायु सेवा का आधुनिकीकरण करना भी आवश्यक हो गया है। परम्परागत शस्त्रास्त्र पुराने पड़ते जा रहे हैं और संभव है कि समय पड़ने पर दुश्मन की तुलना में हमारे पास कतिपय आधुनिक शस्त्रास्त्र न हों,

अन्त में प्रतिरक्षा मंत्रालयों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हम निष्क्रिय होकर न बैठ जायें अपितु भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करें ताकि यह युद्ध में और शान्ति में समान रूप से अपना कार्य करे।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : During the discussion on Defence Budget, members have shown constructive approach in their speech. The question of Defence is very complicated. Danger from Pakistan is still exist. The same case is with China which is posing a threat. The Defence Ministry should keep the political situation of Asia in mind while formulating defence policy. Certain powers are bent upon to frustrate attemps to maintain peace in Indian sub-continent. Pakistan has been provided with large quantity of arms. Similarly Iran is getting arms from America. All these acts are aimed to weaken us. We are not opposed to world peace and unity but we cannot close our eyes to realities. So while formulating defence budget, we should be liberal to allocate more funds at this end.

Out of the total budget earmarked for our Defence, 60 per cent is for Army, 20 percent is for Air-force and only 5 per cent is for Navy. As our land border is vast so maintenance of Army is inevitable. Similarly our Sea boundry is also considerable vast and as such it needs a strong Navy. But allocation for Navy is only 5 per cent. Danger from the side of Sea is always there so we should make efforts to strengthen our Navy.

In the same way Air Force needs to be strengthened. Percentage of allocation on Navy and Air Force should be increased. It is a matter of a great satisfaction that India has made much progress and now it has confidence to meet any threats from outside. But there are certain people in our country who present a wrong picture. They should not make such utterances as to weaken our confidence.

During the last war, the three wings of our Armed Forces had set an example of unprecedented Co-ordination. We should maintain the spirit of such Co-ordination so that our defence policy may be strengthened. Our Prime Minister has stressed to achieve self-sufficiency in the matter of manufacturing defence items. This will boost the morale of our people.

It is imperative that while giving importance to defence efforts, we should not neglect the industrial and technological development. Other Ministries should Co-ordinate with Defence Ministry. Co-ordination is very important and we should not neglect it. We should keep on preparation for Civil Defence in peace time also as is done during war period.

The Field Marshall Manekshah episode shows that military officers are not in touch with the sentiments of the people. It is hightime that democratic spirit should be injected in the Army so that they may understand the sentiments of the people. Officers working in defence industries should have cordial relations with workers.

With these words I support the demands for Defence Ministry.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों ने तथा हमारी सशस्त्र सेनाओं ने 1971 में देश की सुरक्षा के लिये जो कार्य किया है उनके लिये देश का प्रत्येक व्यक्ति उनका ऋणी है। अतः रक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुये उस दृष्टिकोण से बात नहीं की जा सकती जैसे अन्य मंत्रालयों के बारे में बातें की जाती हैं।

जहां तक सामरिक तकनीक का प्रश्न है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते अतः इन मामलों को विशेषज्ञों पर ही छोड़ देना चाहिये। जहां तक इसके राजनीतीक पहलू का सम्बन्ध है, पहला प्रश्न तो यह उठता है कि क्या व्यापक रक्षा प्रयत्नों की आवश्यकता है अथवा नहीं । इस विषय में मैं सी० पी० एम० और सी० पी० आई० के सदस्यों के इस मत से सहमत नहीं हूं कि अब आक्रमण का कोई खतरा नहीं है अतः व्यापक रक्षा उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भारत-रूस संधि का उल्लेख करते हुये कहा कि अब हमें सैनिक तैयारी पर व्यय नहीं करना चाहिये। मैं उनके इस दृष्टि-कोण मे बिल्कुल सहमत नहीं हूं।

चीन के साथ मित्रता के समय, जब चीनी-हिन्दी भाई-भाई का नारा लगाया जाता था तो कोई यह आशंका नहीं करता था कि चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें सदा सतर्क रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त, चीन और पाकिस्तान अपने सैनिक बल में वृद्धि कर रहे हैं। हिन्द-महासागर के संदर्भ में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी हमें निश्चित रहने की आज्ञा नहीं देती। अतः हमें इस सिद्धान्त का खण्डन करना है कि यदि कोई समाजवादी देश हम पर आक्रमण भी करता है तो उसे आक्रमण नहीं मानना चाहिये। यह सिद्धान्त राष्ट्र के लिए अत्यंत हानिकारक है ।

रक्षा उपायों के लिये 1,700 करोड़ रुपयों की मांग का समर्थन किया जाना चाहिये तथा रक्षा मंत्रालय के कार्यों की सराहना भी की जानी चाहिये।

मंत्रालय की रिपोर्ट का अध्ययन करने से ज्ञात होगा कि मंत्रालय ने विदेश नीति, रक्षा तैयारी तथा आन्तरिक औद्योगिक विकास के पहलुओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। मंत्रालय ने पहली बार योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत वर्तमान तथा भावी कार्यक्रम निर्धारित करने का प्रयत्न किया है।

आयुक्त कारखानों तथा अन्य सेवाओं में आत्म-निर्भरता लाने का प्रयास किया गया है जो अत्यन्त सराहनीय है। रिपोर्ट के अनुसार, 1971-72 और 1972-73 में 1,15,000 श्रमिकों की सेवाओं से आयुध कारखानों ने लगभग 177 करोड़ रुपयों के मूल्य के सामान का उत्पादन किया। यह उपलब्धि आश्चर्यजनक है। कुछ कारखानों ने अपनी अधिष्ठापित क्षमता से भी अधिक उत्पादन किया है। इसके लिये श्रमिक तथा प्रशासन दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं।

अनुसन्धान के क्षेत्र में भी आत्म-निर्भरता पर अधिक बल दिया जा रहा है। प्रत्येक कारखाने में आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अनुसन्धान कार्य अधिक से अधिक हो सके। इस कार्य में और भी प्रगति की जानी चाहिये। तीनों सेनाओं में समन्वय के महत्व को भी नहीं भुलाया जा सकता। अत्यन्त संतोष की बात है कि नौसेना तथा वायु सेना को भी सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं। फील्ड मार्शल मानेक्शा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। प्रश्न यह है कि क्या सेवा निवृत्त होने के पश्चात् सैनिक अधिकारियों को यह अनुमति दी जा सकती है कि उनके सेवाकाल में गठित गोपनीय बातों का वे उद्घाटन कर सकें। फील्ड मार्शल मानेक्शा ने विदेशी जर्नल में जो वक्तव्य दिया है वह आपत्तिजनक है तथा उनको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिये था, क्योंकि उससे देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सैनिक अधिकारी को आत्मसंयमी होना चाहिये क्योंकि सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी उसे उसके पदनाम से ही पुकारा जाता है।

प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 सैनिक सेवा मुक्त किये जाते हैं तथा उनके स्थान पर उतने ही कवित्त भर्ती किये जाते हैं। सेवा मुक्त सैनिकों की पुन: रोजगार देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है जिससे असैनिक बेरोजगारों को रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। इस विषय में मेरा सुझाव है कि सैनिकों की सेवाओं का अधिक से अधिक समय तक उपयोग किया जाना चाहिये तथा बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये कोई अन्य उपाय खोजना चाहिये।

सैनिक सेवा को जन प्रिय बनाने के लिये काफी प्रयत्न किये गये हैं। जनता में रक्षा भावना उत्पन्न करने के लिये देश भर में अधिक से अधिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिये तथा उनमें रक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का प्रदर्शन किया जाना चाहिये। देश भर में एशिया 72 जैसी प्रदर्शनियां आयोजित की जानी चाहिये।

टैरीटोरियल आर्मी की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये जिससे देश में करोड़ों व्यक्तियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जा सके। सभी कारखानों और गावों में व्यक्तियों को प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये जिससे आपत् कालीन स्थिति में जनता अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय तथा अपनी सेनाओं को बधाई देता हूं तथा उनके कार्य की सराहना करता हूं।

श्री प्रवीण सिंह सोलंकी (आनन्द): इस वर्ष रक्षा मंत्रालय ने 1,700 करोड़ रुपयों की मांग की है जबकि पहले केवल 200 करोड़ रुपयों की मांग की जाती थी। संसद् ने रक्षा को सदा उतनी ही धनराशि स्वीकार की है जितनी धनराशि की मांग की जाती रही है क्योंकि रक्षा उपायों की आवश्यकता से सभी परिचित हैं। किन्तु मेरा विचार है कि इस राशि में से 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है यदि रक्षा विभाग को सुव्यवस्थित कर दिया जाये।

मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिये हमें पूर्णतया सशक्त सेना रखनी चाहिये। अभी हम सैनिक तथा आर्थिक दृष्टि से सशक्त नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे देश की गणना पांच शक्तिशाली देशों में होने लगे। जहां तक भारत-रूस संधि का प्रश्न है यह संधि एक अनिवार्य कदम था क्योंकि पश्चिमी देश हमारी उपेक्षा करते जा रहे हैं। वह स्थिति भी आयेगी जब हमें रक्षा की दृष्टि से आत्म-निर्भर होना पड़ेगा क्योंकि विश्व राजनीति परिवर्तनशील है तथा उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।

मैं रक्षा मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय में वर्तमान समन्वय से सन्तुष्ट हैं अथवा वह उसमें कोई प्रगति करना चाहते हैं। एक समारोह में रक्षा उत्पादन मंत्री ने बताया था कि हम एम० बी० टी० टैंकों का उत्पादन आरम्भ करने जा रहे हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि अन्य किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा।

रक्षा सामग्री के उत्पादन के बारे में गोपनीयता बरते जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अन्य देश इस सम्बन्ध में हमसे अधिक जानकारी रखते हैं। ऐसी स्थिति में उस जानकारी से हमें ही क्यों वंचित रखा जाए? रक्षा उत्पादन क्षमता का उद्घाटन करने से संसद् रक्षा मंत्रालय के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि भी मंजूर कर सकती है।

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हम इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 1,055 करोड़ रुपयों के व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया जाना है। इस लक्ष्य की अवश्य प्राप्ति की जानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान किसी न किसी सूत्र से आवश्यक हथियार प्राप्त कर लेता है।

मैं संसद का ध्यान एक गंभीर बात की ओर दिलाना चाहता हूं। हाल में एयर चीफ के पद पर श्री ओ० पी० मेहरा को नियुक्त किया गया है जबकि एयर मार्शल शिवदेव सिंह तथा एयर मार्शल इंजीनियर उनसे वरिष्ठ हैं। एयर मार्शल इंजीनियर गत युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी एयर कमांडों के इंचार्ज थे तथा उन्होंने उस दौरान सराहनीय सेवा की। इस नियुक्ति से सेना में भारी असंतोष है। मैं मांग करता हूं कि इस विषय में शीघ्र स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

गुड़गांव स्थिति फर्म के बारे में कुछ सप्ताह पूर्व मामला उठाया गया था। उक्त फर्म वायुसेना के एक संस्थान के निकट है। उस चर्चा क दौरान माननीय रक्षा मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह उस विषय में अब कोई वक्तव्य दें।

मेरा यह भी सुझाव है कि सेना में जवानों और अधिकारियों की स्थिति में जो अन्तर है उसको दूर किया जाना चाहिए तथा जवानों के जीवन स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। सैनिक अधिकारी 52 या 58 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं जबकि जवान 30–35 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त कर दिये जाते हैं तथा वे रोजगार के लिए दर-दर भटकते हैं। उन्हें पेंशन भी केवल 40–45 रुपये मिलती है। अतः मेरा सुझाव है कि जवानों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिएं तथा उनकी इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।

गुजरात से नित्य मुझे जवानों की ओर से 4–5 पत्र आते हैं जिनमें लिखा होता है कि उनको भूमि का आवंटन नहीं किया जा रहा। भूमि के लिए सैकड़ों आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े है तथा कलक्टर उन्हें दबाए पड़े हैं। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। गैस की एजेंसियां और पैट्रोल पम्प आदि की एजेंसियां भी सेवा निवृत्त मेजरों या बड़े अधिकारियों को मिलती हैं गरीब जवानों या घायल जवानों को कोई नहीं पूछता।

तकनीकी प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा रक्षा विभाग में बड़े-बड़े पदों पर आई० सी० एस० और आई० ए० एस० के अधिकारियों को नियुत्त किया गया है। क्या इन पदों के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्ति नहीं मिलते इस स्थिति में भी सुधार किया जाना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, चीनी आक्रमण के बाद यह अनुभव किया गया है कि रक्षा उत्पादन के समेकित उपायों के साथ-साथ एक दीर्घावधि योजना बनाना भी आवश्यक है।

शिमला समझौता के बाद हमने सोचा था कि अब सीमाओं पर अपेक्षाकृत अधिक शांति रह सकेगी। किन्तु पाकिस्तान के रवैये तथा वहां पर कुछ नई इन्फैंट्री डिवीजनें खड़ी होने तथा पाकिस्तान द्वारा सेना को अधिक घातक हथियारों से सुसज्जित करने की घटनाओं ने हमें विवश कर दिया है कि सैन्य संगठन पर फिर से विचार किया जाये।

श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुई

Shrimati Sheila Kaul in the Chair

प्रस्तुत रिपोर्ट में रक्षा उत्पादन का उल्लेख किया गया है। मुझे यह बताने में हर्ष होता है कि रक्षा उत्पादन कारखानों में कोई अतिरिक्त पूंजी अथवा जनशक्ति लगाए बिना उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। इसका श्रेय हमारे कर्मचारियों तथा अधिकारियों को जाता है।

आयुध कारखानों तथा सरकारी रक्षा उत्पादन कारखानों के विषय में कुछ लोग यह सोचते हैं कि उनमें लगी पूंजी का उपयोग केवल रक्षा कार्यों के लिए तथा सैनिकों के लिए ही होता है। यह सच है कि इन कारखानों का मुख्य उद्देश्य रक्षा उपकरण बनाना है जिससे हमारी सेना अन्य शक्तिशाली देशों पर निर्भर न रहें। किन्तु यह भी सच है कि उन कारखानों में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाता है जो सामान्य नागरिकों के काम भी आती हैं। इन कारखानों की यह विशेषता है कि जैसे ही तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तथा देश के समक्ष कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उन कारखानों की क्षमता का उपयोग रक्षा उपकरण बनाने के लिए किया जाता है तथा सामान्य नागरिकों के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन बन्द कर दिया जाता है। इसका यह लाभ भी है कि ये कारखाने देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं तथा अवसर आने पर रक्षा उपकरणों का उत्पादन करके सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

एशिया '72 के डिफेंस पैवीलियन में माननीय सदस्यों ने "सीक्योरिटी फार प्रोस्पेरिटी" (समृद्धि के लिए सुरक्षा) का नारा देखा होगा। हम इस नारे को क्रियान्वित करना चाहते हैं। अतः हम चाहते कि हमारी सेना को आवश्यक नवीनतम हथियार भी मिलते रहें तथा हम देश के आर्थिक विकास में भी कुछ योगदान दें।

रक्षा उत्पादन की इस गति को बनाए रखने के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि हमें अपने श्रमिकों की छंटनी न करनी पड़े तथा उनकी प्रतिभा का उपयोग किया जाता रहे तथा दूसरा यह कि हम उनको पर्याप्त काम देते रहें ताकि वे बेकार न बैठे रहें।

रक्षा उत्पादन के बजट में की गई कमी को ध्यान में रखते हुए हमें बड़ी ही सावधानी से चलना होगा और उपलब्ध राशि से ही अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

आयुध कारखानों के कर्मचारी अपने कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं, पर फिर भी काफी कार्य-कर्ता ऐसे है जो अपने काम में दिलचस्पी लेते हैं तथा उनके द्वारा की गई नई खोजों से कारखानों के कार्यकरण में लाभ हुआ है। इस दृष्टि से हमने विकास कक्षों की स्थापना की है। तथा कर्मचारियों के क्रियात्मक सूझावों का उपयोग कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना है।

आयुध कारखानों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए हम नये कारखानों की स्थापना करते समय प्रबन्ध सम्बन्धी आधुनिक तरीका अपना रहे हैं। इससे जो अनावश्यक विलम्ब होता है वह नहीं होगा और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।

पारम्परिक शस्त्रों में हम आत्म निर्भर हो गये हैं, पर हम यहीं पर रुके नहीं हैं। हमारा अनुसंधान संगठन नई खोजें करने में लगा रहता है और हम नये-नये शस्त्रों का विकास कर रहे हैं। यदि ऐसा न करें तो हम पिछड़ जायेंगे और फिर कभी भी बराबरी में न आ सकेंगे।

जबलपुर स्थित मोटर गाड़ी निर्माण कारखानों में हम शक्तिमान, निशान और जोंगा गाड़ियों का निर्माण कर रहे है। शक्तिमान के अधिकतर कलपुर्जे स्वदेशी हैं जबकि अन्य के कलपुर्जों का निर्माण भी हम स्वदेश में करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ-साथ बड़ी मोटर गाड़ियां बनाने का प्रयत्न भी हम कर रहे हैं। हम गाड़ियों संबंधी जनता की मांग को पूरा करने के लिए जबलपुर कारखाने का विकास बड़े स्तर पर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अवाड़ी स्थित टैंक निर्माण करने वाले कारखाने में वर्तमान विजयंत टैंक से भी बड़ा टैंक बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। उसके लिए हमें काफी समय पहले से प्रयत्न करना होगा। विजयन्त में इस समय 68 प्रतिशत कलपुर्जे स्वदेशी हैं तथा अगले पांच सालों में हम 95 प्रतिशत कलपुर्जे स्वदेशी प्रयोग करने लगेंगे। बख्तरबन्द गाडियों के निर्माण में भी हमने पर्याप्त प्रगति की है।

हमारे आयुध कारखानों में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। 1971-72 में इनमें 173 करोड़ रुपये का सामान तैयार हुआ जबकि 1973-74 में 251 करोड़ रूपये का सामान तैयार होगा।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० ने अपनी सीमित क्षमता के द्वारा कृषि कार्यों में काम आने वाले हवाई जहाज 'वसन्त' और एक विशेष प्रकार के हेलीकाप्टर 'चीता' का निर्माण कर उल्लेखनीय कार्य किया है। 'नैट' ने अपना नाम कमाया है यह हम सब जानते हैं। इस बारे में हमें दुनियां भर से सराहना प्राप्त हुई है तथा वे हमारी इस उपलब्धि से चकित हैं। मारूत की कुछ कमियों को हम दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अन्यथा वह बहुत ही अच्छा हवाई जहाज है। एवरो की जांच के लिए एक जांच समिति नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त हम एवरो का स्थान लेने के लिए नागर विमानन विभाग के साथ मिल कर एक अन्य वायुयान के निर्माण के विषय में विचार कर रहे हैं।

मजगांव जलयान निर्माण गोदी में निर्मित पहला युद्ध पोत 'नीलगिरी' हम जल सेना को द चुके हैं। इसके 50 प्रतिशत कलपुर्जे स्वदेशी हैं। अगले युद्ध पोत 'हिमगिरि' में स्वदेशी कलपुर्जों की संख्या और बढ़ जायेगी।

युद्ध सामग्री बनाने वाले सभी सरकारी उपक्रम लाभ में चल रहे हैं और इस प्रकार देश की अर्थ-व्यवस्था में बड़ा योगदान कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deupty Speaker in the Chair

आधुनिक शस्त्रों के लिये फिलहाल हम सहयोग और लाइसेन्स सम्बन्धी समझौतों पर आधारित हैं। पर भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे। अब भविष्य में हम केवल डिज़ाइन और विकास समझौता करेंगे और इस प्रकार उनकी जानकारी हमें मिल जाएगी। कुछ मामलों में ऐसा करना सम्भव न भी हो और हमें पुरानी पद्धति ही अपनानी पड़ सकती है। जो पहले से हुए समझौते हैं उनके सम्बन्ध में हमने संबंधित उपक्रमों को कह दिया है कि उनका नवीकरण अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता। अतः उन्हें शीघ्रातिशीघ्र स्वदेशीकरण की ओर अपने पग बढ़ाने चाहियें।

विशेष प्रकार की तथा उत्तम किस्म की मिश्रधातु के उत्पादन के लिये कानपुर और हैदराबाद में नए कारखाने लगाए गए हैं, इनका उल्लेख प्रतिवेदन में विस्तार से किया जा चुका है।

कर्मचारियों के साथ हमारे सम्बन्ध काफी अच्छे रहे हैं। इसके लिये हमें कर्मचारी संघों के नेता श्री एस० एम० बनर्जी और डा० मेलकोटे के अत्यन्त आभारी हैं। उन्होंने हर सम्भव सहयोग हमें दिया है।

प्रत्येक स्थानीय योग्य व्यक्ति को रोज़गार देने में प्राथमिकता देने का हमारा प्रयत्न रहा है। जब किसी बड़े पद के लिये स्थानीय व्यक्ति नहीं मिलता, तब हम किसी भी योग्य व्यक्ति को लेते हैं। स्थानीय लोगों तथा सरकार को शिकायत का मौका देने से बचने के लिये हमने सभी उपक्रमों को यह ज्ञापन भेज दिया है कि सब कुछ इस प्रकार किया जाए जिससे किसी प्रकार की स्थानीय उत्तेजना न फैले।

अच्छे कार्य तथा विभिन्न वस्तुओं का स्वदेश में उत्पादन करने की दृष्टि से सरकारी उपक्रमों में अनुसंधान और विकास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

बंगाल स्थित गार्डन रीच वर्कशाप ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। इसने कई बन्द हुई तथा परि-समापित कम्पनियों को अपने हाथ में लिया है तथा उन्हें सफलतापूर्वक चलाया है और लाभ कमाया है।

निरीक्षण महानिदेशालय ने देश में बड़ा ही उल्लेखनीय काम किया है। इसका महत्व इस बात से स्पष्ट है कि यह सेना को दिये जाने वाले हथियारों का निरीक्षण करता है। उसकी तनिक सी भी ढील से कितना काम बिगड़ सकता है, यह हम जानते हैं।

रक्षा पूर्ति विभाग ने, जिसकी स्थापना चीनी आक्रमण के बाद की गई थी, बड़ा ही सुन्दर काम किया है। इसने पहले भारत में न बनने वाली वस्तुओं का निर्माण करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और उसके इस प्रयत्न से आज देश में इस प्रकार की 15,000 वस्तुएं निर्मित होती हैं। अप्रैल 1972 से फरवरी 1973 के बीच इस विभाग ने 16.21 करोड़ रुपये की वस्तुओं की सप्लाई की।

बहुत से सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि रक्षा अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों के लिये बहुत कम धनराशि रखी गई है। जितनी भी राशि इसे दी गई है, इस संगठन ने उसी में बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है। यह कार्य उसने सरकारी औपचारिकताओं के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों तथा अन्य अनुसंधान संगठनों में लिये जाने के बाद बचे वैज्ञानिकों के मिलने पर किया है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि रक्षा उत्पादन, रक्षा सामग्री की सप्लाई तथा अनुसंधान आदि में हमारा उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना है जिससे कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिये किसी अन्य देश पर आधारित न रहना पड़े।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : मैं माननीय मंत्री महोदय को इस उत्तम कार्य के लिये बधाई देता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि रक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में हमारी सेनाओं ने बड़ी अच्छी उन्नति की है। उसने सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा किया है।

अंग्रेज़ स्वतंत्रता के पहले एक नीति के रूप में केवल कुछ लड़ाकू जातियों को सेना में भरती करते थे। स्वतंत्रता के बाद यह नीति समाप्त कर दी गई, पर फिर भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि देश के बहुत से भागों के लोग सेना में नहीं लिये जाते हैं। देश की रक्षा का भार पंजाब और हरियाणा पर ही नहीं है अन्य राज्यों के लोगों को भी इसमें लिया जाना चाहिये। सभी अपना बलिदान देने को तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

दिल्ली में बिजली की सप्लाई बन्द होने के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : POWER BREAKDOWN IN DELHI

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह चर्चा कल दिल्ली में बिजली सप्लाई बन्द होने पर मंत्री महोदय द्वारा प्रकाश डाले जाने के लिये हो रही है। हाल ही में मंत्री महोदय ने बताया था कि अब दिल्ली में बिजली बन्द होने की संभावना नहीं है। पर सुना यह जा रहा है कि आगे स्थिति कल से अधिक खराब होने वाली है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय भविष्य की स्थिति पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

कल की घटना पर तीन बातें कही जा रही हैं। प्रत्येक अपनी-अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का प्रयत्न कर रहा है। मैं एक सामान्य आदमी हूं। मैं नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है। तथ्य तो यही है कि इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के पांचों यूनिट एक साथ बन्द हो गए। डा० राव यह मानेंगे कि यह एक असाधारण घटना है। इसकी जांच की जानी चाहिये कि सभी यूनिट एक साथ किस प्रकार बन्द हुए।

इस बिजली बन्द होने का मुख्य कारण क्या है, यह मैं नहीं जानता, पर यह कहा जा रहा है कि महाप्रबन्धक श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों का उपयोग इंजीनियरों को भड़काने के लिये कर रहा है, जिससे कि दोनों में मतभेद पैदा हो जाए।

मैं जानना चाहता हूं कि इंजीनियरों की बहुत पहले से चली आ रही मांगों का क्या रहा। शिव-शंकर समिति की सिफारिशों को लागू करने में शीघ्रता करने के लिये क्या किया जा रहा है।

उनकी मांगों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनकी एक मुख्य मांग यह है कि किसी तक-नीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति को महाप्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये। दूसरी मांग यह है कि इंजीनियरों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का समान स्तर होना चाहिये। और उनके वेतनमानों की वृद्धि की जानी चाहिये। पता नहीं उनकी शिकायतें कब तक दूर की जाएंगी। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि डा० के० एल० राव ने कहा है कि जब तक बिजली की सप्लाई सामान्य नहीं होगी, तब तक उनकी मांगों के बारे में आगे कोई बातचीत नहीं होगी। किन्तु इससे स्थिति और बिगड़ेगी।

तोड़-फोड़ की कार्यवाही के लिये इंजीनियरों और श्रमिकों को बदनाम करने की प्रवृत्ति को प्रोत्सा-हन नहीं दिया जाना चाहिये। विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के सहस्रों कर्मचारी अपनी उचित शिकायतों और मांगों को लेकर मंत्री महोदय से मिल चुके हैं। उन्हें तोड़-फोड़ करने वाले बता कर नौकरियों से निकाला जा रहा है।

ऐसा लगता है, देश को बिजली के संकट से राहत नहीं मिलेगी। स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इस मामले पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। यह संकट देशव्यापी है और देश के समस्त उद्योग ठप्प पड़े हैं। दिल्ली के बिजली के संकट पर अलग से विचार नहीं किया जाना चाहिये अपितु इस देशव्यापी संकट पर मुख्य राष्ट्रीय संकट के रूप में विचार किया जाना चाहिये।

पांचवीं योजना देश में बिजली के गम्भीर संकट में आरम्भ की जा रही है। इस बिजली के संकट से उत्पादन में वृद्धि करने और विकासशील उद्योगों के लिये बनाई गई योजनाएं पूर्णरूप से ठप्प हो जाएंगी।

क्या यह सब मूलरूप से अनुचित योजना के कारण नहीं है ? क्या यह सब सम्बन्धित मंत्रालय और अन्य अधिकारियों की असफलता के कारण नहीं हुआ है ? यह सब एक दिन में ही नहीं हुआ है, यह तो वर्षों से चली आ रही स्थिति के कारण हुआ है।

इंजीनियरों और तकनीशियनों की सब जगह यही शिकायत है कि नौकरशाही इस क्षेत्र में उन्हें अपने अधीनस्थ मानती है। उनकी और अनेक शिकायतें हैं। डा० राव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूं। किन्तु पिछले 10 वर्षों से उनके मंत्री-पद पर रहने के उपरांत भी चारों ओर इतना गम्भीर बिजली का संकट उत्पन्न हुआ है। मंत्री महोदय को अपना यह पद त्याग देना चाहिये।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मशीनों को पुनः चालू कर दिया गया है जिससे आज सायंकाल तक नगर की सब आवश्यकताएं पूरी की जा सकें ? दूसरे, उन्होंने कहा है कि इस प्रणाली में दोष आ जाने के फलस्वरूप सभी मशीनों को खराब होने से बचाने हेतु ठोस उपायों का सुझाव देने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। इससे यह प्रतीत होता है कि बिजली के संकट की फिर आशंका है। किन्तु इस सम्बन्ध में पूर्वोपाय किये जाने चाहियें जिससे एक ही समय में सारी मशीनें एक-साथ खराब न होने पाएं। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति बतानी चाहिये और यह भी बताना चाहिए कि इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार है। वर्तमान बिजली संकट के लिये ज़िम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिये और इस संकट के लिये ज़िम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे यदि स्थिति में सुधार न हो तो कम-से-कम स्थिति में स्थिरता तो आ जाए।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं जानना चाहता हूं कि बिजली बन्द होने के वास्तविक कारण क्या हैं, क्योंकि समाचार पत्रों से ऐसा पता लगता है कि महाप्रबन्धक और कार्मिक संघ को इंजीनियरों के विरुद्ध प्रयोग में लाया गया है। इंजीनियरों ने अपने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि महाप्रबन्धक द्वारा की जा रही कार्यवाही से इन बिजली घरों की बिजली फेल हो सकती है। बिजली खराब होने से लोगों को होने वाली कठिनाइयों पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि यह अत्यन्त गम्भीर बात है। इन्द्रप्रस्थ बिजली घर में बिजली खराब होने से हरियाणा और फरीदाबाद में इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। यह राष्ट्रीय संकट बन गया है और यह संकट देशव्यापी बन गया है। इंजीनियरों और तानाशाह अधिकारियों के बीच विवाद केवल दिल्ली में ही नहीं है, अपितु उत्तर प्रदेश में भी है। इस बढ़ रहे विवाद के पीछे जो कारण हैं, उन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। इन बिजली घरों का उचित रख-रखाव नहीं होता है तो इस बात की जांच कराई जानी चाहिये और आवश्यक कदम उठाए जाने चाहियें।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं है। यदि यह तोड़-फोड़ का मामला है तो इसे दूसरे तरीके से हल किया जाना चाहिये। यदि महाप्रबन्धक को कांग्रेस संघ का समर्थन प्राप्त है और इंजीनियरों और महाप्रबन्धक के बीच विवाद वास्तविक है तो इसका समाधान किसी अन्य माध्यम से और शीघ्र किया जाना चाहिये।

हरियाणा राज्य विद्युत् बोर्ड के अधिकारियों और हरियाणा सरकार का रवैया बिजली संकट की इस समस्या को सुलझाने के बहुत विपरीत है। केन्द्रीय सरकार को उन्हें कहना चाहिये कि वे अपना रवैया बदलें और कार्मिक संघ की मांगों को पूरा करने के लिये कोई समझौता करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत बड़ी समस्या है और हमारे पास समय अधिक नहीं है। अतः माननीय सदस्य दिल्ली की समस्या तक ही सीमित रहें जिससे कि हम निर्धारित समय में चर्चा समाप्त कर सकें।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरी): कल दिल्ली में बिजली खराब रही जिसके कारण लोगों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बिजली की सप्लाई एक ही समय में सब मशीनें खराब होने के कारण नहीं हुई। अक्तूबर 1972 में भाखड़ा से बिजली की सप्लाई बन्द हो गई थी, फिर भी पंजाब को एक लाख यूनिट बिजली दी जाती रही।

मशीनों के खराब हो जाने का कारण या तो उन मशीनों में दोष है, जिनका आयात किया गया है या देश में ही बनी मशीनों के ठीक ढंग से कार्य न करने के कारण है। दिल्ली में बिजली खराब होने का तात्पर्य है कि देश में बनी मशीनों में खराबी है।

हाल ही में एक बैठक में डा० राव ने कहा है कि देश में बनी मशीनें घटिया किस्म की हैं और उनके समय पर उपलब्ध न होने से यह अव्यवस्था हुई है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि बिजली उत्पादन करने के लिये अच्छी किस्म की मशीनों की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये गए हैं ?

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Sir, The Minister of Irrigation and Power is not responsible for the failure of power in Delhi. This crisis seems to be the result of sabotage. There is enough electricity in Delhi for consumption. But it is unfortunate that the workers in the electricity department in Delhi are putting the 40 lakhs of people of Delhi into trouble. Therefore, the workers responsible for this power failure in Delhi should be given rigorous punishment. Government should not show any mercy to them. The Delhi Power Stations should be handed over to Military Engineers so that the deteriorating conditions may be improved.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, Power break-down in Delhi has caused great hardship to the people. Business and Industries have been paralysed. This is because of some controversy between the Engineers and I.A.S. Officers. The General Manager is a non-technical man. The workers are demanding the removal of this General Manager because he is stated to be responsible for all this trouble in the Electricity department in Delhi. The situation prevailing at present demands that this General Manager should be removed. The hon. Minister should be bold enough while taking this step and he should not succumb to the pressure of Home Ministry.

There is acute shortage of electricity in Delhi. How this shortage will be made good ?

Government has not implemented the recommendations of the Shivsankar Committee. I do not know what was the necessity of appointing this Committee when the recommendations of that Committee have not been considered so far ? It is not known under what pressure the recommendations have not been implemented. The D.E.S.U. has been put to great loss because of this power crisis. The General Manager should be held responsible for this crisis.

The Chief Engineer of the Electricity Department was Gheraod by the workers. The workers have submitted a memorandum to the Prime Minister and to the hon. Minister also, but no action has been taken so far to redress the grievances of the Engineers. When they go on strike in order to get their genuine demands fulfilled, Government resort to intimidation of the workers. Government should take quick dicision in the matter otherwise Delhi will again face darkness and the Government will be responsible for that.

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री चितामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : दिल्ली में कल सांयकाल से जो बिजली का संकट उत्पन्न हुआ है उससे हम सब को बहुत चिंता है। पाचों जनरेटरों के एक साथ खराब होने से पता चलता है कि उन बिजली घरों का रख रखाव बहुत असन्तोषजनक है। यह बात तो सर्व विदित है कि गत अनेक वर्षों से दिल्ली में बिजली घरों का रख रखाव सन्तोषजनक नहीं है। सरकार को इस बात की जानकारी है। यह सुनिश्चित करने के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की होती तो असन्तोषजनक रख रखाव के कारण से बिजली घर खराब नहीं होते।

बदरपुर में एक बिजली घर बनाने का प्रस्ताव है जो दीर्घकाल से अनिर्णीत पड़ा हुआ है। इस बात को जानते हुये कि दिल्ली में बिजली की कमी है, बदरपुर स्थित बिजली घर अभी तक चालू नहीं हुआ है। इसके क्या कारण हैं ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इंजीनियरों और प्रशासकों के बीच वास्तव में विवाद है ? क्या सरकार को भी इसका पता है ? बताया जाता है कि लगभग सब राज्यों के बिजली प्रदाय संस्थानों के इंजीनियरों और प्रशासकों के बीच विवाद चल रहा है। यह संकट दिल्ली में ही नहीं अपितु, देश के अनेक भागों में व्याप्त है। इस विवाद को समाप्त करने के लिये सरकार कोई समाधान क्यों नहीं निकालती है जिससे देश को इस समस्या से छुटकारा मिले ? इस संकट के लिये जिम्मेदार दोनों में से एक वर्ग अवश्य है।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के बारे में शिवशंकर समिति ने कुछ शिफारिशें की हैं किन्तु उन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है और ना ही उन्हें लागू किया गया है। क्या सरकार को भी इस बात का पता है ? इस संबंध में कर्मचारियों ने सरकार को एक अभ्यावेदन भी दिया है। इस समस्या को हल किया जाना चाहिये ताकि दिल्ली में बिजली का संकट फिर उत्पन्न न हो।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, Simultaneous failure of seven generators of Delhi Electric Supply Undertaking is a very serious matter. Government has no longterm policy regarding power as a result of which power crisis occurs after every ten years in the country. Government has not been able to achieve targets of power generation fixed for the Second and Third Plan periods. Even the Planning Commission has admitted that in the first three years of the Fourth Plan, there has been 25 percent short fall in the achievement of power targets.

We have three types of power houses in the country but all the projects are defective and there is something wrong so far as the designs, machinery, set up and management are concerned. Moreover, all the estimates regarding power generation from hydro-Electric units have been wrong.

There has been frequent power failure in Delhi, the capital of the country where diplomatic missions of various countries are situated. It is very serious and rather regrettable that there has been frequent power failures in the capital. Delhi is not an isolated example. It has become a national crisis and this power crisis is prevailing throughout the country. I request the hon. Minister to place on the Table of this House an analysis and complete plan-proposal regarding design, Machinery and management system.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय दिल्ली में बिजली का ऐसा संकट उपस्थित हुआ है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने माननीय मंत्री डा० राव को यह सुझाव दिया है कि वह अपना त्यागपत्र दे दें। किन्तु मेरे बिचार से डा० राव को अपने विभाग का जितना ज्ञान है उतना किसी अन्य मंत्री महोदय को अपने-अपने विभाग के बारे में ज्ञान नहीं है। देश में सभी

प्रकार की वस्तुओं की कमी है तथा हर क्षेत्र में संकट है। खाद्यान्न की समस्या है, कोयले और सीमेंट आदि की भी समस्याएं हैं। यह समस्या अचानक उत्पन्न नहीं हुई है वरन् बहुत दिनों से विद्यमान है। इंजीनियरों तथा आई० ए० एस० अधिकारियों में बहुत दिनों से पारस्परिक विरोध चल रहा है। किन्तु सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए ? इंजीनियरों की यह मांग भी कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के महाप्रबन्धक के पद पर तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति की जाये। क्या यह सच है कि इंजीनियरों ने प्रधान मंत्री को इस बारे में कोई ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि यदि अमुख समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके परिणामों के लिये सरकार उत्तरदायी होगी।

मैं कुछ माननीय सदस्यों के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि सम्पूर्ण देश में ही बिजली संकट विद्यमान है अतः दिल्ली में भी वैसा ही संकट है। वास्तव में दिल्ली में बिजली के संकट का कारण मशीनों में खराबी आदि नहीं है वरन् यह मानवकृत है, जैसा कि मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है। इसका उत्तरदायित्व भी प्रशासन पर ही है क्योंकि प्रशासन ने इंजीनियरों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को कल के बिजली संकट के बारे में पूर्व सूचना दी गई थी। क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने श्रम मंत्री से इस विषय में विचार-विमर्श किया था ? प्रधान मंत्री ने ज्ञापन प्राप्त करने के पश्चात क्या कार्यवाही की तथा अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री समर गुह (कंटाई) : महोदय ! आधे घंटे की चर्चा का क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आधे घंटे की चर्चा 6 बजे आरम्भ की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह नहीं बताया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने ऐसा कुछ कहा था। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये सभा ने यह निर्णय किया है कि इस चर्चा को आज पूरा किया जाये जिससे मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर दे सकें। जहां तक मुझे याद है अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि इस चर्चा के समाप्त होने पर आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की जायेगी और यदि आज उसके लिये समय नहीं मिला तो फिर किसी अवसर पर उस पर चर्चा की जायेगी।

श्री समर गुह : महोदय मुझे कल प्रातः कलकत्ता जाना है तथा मैं केवल आधे घंटे की चर्चा के लिये ही रुका हुआ था। यदि यह चर्चा आधे घंटे तक समाप्त हो जाये तो आधे घंटे की चर्चा को 6.30 बजे आरम्भ कर दिया जाए। मैं तब तक ठहरने के लिये तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

[Shri K. N. Tiwary in the chair]

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन हड़तालों से कितनी प्रत्यक्ष और कितनी अप्रत्यक्ष हानि हुई है। विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में फैली अफवाओं के आधार पर दोष लगा रहे हैं तथा जनता में भय उत्पन्न किया जा रहा है। मेरे विचार से इस सामान्य सी समस्या से कोई विशेष आपत्ति नहीं आने वाली (**व्यवधान**) जहां तक प्रकाश का संवंध है हम मोमवत्तियां जला सकते हैं (**व्यवधान**)

मुझे आशा है कि सरकार इन सभी आकस्मिक समस्याओं को हल करने में समर्थ है तथा मंत्री महोदय बताएंगे कि इस कठिनाई को दूर कर दिया जायेगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : देश की राजधानी में बिजली-संकट उत्पन्न होना बड़ी लज्जा की बात है। किन्तु बताया गया है कि इसमें डा० राव का कोई दोष नहीं है। उन्होंने मंत्रि-मंडल के समक्ष कई योजनाएं प्रस्तुत की हैं किन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। अभी तक राजस्थान, पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों में बिजली का संकट था किन्तु अब यह संकट देश की राजधानी में भी उत्पन्न हो गया है। मंत्री महोदय इस विषय में स्पष्ट शब्दों में वास्तविक स्थिति से सदन को अवगत कराएं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I would like to draw the attention of the House to 10,000 electricity workers who have been trying to seek justice from the Parliament. More than 6,000 workers in Haryana and 5,000 workers in Delhi have been sent to jails. Now the power crisis has reached Delhi. All these workers should be released immediately. Engineers and workers are struggling for the progress of the country. I request that hon. minister should accept their genuine demands.

Shr S. A. Shamim (Srinagar) : The failure of all the five plants in Delhi has raised certain genuine doubts in the minds of the people. If this is the situation in Delhi anything can be expected in the other parts of the country.

According to the Newspapers there was no power crisis for the Presidents, Prime Minister and certain other persons while the common people of Delhi had to face great difficulties. Is it not a matter of shame for the government who call themselves the champion of socialism ?

Shrimati Mukul Banerji (New Delhi) : We are trying to bring socialism in the country but at this juncture certain opposition parties are engaged in anti-social activities and sabotage. I would like to know from the hon. Minister whether he is taking any steps in this regard.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : चर्चा में भाग लेने के लिये मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये मैंने कहा था कि दिल्ली में 250 से 290 मैगावाट बिजली की मांग है जबकि हमें 380 मैगावाट बिजली उपलब्ध है। अतः यहां बिजली की कमी की कोई आशंका नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां मांग में 50 मैगावाट की वृद्धि होने की सम्भावना है हम 100 मैगावाट बिजली की वृद्धि करने जा रहे हैं।

वास्तव में मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे 6 बजे तक इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री से भी कोई विचार-विमर्श नहीं किया क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ जानकारी ही नहीं थी। अतः माननीय सदस्यों को ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिये।

मुझे इस घटना के बारे में लगभग 6 बजे समाचार मिला तथा मैं तुरन्त बिजली घर गया। स्टेशन ए० और बी० में दो पुरानी मशीनें हैं तथा स्टेशन सी० में पांच मशीनें हैं। इन पांच मशीनों में से दो मशीन ठीक कार्य कर रहीं हैं। लगभग 5.30 बजे एक मशीन में खराबी आ गई कि तथा अर्थिंग होने लगा। जिसका अर्थ यह है कि बिजली भूमि में चली जाती है। यह खराबी किस कारण आई इसका अभी पता लगाया जाना है। ज्ञात हुआ है कि एक 220 के० वी० लाइन वाली एक मशीन में लगे तीन तारों में से एक जमीन से छू गया जिससे करेंट जमीन में जाने लगा। चूंकि पांचों मशीन एक ही बसवार पर लगी हैं अतः पांचों बन्द हो गईं। इस बात का अभी पता लगाया जाना है कि वह तार जमीन पर कैसे गिरा, किसी पक्षी ने गिरा दिया या किसी कर्मचारी ने जानबूझकर ऐसा किया।

इसी बात को ध्यान में रखकर जांच समिति के निदेश पदों में यह बात भी विशेषरूप से निहित की गई है कि समिति यह भी ज्ञात करे कि क्या सभी मशीनों को पृथक-पृथक किया जा सकता है जिससे एक मशीन खराब होने पर अन्य मशीनें कार्य करती रहें।

जहां तक भाप से चलने वाली मशीनों का सम्बन्ध है उन्हें चालू करने में काफी समय लगता है। ये मशीनें ऐसी नहीं हैं कि बटन दबाया और बिजली उत्पादन आरम्भ हो गया। माननीय सदस्यों का यह कहना भी सच नहीं है कि मशीनें पुरानी तथा पुराने किस्म की हैं । ये मशीनें बहुत अच्छा कार्य कर रहीं हैं तथा हर प्रकार से उपयुक्त हैं। हमारे पास कोई फालतू मशीन भी नहीं है जिसे आकस्मिक घटना के अवसर पर उपयोग में लाया जा सके।

पावर स्टेशन पहुंच कर मैंने देखा कि इन्जीनियरों तथा कर्मचारियों में कुछ मतभेद था। इन्जीनियर कुछ परेशान थे तथा श्रमिक एक व्यक्ति के नेतृत्व में एक स्थान पर जमा थे तथा इन्जीनियरों के विरुद्ध नारे लगा रहे तथा मारने तथा मशीनों को जलाने की धमकी दे रहे थे। मैं इन्जीनियरों के पास बैठा रहा (**व्यवधान**) हम चाहते थे कि मशीनें शीघ्र पुनः चालू कराई जाएं जिससे जनता को कठिनाई न हो। किन्तु इन्जीनियर परेशान थे तथा बाहर दरवाजे पर मजदूर शोर मचा रहे थे तथा इन्जीनियरों के कार्यों में बाधा डाल रहे थे। इस स्थिति में मैंने एक बजे पुलिस मंगाई। किन्तु पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।

इस पर मैंने इंजीनियरों का साहस बंधाया तथा कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं यहीं बैठा हूं। ये मशीनें अत्यन्त महंगी है और यदि नष्ट हो गईं तो दिल्ली को चार-पांच साल तक बिजली नहीं मिल सकेगी। उसके पश्चात् पुलिस का वहां तैनात किया जाना स्वीकार कर लिया गया तथा डिप्टी कमिशनर वहां पहुंच गए। मैंने उनसे कहा कि मशीनों को नष्ट न होने दिया जाए तथा दोनों पार्टियों में किसी प्रकार का दंगा भी न होने दिया जाए तब मैं 2.30 पर वहां से चला आया। अब इस घटना के कारणों का पता जांच समिति लगायेगी। गत रात दो मशीनों को चालू कर दिया गया है तथा एक मशीन और चालू हो जाएगी। अतः आज बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी।

इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की गई है जिसमें श्री एम० टाटा राव, श्री लक्ष्मी पत्ती, मेजर जनरल पोडवाल, श्री जोशी हैं तथा ये सभी व्यक्ति अत्यन्त योग्य तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त हैं।

जांच समिति के निदेश पदों में दुर्घटना के कारणों का पता लगाना, उसके लिये उत्तरदायी ठहराना तथा उपाय सुझाना आदि शर्तें रखी गई हैं।

कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि वी० आई० पीज० के इलाकों में बिजली मौजूद थी महोदय! दिल्ली में दो स्थानों में बिजली प्राप्त होती है। 40 प्रतिशत दिल्ली में भाखड़ा से बिजली मिलती है। इसी कारण उन क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध थी।

शिवशंकर समिति के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं । दिल्ली में एक आफीसर्स एसोसियेशन है तथा इन्जीनियरों की कुछ कठिनाइयों के बारे में शिवशंकर समिति नियुक्त की गई थी जिसने हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उस प्रतिवेदन को 'डेसू' के प्राधिकारियों को सौंपा गया। उन्होंने वेतनमान स्वीकार कर लिये । इसके बाद उक्त प्रतिवेदन दिल्ली नगर निगम के पास भेजा

गया किन्तु हिन्दी संस्करण न होने के कारण दिल्ली नगर निगम ने उसे अस्वीकार कर दिया। लगभग एक महीने में उसका हिन्दी अनुवाद हो जाएगा। मेरा विचार है उसमें निहित सिफारिशों की क्रियान्विति में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उक्त सिफारिशों को भूतलक्षी प्रभाव से क्रियान्वित किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या मंत्री महोदय ने इन्जीनियरों तथा विद्युत प्रदाय संस्थान के चेयरमैन के बीच कोई मतभेद या वैमनस्य देखा ?

डा० के० एल० राव : जी हां। हम स्थिति में सुधार के लिये आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने श्रम आयुक्त से भी बात चीत की हैं तथा उन्होंने बताया कि यह मामला कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित है। वास्तव में यह सामान्य समस्याएं हैं तथा हमें इनको सुलझाने में सफलता मिल जाएगी। इस बारे में यह भी सावधानी बरती जा रही है कि बहुमूल्य मशीनों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचें। आपरेटर आदि सभी लगन से कार्य कर रहे हैं। इंजीनियर तथा अन्य अधिकारियों भी मैं मिल चुका हूं। वे सभी बहुत अच्छे आदमी हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : कितनी बिजली उपलब्ध है। क्या भाखड़ा से आप बिजली ले रहे हैं ?

डा० के० एल० राव : भाखड़ा से भी कुछ बिजली प्राप्त की जा रही है। तीन मशीनें चालू हो गई हैं तथा उनकी क्षमता लगभग 160 से 170 मैगावाट है। हर आधे घंटे के बाद बिजली उत्पादन में वृद्धि की जा रही है तथा अब कोई कठिनाई नहीं रहेगी।

जहां तक बिजली की कमी का प्रश्न है रूस तथा अमेरीका जैसे देशों में भी बिजली की कमी है (**व्यवधान**) मेरे विचार से माननीय सदस्यों को घर पहुंचने की जल्दी है जिससे वह देख सकें कि बिजली आई कि नहीं। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों को इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 26 अप्रैल, 1973/6 बैशाख, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thurdsday, the 26th April 1973/Vaisakha 6, 1895 (Saka)

MGIPRRND—29 LSS/73—Sec. IV (N)—30-11-73—490